खण्ड-135, अंक-3
बुधवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1876
(28 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 135 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा।

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

बिधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्य ,
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम ,श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी श्री
नारायण दास श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव श्री
मलखान सिंह श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामआधीन सिंह यादव, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र बिकल, श्री
रामजी लाल सहायक,
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री

राम राज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह, यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द श्री,
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित-तारांकित प्रश्न

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड का पुनः संगठन

*१--श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैजाबाद)--क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड के पुनः संगठन की बात सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)--सरकार इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट के संशोधन पर विचार कर रही है जिसमें हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट बोर्ड का पुनःसंगठन भी सम्मिलित है ।

*२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--शिक्षा की नवीन योजनाओं और उसकी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति वर्तमान विधान से नहीं होती । शिक्षा पुनःसंगठन समिति उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी प्रसंगानुसार ऐसे सुझाव दिए हैं कि जिनको कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में कुछ वांछनीय संशोधन करे ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उसमें क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं संशोधन के लिए ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---वह आपके सम्मुख उपस्थित होगा ।

श्री वंशराज सिंह का जेल में अनशन

*३--श्री राज नारायण (ज़िला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जल अधिकारियों के कुव्यवहार के विरोध में श्री वंशराज सिंह २६ मार्च से अनशन कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---श्री वंशराज सिंह २६ मार्च से अनशन कर रहे , पर जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में नहीं ।

*४--श्री राज नारायण (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि श्री वंशराज सिंह जी १० मार्च, सन् १९५४ तक तो सुपीरियर क्लास में जेल में रखे गये थे मगर बाद में एकाएक १० मार्च को उनका क्लास तोड़ दिया गया, और अब उनको मिलाई की भी सुविधा नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री वंश राज सिंह १२ मार्च सन् १९५४ तक सुपीरियर क्लास में रहे, पर १३ मार्च से ए०डी० एम०, गोरखपुर के आदेशानुसार आर्डिनरी क्लास में कर दिये गये हैं। उनकी मिलाई की सुविधा छीनी नहीं गयी है ।

विधान सभा मंडप में ध्वनि-विस्तारक यन्त्र

*५—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि वे विधान सभा मंडप में लोक सभा की भांति ध्वनि-विस्तारक यंत्र लगवाने का विचार कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां। सरकार इस मसले पर गौर कर रही है।

*६—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—यदि हां, तो इस कार्य में कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—खर्चे के तखमीने तैयार कराये जा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तखमीना कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तखमीने बाहर से जानकारी हासिल करके तैयार किये जाते हैं। जितनी जल्दी बाहर से हमारी क्वेरीज का जवाब मिलेगा उतनी जल्दी तैयार होंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में हाउस आफ दी पीपुल में कितना खर्चा लगा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वहां का खर्च मुझ को मालूम नहीं।

तारांकित प्रश्न

*१—**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[७ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२-३—**श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)—[१२ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर नगर में जच्चा-बच्चा केन्द्र चलाने पर व्यय

*४—**श्री राम स्वरूप** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नगर में जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना कब हुयी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—सन् १९४४ में।

*५—**श्री राम स्वरूप**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस प्रकार की कितनी सहायता इस केन्द्र को दी जाती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार द्वारा इस केन्द्र को कोई सहायता नहीं दी जाती

श्री राम स्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जब इस केन्द्र की स्थापना हुयी तो कितनी मिडवाइफ और अन्य कर्मचारी रखे गए थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसमें एक हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ रखी गयी थी।

श्री राम स्वरूप---क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि हर वर्ष कितने कसेज इस केन्द्र में आते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---तीन साल का औसत १८५ है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पर कितना खर्च होता है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसमें ५ हजार ६ सौ ४२ रुपया खर्च का तखमीना है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह केन्द्र इस समय चालू है या बन्द हो गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---मैं तो इसी आधार पर जवाब दे रहा हूं कि यह चालू है।

*६-८---**श्री राम कृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)---[२६ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*९-११---**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)---[१० मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ७५-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचायती दफ्तरों तथा पंचायत अदालत के केन्द्रों को रेडियो के लिये सहायता

*१२---**श्री रमेश चन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक पंचायती दफ्तरों तथा पंचायत अदालत के केन्द्रों पर रेडियो लगाने के लिए कुछ सहायता सरकार द्वारा दी जाने वाली है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

*१३---**श्री रमेश चन्द्र शर्मा** (अनुपस्थित)---[१९ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*१४---**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)---[२६ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

पतेई खालसा, जिला मुरादाबाद में पंचायती अदालत का निर्माण

*१५---**श्री खयाली राम** (जिला मुरादाबाद)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश मुरादाबाद ने १ वर्ष पूर्व यह रिपोर्ट भेजी थी कि पतेई खालसा पंचायती अदालत बना दी जाय ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां। पतेई खालसा में पंचायती अदालत बनाने को स्वीकृति दी जा चुकी है।

कानपुर के गन्दे हातों में सुधार की आवश्यकता

*१६---**श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर में कितने गंदे हाते हैं और क्या इन गंदे हातों के सुधार आदि के सम्बन्ध में कानपुर के प्रशासक ने सरकार के पास अपने कोई विचार भेजे हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---कानपुर शहर में लगभग ४५० बड़े हाते हैं। इनके अतिरिक्त शहर के प्रत्येक भाग में छोटे-छोटे हाते हैं। कानपुर के प्रशासक ने इनमें से १२ हातों का अधिगमन करके विकास करने तथा उनमें रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक आवासों में बसाने और दूसरों को वैकल्पिक स्थान देने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव सरकार के पास

भेजे हैं। उक्त हातों के अधिगमन तथा विकास का अनुमानित व्यय २७.३५ लाख और औद्योगिक श्रमिकों के अतिरिक्त दूसरे हाता निवासियों के लिए वकल्पिक आवासों की व्यवस्था का अनुमानित व्यय २२.३५ लाख है।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर के प्रशासक महोदय द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गये हैं उन पर सरकार कब तक विचार करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इनमें सब से बड़ा प्रश्न जो है वह यह है कि स्लम्स क्लियरेंस में पूरे लोन का ही सवाल हो तब तो यह चीज बहुत आसान है लेकिन इस बात पर विचार हो रहा है कि इसमें कुछ सबसिडी दी जाय ताकि जो गरीब लोग इन स्लम्स में रहते हैं उनके लिए नये मकान अगर पूरे लोन पर बनेंगे तो वे शायद उतना किराया दे न सकेंगे, यह सवाल जरा विचाराधीन है।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड इन स्लम्स के सुधार के लिये क्या प्रयत्न कर रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कानपुर शहर के इन गन्दे हातों के मालिकों से भी सफाई के लिए या कुछ सहायता देने के लिए सरकार विचार रखती है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस वक्त ठीक सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे अन्दाजा है कि उनके लिए कुछ नियम बने हैं कि इस-इस तरह से वे रक्खे जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---केन्द्रीय सरकार की ग्रांट से कानपुर में जो क्वार्टर्स बने हैं उनमें क्या इन गन्दे हाता में रहनेवाले मजदूरों को भी जगह दी जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, उनमें जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं उनको जगह देने में कोई रुकावट नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक गन्दे हाते में अनुमानतः कितने प्राणी बसते हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी पूरी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि इन गन्दे हातों में रहनेवाले कितने मजदूरों को अभी तक क्वार्टरों में बसाया जा चुका है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि आगामी श्रमदान सप्ताह में इन गन्दे अहातों की सफाई की योजना को सरकार शामिल करने का विचार रखती है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अभी तक जो कार्यक्रम बना है उसमें इन अहातों की सफाई नहीं है लेकिन जब-जब मैं कानपुर गया तो मने एम०एल०एज० से यह प्रार्थना की कि वे इस ओर ध्यान दें और इन अहातों की सफाई श्रमदान द्वारा करायें।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पिछले वर्ष तक ५० हजार रुपया कानपुर के गन्दे अहातों की सफाई के लिये दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष वह बन्द कर दिया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम---मुझे इसकी सूचना की जरूरत है।

*१७---**श्री रामचन्द्र विकल**---[१२ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

गांव सभा कठवारा, जिला रायबरेली के मुअत्तल सभापति तथा कुछ सदस्यों के विरुद्ध आरोप

*१८---**श्री राम प्रसाद** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा कठवारा, तहसील व जिला रायबरेली के सभापति तथा कुछ सदस्य कितने दिनों से मुअत्तल हैं और वे किस अपराध में मुअत्तल किये गये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---गांव सभा कठवारा, तहसील व जिला रायबरेली के सभापति तथा कुछ सदस्य २६-१०-५२ से मुअत्तल हैं। उनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :-

१---अनधिकृत रूप से तीन व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया।

२---एक लोनिया पर भेड़ चुराने का अभियोग लगाकर अनुचित शारीरिक दंड दिया।

३---रुपया वसूल लिया, परन्तु रसीद नहीं दी।

४---अनियमित तथा अवैधानिक कार्यवाहियों में भाग लिया, जिससे जनता में असन्तोष हुआ।

*१९---**श्री राम प्रसाद** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सदस्य तथा सभापति अभी कितने दिनों तक इसी दशा में रहेंगे और इनका फैसला इतना अधिक समय बीत जाने पर भी क्यों नहीं किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इनका मामला पुलिस को जांच के लिए दिया गया था पुलिस की रिपोर्ट अभी हाल ही में जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त हुयी है। अब वैभागिक कार्यवाही के बाद उनकी मुअत्तली पर शीघ्र निर्णय किया जायगा।

ग्राम सभा मीटी, जिला बनारस का अदालत पंचायत नगदा में सम्मिलित होना

*२०---**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि ग्राम सभा मीटी, तहसील बनारस, जिला बनारस, अदालत पंचायत नगवा में सम्मिलित है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

*२१---**श्री उमाशंकर तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम सभा मीटी तथा अदालत पंचायत नगवा के बीच गंगा नदी पड़ती है।

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

*२२---**श्री उमाशंकर तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि काशी राज्य विलय के पहले ग्राम-सभा मीटी की एक अलग अदालत पंचायत थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां ।

पंचायती अदालत गवखपुर, जिला मुरादाबाद के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

*२३---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार के पास पंचायती अदालत गवखपुर परगना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध कोई शिकायतें आयी हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां । सरपंच को मुअत्तल किया जा चुका है । अदालत का कार्यभार पंचायत निरीक्षक द्वारा ले लिया गया है । सरपंच की अनधिकृत कार्यवाहियों की जांच की जा रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह किस कार्यवाही की जांच हो रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---उनके खिलाफ जो शिकायत थी वह यह थी कि पंचायती अदालत के कोश में गड़बड़ करना, पंचायती अदालत का दफ्तर अपने निवासस्थान पर रखना अनधिकृत रूप से बंजर जमीन लोगों को देना और वसूल किये गये रुपये का गबन करना ।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के गायनिक और मेटरनिटी विभाग में महिला एवं पुरुष डाक्टर

*२४---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के गायनिक और मेटरनिटी विभाग में कितनी महिला डाक्टर हैं और कितने पुरुष ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के गायनिक और मेटरनिटी विभाग में इस समय सात महिला डाक्टर और दो पुरुष हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि गायिनक और मेटरनिटी विभाग में पुरुष डाक्टरों का रहना जनता पसन्द नहीं करती ?

श्री बनारसी दास---यह तो जाहिर है लेकिन जब स्त्रियां डाक्टर नहीं मिल पाती हैं तो पुरुषों की नियुक्ति ऐसी हालत में करनी पड़ती है ?

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा के इस अस्पताल से डाक्टर इंजीनियर को किस वजह से तब्दील किया गया ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---डाक्टर इंजीनियर ने लखनऊ विश्वविद्यालय म जो प्रोफेसर की जगह खाली हुयी थी उसके लिए अर्जी दी थी और लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनको नियुक्त कर लिया । इस तरह सरकार ने उनको लखनऊ विश्वविद्यालय में आने की इजाजत दे दी ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या गवर्नमेंट को यह मालूम हुआ है कि उनके वहां से अलग होने से कोई वहां सीनियर महिला डाक्टर नहीं रह गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सही है कि वहां पर सीनियर महिला डाक्टर नहीं रही है लेकिन उनकी जगह जो डाक्टर नियुक्त होने वाले है वह काफी ऊंचे दर्जे की विशेषज्ञ हैं और वह शीघ्र ही अपनी जगह जाने वाले हैं ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी ने इन कामों के लिये स्त्रियां प्राप्त करने को कोई विज्ञापन भी निकाला था ?

श्री बनारसी दास---इसके लिए नियुक्ति भी की जा चुकी है और इसके लिए पटना मैडिकल कालेज के एक डाक्टर गुप्ता की नियुक्ति की गयी है और चूंकि डाक्टरों की बड़ी कमी है इसलिए इसके लिए कोई खास विज्ञापन की आवश्यकता नहीं समझी गयी । कंट्राक्ट बेसिस पर नियुक्त की गयी है ।

श्री जोरावर वर्मा---स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति के पहले कोई विज्ञापन किया गया था क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---विज्ञापन तो हमेशा नयी नियुक्ति के लिए किया जाता है । नये विज्ञापन के अनुसार जब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी व्यक्ति को चुन लेता है और उस व्यक्ति को नियुक्त करने की सलाह देता है तब वह व्यक्ति नियुक्त किया जाता है । लेकिन चूंकि हमारे प्रदेश में लेडी डाक्टर इतनी योग्यता और तजुर्बा नहीं रखते थे तो बिहार के कालेज, से जैसा कि अभी बतलाया गया, एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और जिनको २५,३० साल का बिहार विश्वविद्यालय का तजुर्बा है । उन्हें हमने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है ।

जहां तक स्त्री और पुरुषों का गायनिक विभाग में नियुक्त करने का विषय है, मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि विदेशों में भी जितने गायनिक हैं उनमें से अधिकांश पुरुष हैं और यहां पर भी ऐसी पोस्ट के लिए विशेषज्ञों का यह मत रहा है कि इस जगह पर पुरुष ही नियुक्त किया जाय ।

माधौगढ़, जिला जालौन में कूओं की सफाई तथा मरम्मतपर खर्च और उसमें गड़बड़ी

*२५---**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा माधौगढ़, जिला जालौन के १० कुओं की सफाई, मरम्मत वगैरा के लिये उसने कोई सहायता दी ? यदि हां , तो क्या ?

श्री बनारसी दास---जी हां । राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड ने ७,६१७ रु० की ग्रांट दी थी मगर केवल ६,७११ रु० ५ आ० खर्च हुए ।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार के पास कोई शिकायत उपर्युक्त रकम के दुरुपयोग होने के बारे में आयी है । यदि हां , तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास---शिकायत आयी थी, उसकी जांच की जा रही है और अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है ।

*२६-२७---**श्री खयाली राम**---[१२ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*२८-२९---**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)---[१९ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

वनस्पति घी के प्रभाव के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की राय

*३०---**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)---क्या सरकार को ज्ञात है कि वनस्पति घी से प्रदेश के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री बनारसी दास---सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

*३१---**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि आज बाजारों में शुद्ध घी मिलना कठिन हो रहा है ?

श्री बनारसी दास—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*३२—**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें मिलावट की परख के लिये अभी तक क्या प्रयत्न किये ?

श्री बनारसी दास—

(अ) शुद्ध खाद्य अधिनियम १९५० ई० के अनुसार घी के नमूने पब्लिक अनालिस्ट की लेवरेटरी में विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं। और यदि इन में मिलावट पायी जाती है तो अपराधियों को नियमानुसार दंड दिया जाता है।

(ब) घी और वनस्पति तेल (vanaspati or hydrogenated vegetable fat) की बिक्री की दूकानें इस प्रांत में पृथक् हैं जिसके लिए हर दूकानदार को पृथक्-पृथक् लाइसेंस लेना पड़ता है। दोनों सामग्री एक ही दूकान पर बेची नहीं जा सकती है।

(स) वनस्पति (vanaspati or hydro genated vegetable fat) भारतवर्ष में जहां-जहां बनाया जाता है वहां पर यह सरकारी आदेश है कि कम से कम पांच प्रतिशत तिल्ली का तेल वनस्पति तेल में अवश्य मिलावें ताकि यदि वह वनस्पति तेल शुद्ध घी में मिलाया जाय तो ऐसी मिलावटी घी की परीक्षा में बड़ी सुविधा होती है।

(द) (vanaspati) (वनस्पति) के बनाने वाले को यह भी सरकार का आदेश है कि उसमें कोई ऐसा रंग न मिलावें जो कि शुद्ध घी के रंग से मिलता-जुलता हो।

श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या यह सही है कि प्रदेश के बड़े-बड़े डाक्टरों और वैज्ञानिकों ने इस वनस्पति को मानव शरीर के लिए बुरा असर पड़ने वाला बताया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के पास वैज्ञानिकों ने कोई सलाह नहीं भेजी है और न कोई राय ही भेजी है। जब जब वैज्ञानिकों से सलाह पूछने का मौका मिला है, वैज्ञानिकों ने उस राय के विपरीत राय दी है जो कि माननीय सदस्य ने प्रदर्शित की है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है कि वनस्पति घी हमारे प्रांत में न आये तथा उसकी रोक के लिए क्या वह कोई कर लगाने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहांतक इन्टर प्रांविंशियल ट्रेड का सम्बन्ध है, यह विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है। उसके लिए कानून भी वही बनाती है और वही अनुशासन भी करती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से वनस्पति घी की चूहों के स्वास्थ्य पर जांच की गयी और वैज्ञानिकों ने उसको स्वास्थ्य के लिये घातक बताया ?

श्री बनारसी दास—जी हां, ऐसी जांच करायी गयी और चार स्थानों पर परीक्षण हुए लेकिन यह ग़लत है कि चूहों पर जांच करायी गयी और उसका परिणाम घातक और हानिकारक पाया गया।

श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सही है कि खादी प्रतिष्ठान बंगाल के डाक्टर सन्तोशचन्द्र दास गुप्ता ने एक ऐसा रंग भेजा है जिससे मिलावट का पता लग सकता है ?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्योर फूड ऐक्ट के अन्तर्गत वनस्पति घी के कितने मुकदमे चलाये गये और उनका क्या परिणाम हुआ ?

श्री बनारसी दास---इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलावेंगे कि मिलावट न होने के बारे में सरकार जो आदेश देती है उनका पालन कराने के लिये कौन सी मशीनरी है ?

श्री बनारसी दास---इसके लिए हर जिले में हेल्थ विभाग है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी की बनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसलिये उसके बारे में वह कोई कानून बनाये ?

श्री बनारसी दास---इस सम्बन्ध में सन् १९४६ में एक कमेटी नियुक्त की गयी थी । उसमें कतिपय विशेषज्ञों की राय भी ली गयी थी । उस कमेटी ने यह राय दी कि वनस्पति स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है । बराबर ३-४ साल तक कलकत्ता, बंगाल और इजजतनगर में इस प्रकार के अनुभव किये गए जिनसे यह साबित हुआ कि इससे कोई हानि नहीं होती ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुद्ध तैयार घी मिलने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री बनारसी दास---इसके लिए सरकार ने प्योर फूड ऐक्ट पास किया है । उसके अधीन लोगों को शुद्ध घी के बेचने के लिए पृथक् लाइसेंस लेना पड़ता है और वनस्पति घी के लिए पृथक् लाइसेंस लेना होता है । अगर कोई दोनों को बिना लाइसेंस बेचता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उसको सजा दी जाती है ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)---क्या वनस्पति घी को किसी रंग से रंगे जाने की संभावना असंभव साबित हो गयी है ?

श्री बनारसी दास---इस प्रकार का रंग ढूंढ़ने के परीक्षण किये जा रहे हैं । इस सदन में भी इसके लिए १० हजार का इनाम घोषित किया गया था । इस प्रकार के दो एक रंग निकले भी लेकिन बाद को मालूम हुआ कि बोईलिंग पौइंट पर जाकर वे रंग उड़ जाते हैं जिससे प्रेक्टिस में नही आ सकते । इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार का कोई रंग निकाला जा सके ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह खबर है कि इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्य आजकल वनस्पति घी का ही उपयोग कर रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार शुद्ध घी ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए मिल्क कोआपरेटिव यूनियन को ग्रांट देने का इरादा रखती है ?

श्री चन्दभानु गुप्त—मिल्क कोआपरेटिव यूनियन सभी जगह सरकार की तरफ से प्रोत्साहन पा रहे हैं और जहां-जहां चलाये जा रहे हैं सरकार अपनी मदद देती है ।

*३३-३४—श्री वंश नारायण सिंह (जिला बनारस)— [१२ मई १९५४ को लिये स्थगित किये गये ।

चौरी और बरवा डिस्पेन्सरियों का निरीक्षण

*३५—श्री वंशनारायण सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी बनारस ने चौरी और बरवा डिस्पेन्सरियों का गत चार वर्षों में कोई निरीक्षण किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—डिसपेंसरी का निरीक्षण आयुर्वेद निरीक्षक द्वारा होता रहा। कार्य की अधिकता के कारण जिला स्वास्थ्य अधिकारी का निरीक्षण न हो सका ।

श्री वंशनारायण सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ४ वर्ष तक हेल्थ आफिसर बनारस को अवकाश नहीं मिला कि वे निरीक्षण करें ?

श्री बनारसी दास—जैसा कि उत्तर में कहा गया कि कार्याधिक होने के कारण, चूंकि वहां कुछ बीमारी ऐसी हुयी जिससे वे निरीक्षण नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट हेल्थ आफिसर ट्रेनिंग में चले गये थे तो आयुर्वेदिक इंसपेक्टर ने इन डिस्पेंसरीज का कई मर्तबा मुआयना किया अब जिला हेल्थ आफिसर को आदेश दिया गया है कि वे साल भर में ४ मर्तबा प्रत्येक डिस्पेंसरीज का इन्सपेक्शन करें।

*३६-३७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[१२ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३८—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[२९ अप्रैल, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिलों में सीमेन्ट का वितरण एवं उसकी सलाहकार समिति

*३९—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आज कल जिलों में सीमेंट के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री बनारसी दास—जिले में सीमेंट के वितरण की व्यवस्था यह है कि जो भी सीमेंट जिले में प्राप्त होता है उसे जिलाधीश की गृह निर्माण सामग्री वितरण सलाहकारी समिति बिल्डिंग मैटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजरी कमेटी से परामर्श लेकर स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए जिले में बटवारा करते हैं ।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आजकल जिले में जो सीमेंट प्राप्त होती है वह प्रादेशिक सरकार की किसी योजना के अनुसार होती है या जिले में एक्सिडेंटली सप्लाई होती है ?

श्री बनारसी दास—वितरण के सम्बन्ध में जिलाधीश को पूरा अधिकार है ।

श्री शिवराजसिंह यादव—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि आजकल जिले में जो सीमेंट पहुंचती है वह प्रादेशिक सरकार की किसी योजना के अनुसार पहुंचती है या सीमेंट की सप्लाई जिले में इत्तफाकिया होती है ?

श्री बनारसी दास—जिले का जितना कोटा नियत है योजना के अनुसार ही पहुंचता ह । उसका वितरण जैसा कि अभी बतलाया गया है, कमेटी की सलाह के अनुसार होता है ।

श्री शिवराजसिंह यादव—जिले में सीमेंट देने की जो सरकारी योजना है उसकी कोई अवधि है और है तो वह क्या है ?

श्री बनारसी दास—प्रत्येक जिले के अन्दर कोटा त्रैमासिक निश्चित होता है और उसी के अनुसार कोटा पहुंचता है ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सीमेंट का वितरण जनसंख्या के अनुसार होता है या आवश्यकता के अनुसार ?

श्री बनारसी दास—दोनों के अनुसार ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस वितरण सलाहकार समिति के कितने-कितने और कौन-कौन सदस्य हैं और उसकी मीटिंग कब-कब होती है ?

श्री बनारसी दास—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके प्रेसीडेन्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर उसके कनवीनर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर की तरफ से, ग्रामसभाओं के प्रधान, स्वशासन संस्थाओं के चेयरमैन, विधान सभा के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। यही सब उसमें होते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से जिलों में इस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुयी है ?

श्री बनारसी दास—हो सकता है लेकिन इस तरह की कोई शिकायत यहां प्राप्त नहीं हुयी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गृह निर्माण समितियां केवल शहरों और कस्बों के लिए ही हैं और वे देहातों के लिए क्यों नहीं है जहां सोमेंट की बहुत आवश्यकता है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, वे समितियां तमाम जिले के लिए हैं ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि देहाती क्षेत्र में सोमेंट बहुत कम मिल रहा है और यदि यह सही है तो क्या सरकार सोचती है कि पंचायतों द्वारा देहाती क्षेत्रों में वितरण किया जाय ?

श्री बनारसी दास—यह ठीक नहीं है, देहातों में विशेष रूप से प्लानिंग विभाग द्वारा सीमेंट वितरण होता है । इसके अतिरिक्त सलाहकार समितियों को अधिकार है और कोई पाबन्दी देहाती रकबे और शहरी रकबे में वितरण के सम्बन्ध में नहीं है, यदि सलाहकार समितियां चाहें तो वह घनी मात्रा में देहातों में उसका वितरण करा सकती हैं और वह आवश्यकता के अनुसार कार्य करती हैं ।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को पता है कि सीमेंट की ज्यादातर दुकानें शहरों में हैं और देहातों के लोगों को जिनको कोटा मिलता है उनको शहर से देहात तक सीमेंट ले जाने में बड़ा कष्ट होता है ?

श्री बनारसी दास—दुकानें तो करीब करीब सब शहरों में होती हैं लेकिन यह सही नहीं है कि तकलीफ होती है। देहातों में हर जगह बाजार लगते हैं और ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए शहरों में बाजारों में आते हैं और हर जगह पर सीमेंट के स्टाकिस्ट तो हो नहीं सकते।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार सीमेंट का कंट्रोल हटाने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—इसका सम्बन्ध तो केन्द्रीय सरकार से है और इस मसले पर प्रांतीय सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है।

अल्मोड़ा जिले की चम्पावत तथा पिठौरागढ़ तहसीलों में नमक का वितरण और उसके इंपोर्टर्स

*४०—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा के चम्पावत व पिठौरागढ़ तहसीलों में नमक की बड़ी कमी है?

श्री बनारसी दास—अल्मोड़ा जिले के चम्पावत तथा पिठौरागढ़ तहसीलों में नमक की कोई कमी नहीं है। तारीख १ अप्रैल, १९५४ ई० को तहसील के इम्पोर्टरों के पास ९० वैगन नमक था जबकि उनकी मासिक आवश्यकता ७ वैगन ही है।

*४१—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों को शीघ्रातिशीघ्र नमक भेजने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—नैपाल के सीमान्त क्षेत्रों से नमक की अत्यधिक मांग के कारण इस क्षेत्र के नमक की पूर्ति पर अधिक प्रभाव रहा है। इस कारण तथा इन तहसीलों के लिए निर्धारित कोटे का कुछ भाग आयात न होने के कारण १५ वैगन नमक की अतिरिक्त पूर्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिक्ति और भी नमक इस क्षेत्र में आयात के लिए दिया जा रहा है परन्तु इस समय इस व्यवसाय में रुपया लगाने के इच्छुक व्यापारी नहीं मिल रहे हैं।

*४२—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—क्या सरकार नमक वितरण सहकारी संघों द्वारा करवाने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—चम्पावत तथा पिठौरागढ़ तहसीलों में नमक का वितरण सहकारी संघों द्वारा होता है यद्यपि उन स्थानों पर जहां सहकारी संघ काम नहीं कर रहे हैं कुछ व्यक्तिगत नियुक्तियां भी की गयी हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को विदित है कि कई स्थानीय अखबारों में और जनता के प्रार्थनापत्रों में वहां नमक न मिलने के विषय में सरकार के पास लिख कर शिकायत की गयी है कि वहां नमक का कष्ट है?

श्री बनारसी दास—इसकी शिकायत हुयी और उसकी जांच करने के लिए वहां डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया था और उससे मालूम हुआ कि वास्तव में वहां नमक की कमी नहीं है लेकिन उसके इम्पोर्टर्स टनकपुर में रहते हैं इसलिए उसके वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है और इसके अलावा वहां से नमक काफी तादाद में नैपाल को चला जाता था और इसी सबब से वहां कमी हो जाती थी, लेकिन अब इस बात की कोशिश की गयी है कि वह नैपाल न जाने पाये और आशा है कि अब वहां नमक की कमी न होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार को विदित है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ चार आने का नमक दिया जाता है जबकि दो-दो दिन तक पैदल चल कर लोगों को बाजार तक नमक खरीदने के लिए आना पड़ता है ?

श्री बनारसी दास---वहां राशन कार्ड पर प्रत्येक व्यक्ति को नमक दिया जाता है और इसके अलावा प्रत्येक ग्राम सभा के सभापति के पास १ बोरी नमक दे दिया गया है, जो आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक को दे सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार को विदित है कि वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास पर्याप्त मात्रा में धन है और वे नमक को खरीद सकती हैं ?

श्री बनारसी दास---अभी इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि वहां कुछ जिन संघों को आयात करने की इजाजत दे रखी है उनके पास रुपये की कुछ कठिनाई है इसलिये अतिरिक्त जो नमक मंगाना चाहते थे उसमें देर हो गयी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चम्पावत-पिठौरागढ़ तहसील में नमक वितरण के सरकारी केन्द्र कितने हैं ?

श्री बनारसी दास---वहां इम्पोर्टर्स के पास उनके मातहत सहकारी समितियां हैं जो नमक का वितरण करती हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि उस इलाके के विधान सभा के सदस्य ने सरकार से प्रार्थना की थी कि नमक का वितरण वहां की कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाय बजाय किसी इंडिविजुअल के ?

श्री बनारसी दास---यह उत्तर तो दिया जा चुका है कि वहां अब भी कोआपरेटिव फेडरेशन इम्पोर्ट करता है और वहां का वितरण उनके मातहत कोआपरेटिव सोसाइटीज ही करती हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या वहां नमक का वितरण सिर्फ एक आदमी की मानोपली है जो पिछले कई सालों से दी गयी है और उसकी वजह से वहां की सारी जनता को बहुत कष्ट है ?

श्री बनारसी दास---ऐसा नहीं है । वहां पर तीन इम्पोर्टर्स नमक के वितरण का काम करते हैं ।

(१) कुमायूं कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन पिठौरागढ़ ब्रांच ।

(२) श्री जयदत्त लोहानी पिठौरागढ़ ।

(३) कोआपरेटिव सोसाइटी लोहाघाट ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या यह व्यक्ति विशेष का नाम जो लिया गया उससे इस तरीके से वितरण होने पर प्रजा में बहुत असंतोष है और जनता वहां की चाहती है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से यह काम करवाया जाय ?

श्री बनारसी दास---इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि वहां की कोआपरेटिव सोसाइटी छोटी है अभी जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर और भी नमक विशेष मंगाना चाहते थे लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास रुपया नहीं था और नहीं मंगाया जा सका और केवल एक आदमी को इसीलिये रखा गया जब कि कोआपरेटिव सोसाइटीज इस कार्य को करने में असमर्थ पाई गयी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह सही है कि वह विशेष व्यक्ति जिसको नमक बेचने का अधिकार पिठौरागढ़ में दिया गया है उसके खिलाफ नैपाल को नमक स्मगिल करने की शिकायत सरकार के पास आयी है ?

श्री बनारसी दास--इस प्रकार की तो कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने नमक नैपाल भेजा लेकिन यह शिकायत जरूर मिली है कि वहां जितना नमक जाता है उसमें से काफी मात्रा में नैपाल में चला जाता है। अब आया इन्हीं इम्पोर्टर के द्वारा जाता है या नहीं, यह अभी बताना कठिन है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि नमक का वितरण बजाय इस इंडिविजुएल के कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही करावे ताकि इस बात का अन्दाजा लगाया जा सके और वहां से नमक नैपाल को स्मगिल न हो पावे ?

श्री बनारसी दास--इस पर विचार कर लिया जायगा कि आया जिस व्यक्ति को इम्पोर्टर नियुक्त किया गया है बेसिक इयर में उसका इस नमक का बिजिनेस था या नहीं था या इसको विशेष परिस्थिति के अन्दर नियुक्त किया गया है और अगर विशेष परिस्थिति के अन्दर है तो कोआपरेटिव सोसाइटीज इस काम के लिये तैयार होतीं तो उनसे इस काम को लिया जा सकता था और वे नहीं तैयार हुयी तो अब क्या किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि यह विशेष व्यक्ति इस काम को कर रहा है उसको भी कर्ज के रूप में धनराशि कोआपरेटिव सोसाइटी से दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी कोई सूचना नहीं है।

*४३--**श्री लाल बहादुर सिंह** (जिला जौनपुर)--[४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

होम्योपैथिक डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन

*४४--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक डाक्टरों को रजिस्टर्ड किये जाने की व्यवस्था कब तक आरम्भ हो सकेगी ?

श्री बनारसी दास--होम्योपैथिक डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन का काम शीघ्र ही आरम्भ होगा।

श्री पातीराम--क्या सरकार मेडिकल कालेज की तरह कोई होमियोपैथिक कालेज भी खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, अच्छा तो है कि इस तरह का एक होम्योपैथिक कालेज खुल सके लेकिन आर्थिक कठिनाई की वजह से अभी नहीं कहा जा सकता कि कब इसकी स्थापना हो सकेगी।

श्री पाती राम--जो सरकार यह मौजूदा डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन करा रही है वह किसी असोसियेशन के जरिये से कराने का बिचार रखती है या डाइरेक्ट ?

श्री बनारसी दास--इसके लिए जो होम्योपैथिक ऐक्ट बनाया गया है उसके अनुसार बोर्ड है और उसी के अन्दर नियम बनाये गये हैं कि जो लोग सन् १९५२ में होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते थे और उन्हें उससे पहले पांच सालों का अनुभव था और उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है तो उनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक सरकार के पास होम्योपैथिक डाक्टरों के कितने प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुके हैं ?

श्री बनारसी दास---अभी इसका प्रश्न ही नहीं है। मई के महीने में जो इसके अधिनियम हैं वह गजट के अन्दर प्रकाशित होंगे और उसके बाद १ वर्ष की अवधि होगी जिसके अन्दर वह लोग रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकेंगे।

*४५---**श्री पातीराम**---[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बस्ती के वानपुर अस्पताल में आपरेशन एवं मरीजों की संख्या तथा वार्ड बनवाने की आवश्यकता

*४६---**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में वानपुर अस्पताल के अन्दर पिछले दो वर्षों में कितने आपरेशन हुये और कितने मरीजों की दवा की गयी ?

श्री बनारसी दास---

साल	आपरेशन	मरीजों की संख्या जिनको दवा दी गयी
१९५२	३४०	११५१४
१९५३	५३३	१४१६१

*४७---**श्री राम लाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अस्पताल में मरीजों के ठहरने के लिये वार्ड बनाने के हेतु वहां की जनता की मांग और किसान मजदूर सम्मेलन का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या फैसला किया ?

श्री बनारसी दास---जी हां। अस्पताल जिला बोर्ड का है। वार्ड बनवाने के लिए ग्रान्ट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम लाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की किस वर्ष ग्रान्ट स्वीकार हो जायगी ?

श्री बनारसी दास---इस पर विचार किया जा रहा है। जिला बोर्डसे पूछा गया है कि अगर वार्ड बन जाय तो उसके बाद में जो ज्यादा खर्चा होगा उस रेकरिंग खर्चे को बरदाश्त करने के लिये वह तैयार होंगे। अभी तक बोर्ड का जवाब नहीं आया है, इसलिये उनका जवाब आने के बाद निर्णय किया जायगा कि ग्रान्ट दी जाय।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपरेशनों और मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये इस अस्पताल को सरकार अपने अधीन लेने के लिये तैयार है ?

श्री बनारसी दास---अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन अन्य अस्पतालों का जिनका प्रान्तीयकरण होता है उसके लिये इस बात पर भी विचार किया जाता है कि जितना व्यय जिला बोर्ड उस पर कर रहा है, वह आगे भी देता रहे।

श्री शिव नारायण---क्या सरकार को मालूम है कि इस इलाके में घेघे की बीमारी का ज्यादा जोर है और उसके लिये आपरेशन का जो वार्ड है उसको सरकार बनवा देने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि जिला बोर्ड के प्रधान से पूछा गया है कि वार्ड बनने के बाद जो रिकरिंग खर्चा होगा बोर्ड उसको बरदाश्त कर सकेगा या नहीं। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। उत्तर आने के बाद यह निर्णय किया जायगा कि सरकार कितना ग्रान्ट वार्ड के बनवाने के लिये दे।

*४८---**श्री राम लाल**---[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर जिले में बढ़ापुर, सहसपुर, कासमपुर गढ़ी और सड़कड़े को टाउन एरिया न बनाने के कारण

*४९---**श्री रतन लाल जैन** (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह बिजनौर जिले में ग्राम बढ़ापुर, सहसपुर, कासमपुरगढ़ी व सड़कड़े में टाउन एरिया बनाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं। बिजनौर जिले के बढ़ापुर और सहसपुर ग्रामों को टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था, किन्तु टाउन एरिया ऐक्ट के अधीन इन स्थानों में इतनी पर्याप्त आय होने की सम्भावना नहीं पाई जाती कि वहां टाउन एरिया कमेटियां अपने कर्त्तव्यों का समुचित पालन कर सकें। इसी कारण से तथा जनसंख्या कम होने के कारण भी कासमपुरगढ़ी और सड़कड़े में टाउन एरिया घोषित करना सरकार ने उचित नहीं समझा।

श्री रतन लाल जैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ग्राम बढ़ापुर, कासमपुरगढ़ी, सहसपुर व सड़कड़े की जनसंख्या अलग-अलग कितनी है?

श्री मोहनलाल गौतम---सहसपुर की जनसंख्या ७,६२६ है। बढ़ापुर की जनसंख्या ५,९५९ है और दूसरे स्थानों की जनसंख्या बहुत कम है।

श्री रतन लाल जैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि कितनी आमदनी पर टाउन एरिया बनाया जाता है?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय जो अनुमान किया गया उसके अनुसार उनकी आमदनी लगभग दो हजार रुपये समझी गयी। आठ दस हजार रुपये से कम की आमदनी पर टाउन एरिया बनाने पर काम ठीक तौर से नहीं चल सकेगा, यह मेरा अन्दाज है।

श्री रतन लाल जैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि किस सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से यह जांच करायी गयी कि बढ़ापुर आदि स्थानों में पर्याप्त आय नहीं होगी जिससे टाउन एरिया कमेटी अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन कर सके?

श्री मोहन लाल गौतम---जैसा तरीका है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी जाती है और जो इस वक्त नोट है जिसके अनुसार वह टाउन एरिया नहीं बनाये गये उसमें यह लिखा हुआ है कि वहां की अनुमानित आय दो हजार थी, इसलिये वहां टाउन एरिया नहीं बनाये गये।

*५०-५१---**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)---[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

वनस्पती घी में रंग मिलाने का प्रश्न

*५२---**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बनस्पति घी में रंग मिलाने के प्रश्न पर कोई प्रगति हुई है?

श्री बनारसी दास--बनस्पति घी में रंग मिलाने के लिये अभी तक कोई पक्का तथा निर्दोष रंग नहीं उपलब्ध हो सका है। खोज जारी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वनस्पति घी में ऐसा रंग जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद न हो निकालने के लिये कोई इनाम सरकार ने देना निश्चित किया है?

श्री बनारसी दास--जी हां, दस हजार रुपये के इनाम की घोषणा इसी सदन में स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा की गयी है।

घी तथा कड़ुवे तेल के एसेन्स के उपयोग पर रोक

*५३--**श्री मदनगोपाल वैद्य**--क्या सरकार प्रदेश में घी तथा कड़ुवे तेल के एसेन्स के उपयोग को रोकने पर विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास--यू० पी० शुद्ध खाद्य अधिनियम १९५० के अधीन प्रस्तुत यू० पी० शुद्ध खाद्य नियमावली, १९५२ के अन्तर्गत घी तथा कड़ुवे तेल के एसेन्स का उपयोग पहले ही से निषिद्ध है।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने घी और कड़ुवे तेल के एसेन्स को किन्हीं बाजारों में जब्त किया है?

श्री बनारसी दास--जी हां। इस सम्बन्ध में प्रत्येक को लाइसेन्स लेना पड़ता है और उसके लिये हर मास रिपोर्ट भी आती है, लाइसेन्स दिये जाते हैं और पब्लिक एनासिल्ट के पास वह भेजी जाती है।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफ़ारिश करेगी कि घी और कड़ुवे तेल के एसेन्स को आयात करने की इजाजत न दे?

श्री बनारसी दास--यह तो आल इंडिया का विषय है, केन्द्रीय सरकार स्वयं इस पर विचार कर रही है।

*५४--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

टाऊन एरिया कमेटी बेवर, जिला मैनपुरी के विरुद्ध शिकायती स्मृतिपत्र

*५५--**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को बेवर टाउन एरिया (मैनपुरी) के इन्तजाम के बारे में कोई शिकायती स्मृतिपत्र मिला है? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मोहन लाल गौतम--टाउन एरिया कमेटी, बेवर द्वारा लगाये गये टौल टैक्स के विरोध में सरकार के पास शिकायतें आई हैं। परन्तु सरकार इस सम्बन्ध में इस समय कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेटी के विरुद्ध मुक़दमा चलाया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

*५६-५८--**श्री किशन स्वरूप भटनागर** (जिला बुलन्दशहर)--[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

खारागोड़ा नमक का वितरण

*५९--**श्री भोला सिंह यादव** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन किन जिलों में खारागोड़ा नमक दिया जाता है और किन जिलों में नहीं दिया जाता?

श्री बनारसी दास--इस वर्ष उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित २४ जिलों को खारा-गोड़ा नमक दिया जा रहा है :--

देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, रामपुर और बरेली।

२--प्रदेश में बाक़ी जिले अन्य स्रोतों से नमक मंगाते हैं।

श्री भोला सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों को खारागोड़ा नमक नहीं मिलता है अगर वे मंगाना चाहें तो उनको मंगाने की इजाजत दी जायगी ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। इसके लिये एक ज़ोनल योजना है जिसके अनुसार एक ज़ोन के अन्दर एक ही क़िस्म का नमक आ सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन जिलों में जहां खारागोड़ा नमक नहीं दिया जाता वहां कौन सा नमक दिया जाता है।

श्री बनारसी दास--उनके लिये जो अन्य जरिये हैं वहां से दिया जाता है, जैसे सांभर के इलाके से, घरन्धरा से और इसके अलावा कांडला से भी नमक आता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मुज़फ़्फ़रनगर जिला निवासियों के कई प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में आये कि उनके जिले में जो पूर्व से भेजा जाने वाला खारागोड़ा नमक है वही भेजा जाय ?

श्री बनारसी दास--जी हां, यह सही है। लेकिन इसमें ज़ोनों के अन्दर जो विभाजन होता है उसके अन्दर मुज़फ़्फ़रनगर नहीं रखा जा सकता। इसके लिये तो साल्ट कमिश्नर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री और प्रान्तीय सरकार से सलाह मशविरा करके निर्णय करते हैं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि खारागोड़ा नमक साधारण नमक से सस्ता और फायदेमन्द होता है ?

श्री बनारसी दास--यह तो सही है कि जहां तक सस्ते का सवाल है वह जिस स्थान से आता है उसकी दूरी और किराये आदि पर निर्भर होता है। लेकिन अच्छा तो है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री कमला सिंह--तो फिर कलकत्ता के क़रीब जो गाजीपुर वगैरह जिले पड़ते हैं उनको यह खारागोड़ा नमक क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास--कलकत्ते से कोई नमक हमारे प्रान्त में नहीं आ रहा है।

श्री गेंदा सिंह--क्या यह सही है कि जिन जिलों में खारागोड़ा नमक लाने की इजाजत नहीं दी गयी है वहां पर नमक की कमी है ?

श्री बनारसी दास--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खारागोड़ा नमक उन जिलों को ज्यादा दिया जाता है जहां चमड़े का उद्योग होता है ?

श्री बनारसी दास--इसका उस नमक से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां चमड़े को साफ करने का काम होता है उसका कोटा, अलग है और वह इंडस्ट्रियल विभाग के द्वारा दिया जाता है।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार को कुछ सेंधा नमक भी मिलता है?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री अब्दुल मुइज खां--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इमर्जेंसी केसेज में खारागोड़ा नमक भेजा जा सकता है?

श्री बनारसी दास--जी हां, अगर कहीं पर नमक की कमी हो तो विशेष रूप से सरकार इस बात का प्रबन्ध कर सकती है कि बाहर से भी नमक मंगाया जा सके।

*६०--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--[२१ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६१--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

अपाहिज भिखारियों के लिये खाने और रहने की व्यवस्था

*६२--श्री पाती राम--क्या सरकार अपाहिज भिखारियों के लिये म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा उनके रहने और खाने की व्यवस्था की योजना पर कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ८ (१) (बी) के अन्तर्गत यह कार्य बोर्डों की इच्छा पर निर्भर है।

श्री पाती राम--क्या सरकार इन बोर्डों के नाम बताने की कृपा करेगी कि जो इस धारा के मुताबिक प्रबंध कर रहे हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--इसकी सूचना चाहिये।

श्री पाती राम--क्या सरकार इस किस्म का प्रबन्ध करने जा रही है कि सारे बोर्डों को किसी जी० ओ० के मुताबिक प्रबन्ध करने की आज्ञा प्रदान करे?

श्री मोहन लाल गौतम--अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार को मालूम है कि ग़रीब और अपाहिज लोग शहरों में ज्यादातर गर्मी और बरसात की रातें फुटपाथ पर ही काटते हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव ने बैगर्स होम के संबंध में एक योजना बनायी थी, उसका क्या किया जा रहा है?

श्री मोहन लाल गौतम--इस प्रकार की सब स्कीमें म्युनिसिपल बोर्ड के सामने हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उनकी आर्थिक अवस्था आज्ञा देती है कि नहीं।

*६३--श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)--[२६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

चौबेपुर (बनारस) के चिकित्सा भवन का निर्माण तथा उसके लिए जमा धन

*६४--श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस)--क्या सरकार को ज्ञात है कि अब तक चौबेपुर (बनारस) का वह चिकित्सा भवन नहीं बना जिसके लिये सामूहिक जुर्माना तथा चन्दे का रुपया बनारस के जिलाधीश के कोष में जमा है?

श्री बनारसी दास--जी हां।

*६५--श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार निकट भविष्य में उस चिकित्सा भवन को बनवाने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया जिलाधीश के कोष में कितने दिनों से जमा है?

श्री बनारसी दास--यह रुपया काफी समय से जमा है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जुर्माने की और चंदे की कुल कितनी रक़म है?

श्री बनारसी दास--कुल का तो पता नहीं है। लेकिन स्थानीय कमेटी ने चिकित्सालय के लिये ८००० रुपये की रक़म स्वीकार की है।

श्री गेंदा सिंह--यह रुपया आज तक चिकित्सालय पर खर्च नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है?

श्री बनारसी दास--वहाँ पर एक व्यक्तिगत चिकित्सालय चलता है और एक राजकीय चिकित्सालय चलता है। सरकार चाहती है कि यह रुपया राजकीय चिकित्सालय पर ही खर्च हो। किसी व्यक्तिगत चिकित्सालय पर खर्च न हो। इसीलिये देरी हुई। अब यह आदेश दिये गये हैं कि राजकीय चिकित्सालय के बनाने में यह खर्चा हो।

श्री देव मूर्ति राम (जिला बनारस)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनारस ने इस इमारत को बनवाने में अब तक कौन कौन कार्यवाही की है?

श्री बनारसी दास--अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन बनाना शीघ्र चालू होने वाला है।

श्री बलदेव सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कब तक बन जायगा?

श्री बनारसी दास--इसके लिये मैं नहीं कह सकता कि यह कब तक बनेगा। लेकिन काम जल्दी ही शुरू हो जायगा।

श्री देव मूर्ति राम--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बनारस जिले में इसी मद का बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है। इसकी तरफ क्या कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास--अगर आप कोई डेफीनिट सूचना दें तो मालूमात करके बताया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

श्री नागेश्वर द्विवेदी--[१६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में अग्नि से कुछ मकानों के जल जाने के विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामसुभग वर्मा जी ने भेजा है। उनके पास एक तार पहुंचा, वह मैं सदन को इसलिये सुना देना चाहता हूं कि जिससे यह मालूम हो जाय कि किस किस विषय में काम-रोको प्रस्ताव पेश किये जाते हैं—

"TWO HUNDRED HOUSES OF KHESARI GIDIHA KASIA TOTALLY BURNT LOSS ESTIMATED FIFTY THOUSANDS MOVE AUTHORITIES PROMPT HELP."

माननीय सदस्य को तार यह आया कि अथारिटीज के पास उस संबंध में चाराजोई की जाय जिससे उनकी मदद के लिये वह कार्य करें, परन्तु सदस्य द्वारा इसके लिये काम-रोको प्रस्ताव यहां पेश हो गया। बजाय इसके कि सरकार से कहा जाय कि मदद करो, सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ऐसा मान कर उसके ऊपर काम-रोको प्रस्ताव भेज दिया।

यह मैंने इसलिये जिक्र किया कि यह बहुत ही अवैध है। इस तरह के छोटे-छोटे प्रश्नों पर जब ऐसी बात आवे कि पहले कार्यवाही न कर के काम रोको प्रस्ताव सदन के सम्मुख लाया जाय तो मैं इसको आवश्यक भी नहीं समझता हूं और चूंकि तार के ऊपर ही सिर्फ इस प्रस्ताव की कार्यवाही हो रही है इसलिये यह निश्चित भी नहीं है और इतने महत्व का भी नहीं है कि जिसके ऊपर यहां विचार किया जाय। मैंने इसलिये आगाह कर दिया कि आइंदा अगर इस किस्म का कोई काम रोको प्रस्ताव आयेगा तो मैं उसका खुलासे में जिक्र न करते हुये यह कह दूंगा कि फलां साहब का ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया था और उसको मैं अवैध करार देता हूं।

इतना ही कह कर आगाह कर देना चाहता हूं।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता था कि ऐसे-काम रोको प्रस्ताव जो सदन में विचार के लिये उपस्थित किये जाते हैं, क्या उनका सदन में उल्लेख करना अनिवार्य है?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, अनिवार्य तो नहीं है; लेकिन मुझे, सदन की क्या भावना है, क्या इच्छा है इसकी कल्पना रहती है और उन भावनाओं के साथ मुझे भी अपनी भावनाओं को बनाना पड़ता है। क्योंकि मैं, सदन की जो अपेक्षा है उसके अनुसार ही कार्य करने के लिये यहां बैठा हूं। मैं यह जानता हूं कि अगर मैं उल्लेख न करूं, दो चार या पांच दफा, तो यह ग़लत-फहमी किसी माननीय सदस्य को हो सकती है कि हमारा बड़ा महत्व का प्रश्न था, तिस पर भी नहीं लिया गया। मैं खुद ही यह कर सकता हूं कि मैं इसका जिक्र न करूं, लेकिन चूंकि यह पहली बार रामसुभग जो इस तरह का प्रस्ताव लाये हैं जिसका उनको अनुभव नहीं था, इस ख्याल से उनके प्रस्ताव के संबंध में मैंने इतना जिक्र कर दिया और तार को पढ़ भी दिया, जिसमें वह समझ जायं। लेकिन आइंदा, इस किस्म के तार या प्रस्ताव पढ़ने की मैं कार्यवाही नहीं करूंगा।

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

*खण्ड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहे।

माननीय गजेन्द्र सिंह जी, आप संशोधित संशोधन पेश कर दें।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-A की उपधारा (*i*) के बाद निम्नलिखित उपधारा (*ii*) के रूप में रख दी जाय :--

(*ii*) "has been fined or imprisoned for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U, P. Control of Supplies (Temporary powers) Act, 1947."

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं उनके संशोधन का आशय यह है कि जिस तरह मारलटर्पीच्यूड में सजा पाये हुए व्यक्ति पंचायत के चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाइड समझे जायं, उसी तरह चोरबाजारी में और सिविल सप्लाइज ऐक्ट के मुताबिक सजा पाये हुये आदमी भी डिस्क्वालीफाइड समझे जायं। इस सम्बन्ध में कल अनेक माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये थे और माननीय कृपा शंकर जी ने भी अपना भाषण कल सदन के सामने इस सम्बन्ध में दिया था और सुझाव प्रस्तुत किये थे मैंने उन्हें बड़े गौर से सुना था। माननीय कृपाशंकर ने अपने भाषण के दौरान में चोरबाजारी या सिविल सप्लाईज ऐक्ट के मुताबिक सजा पाये हुए लोगों के बारे में यह कहा था कि बड़े क्रिटिकल मूमेंट में उन्होंने ऐसा किया था। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने कल इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी मैं यह समझता हूं कि १०९ और ११० के सजा पाये हुए लोग या जमानत मुचलका देने वाले लोग पंचायत के चुनाव में डिस्क्वालीफाइड समझे जायेंगे इस विधेयक के अनुसार, लेकिन १०९ और ११० के अधीन सन्देहात्मक क्रिमिनल ऐक्टिविटीज के लिए ही कोई सजा प्राप्त करता है या जमानत मुचलका देता है किन्तु मेरा यह दावा है कि ब्लैक मार्केटिंग में योग देने वाले या सिविल सप्लाइज ऐक्ट के मुताबिक सजा पाये हुये लोग अपने प्रांत में बहुत कम हैं जबकि उस जमाने में सन् ४७ से लेकर आगे के जमाने में इस तरह के कार्य करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गयी थी और मैं ऐसा समझता हूं कि १०९, ११० और यहां तक कि ३०२ में सजा पाये हुए लोगों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देने की इन लोगों के ऊपर है जिन्होंने कि ब्लैक मार्केटिंग की है या इसमें सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की तरफ ले जाऊं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि उस जमाने में लोगों ने अपने बच्चों को जो मृत्यु को प्राप्त हो गये कफन के अभाव में वैसे ही गाड़ दिया। मुर्दों के लिए लोगों को कफन तक नहीं मिला, उस जमाने में हमने यह भी देखा कि दवाइयों के अभाव में, पेंसिलीन के अभाव में लोगों ने तड़प-तड़प कर जानें दीं इसी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, हमने यह भी देखा कि सीमा पर के जिलों में जो कि हमारे यहां के पूर्वी जिले हैं वहां से मक्का चोरबाजारी के जरिये लोगों ने बिहार में भेजना प्रारम्भ किया और वहां ४० से ५८ रुपये मन तक में वह मक्का बेचा

---

†संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

*२७ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

और आज भी वह भेज रहे हैं जिसके अभाव में देहाती जनता जो मोटे अन्न का प्रयोग करती है वह उससे वंचित रही। चार चार आने मजदूरी पर हजारों की संख्या में लोगों को टेस्ट वर्क में काम करना पड़ा। जिसकी चर्चा माननीय गेंदा सिंह तथा अन्य लोगों ने इस सदन में अनेक बार की है। मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही आवश्यक संशोधन है। आज गांवों में, जिन लोगों ने चोरबाजारी की है, उन्होंने अपने गांवों में कुछ अच्छा स्थान बना भी लिया है। उसका कारण भी है जो कि मैं प्रस्तुत करता हूं। जो लोग यू० पी० से बिहार में चोरबाजारी किया करते थे या कर रहे हैं वह अपने गांव में दूसरे लोगों को जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वह बिहार में जो वस्तुएं और सामान मंहगे मिलते हैं उनको यू० पी० से ले जाकर वहां बेचें। मैंने माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनारसी दास जी का ध्यान जब वह देवरिया में एक बार राजकीय विद्यालय में गये थे इधर आकर्षित किया था। मैंने इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० को भी लिखा है कि यू० पी० के बाजारों में मकई जो ४० और ३२ रुपए में बिकती है वही बिहार में ५८ और ६० रु० में बिकती है। मैं यह कह रहा था कि कुछ लोग जो कि चोरबाजारी करते हैं अपने गांव में, समाज में इसलिए अच्छा स्थान बना लेते हैं कि दूसरे लोगों को जो गरीब हैं, चोरबाजारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसके अलावा जिनके पास बैलगाड़ियां आदि हैं उनको अधिक मुनाफा देकर इस काम में उपयोग करते हैं। इस तरह से वह लोग गांव में अपना अच्छा स्थान बना लेते हैं। इसलिए अगर इस संशोधन को नहीं माना जायगा तो वह व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक कुकर्म किये हैं, जिनके कारण देश का नैतिक स्तर गिरा है जिन्होंने लोगों को चोरबाजारी की तरफ झुकने के लिए आमादा किया है, जिन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को चोरबाजारी में बिकने वाले सामानों को खरीदने के लिए मजबूर किया है, अगर वह गांव समाज में घुस गये तो वह अपने व्यक्तिगत लाभों की बातें करेंगे और गांव समाज में जो तमाम जन सम्पत्ति आने वाली है उसका दुरुपयोग होगा और वह लोग जो गरीब हैं, खेतिहर मजदूर हैं या वह लोग जिनके लिए जमींदारी विनाश के बाद जो क़ानून बना है उससे लाभ होने वाला है उनको वह लाभ नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देकर इसको स्वीकार करेंगे।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अभी बीच में कुछ गजेन्द्र सिंह जी ने पढ़ा। मैं उसको ठीक सुन नहीं सका।

श्री अध्यक्ष---मैं आपके पास भेजवा देता हूं। मैं उसे पढ़कर तो अभी सुनाये ही देता हूं।

"Has been fined or imprisoned for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act. 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary powers) Act, 1947."

मैं आपके पास भेजवा देता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी राय दे दूं जिससे ज्यादा बहस न हो।

बात यह है कि यह जो अमेंडेड शक्ल में संशोधन आया है वह म्युनिसिपल ऐक्ट में सदन खुद मंजूर कर चुका है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो भाषा वही रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री कृपा करके उसे सुना दें।

श्री मोहन लाल गौतम---"has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947."

जहां तक 'ज' के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है वह दूसरे सबक्लाज में आ गया है उसमें मारल टरपीट्यूड और १०९, और ११० की बातें हैं। वह इस बिल में अलग आ गयी है, मारल टरपीट्यूड आगया है 'बी' में और 'आई' में आगया है १०९, और ११०। 'बी' और 'आई' में दूसरा हिस्सा कवर हो जाता है। इसलिए, '१९४७' तक रख दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---क्या यह स्वीकार है?

श्री कमला सिंह---जी हां, हमें स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---उसे अमेंडेड फार्म में फिर आप कृपा करके मेरे पास भेज दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रक्खा गया है वह जैसा कि म्युनिसिपल ऐक्ट और टाउन एरिया अमेंडमेंट ऐक्ट जो प्रतिबन्ध है ठीक वैसा ही है। फर्क केवल यह है कि जो उपस्थित विधेयक है मारेल टरपीट्यूड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०९ और ११० से संबंधित अयोग्यता अलग है और उपर्युक्त अधिनियम में वह कंट्रोल ऐक्ट से सम्बन्धित अयोग्यता के साथ मिला दी जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर उसी शक्ल में स्वीकार है जिस शक्ल में माननीय मंत्री जी चाहते हैं तब तो ठीक है। अगर उस शकल में स्वीकार नहीं है तो मैं माननीय कमला सिंह जी को भाषण जारी करने को कहूंगा। श्री गजेन्द्र सिंह, जी आप उसे स्वीकार करते हैं या नहीं?

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैंने अपना संशोधन दिया है और जो बात माननीय मंत्री जी ने अभी हम लोगों के सामने रक्खी उसमें थोड़ा ही फर्क है। इसलिए जो मेरा संशोधन है उसे उन्हें मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं मैं बहस करने को नहीं कह रहा हूं आप यह बतलायें कि इसमें क्या फर्क है फर्क तो इसमें स्पष्ट दिखायी देता है

श्री रामनारायण त्रिपाठी---पहले माननीय मंत्री जी से पूछ लिया जाय कि उनको हमारा संशोधन स्वीकार है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री, आपको उसी शक्ल मे स्वीकार है या माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करने को आप तैयार है?

श्री मोहनलाल गौतम---हाउस ने जो पहले यूनानिमसली स्वीकार किया है उसी को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह---हमें भी उसी रूप में स्वीकार है जिस रूप में हमने संशोधन रक्खा है।

श्री अध्यक्ष---जिस रूप में माननीय मंत्री जी को संशोधन स्वीकार है अगर उस रूप में संशोधन आ जायगा तो मैं उसे उपस्थित करने की स्वीकृति दे दूंगा।

*श्री कमला सिह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नई धारा माननीय गजेन्द्र सिह जी ने इस सम्बन्ध में रक्खी और म्युनिसिपल ऐक्ट में जो धारा रक्खी गयी थी उसमें और इसमें एक डिफेरेंस है कि उसमें वह व्यक्ति अयोग्य माना गया है जिसको सिक्स मंथ्स या मोर दैन सिक्स मंथ्स के लिए इंप्रीजनमेंट हो गया हो। जहां तक विचारधारा का सम्बन्ध है चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, सब लोग इस बात को मानते हैं कि जितने ब्लैक मार्केटियर्स हैं या जिन लोगों ने सप्लाई ऐक्ट की धाराओं को ब्रीच किया है ऐसे लोगों को मौका न दिया जाय कि पंचायतों के अन्दर वे कोई आफिस होल्ड कर सकें। जहां तक विचार-धारा का सम्बन्ध है इसमें सब लोग एक मत हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का डिफरेंस दोनों पार्टीज में है कि सिक्स मंथ्स के ऊपर जिनको सजा दी गयी है उनको मौका न दिया जाय या सभी को चाहे उसको एक दिन की सजा दी गयी हो मौका न दिया जाय। हम लोगों का तो यह विचार है कि कोई भी आदमी जो ला का ब्रीच करता है उसको चाहे सिक्स मंथ्स की सजा मिली हो या कम, उस आदमी को मौका न दिया जाय कि वह पंचायत में कोई आफिस होल्ड कर सके। हर आदमी को एक ही सिद्धांत के मुताबिक मौका मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं गजेन्द्र सिह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, जो कि सदन के सामने प्रस्तुत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी गजेन्द्र सिह जी ने जो संशोधन रक्खा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो सुझाव पिछले म्युनिसिपल बोर्ड के संशोधन विधेयक में किया था उसके सम्बन्ध में दिया है उसमें और इसमें महान् अन्तर है। म्युनिसिपल बोर्ड को उसके चुनाव के लिये खड़ा होने वाले उम्मीदवार और गांव पंचायत के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार में बड़ा अन्तर है। म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया में खड़े होने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनमें शहर के रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी विचारधारा और देहात में रहने वाले ग्रामीण लोगों की विचारधारा में और उनके रहन सहन में महान् अन्तर होता है। माननीय स्वशासन मंत्री इसको माने या मानें लेकिन गांव का ग्रामीण उस व्यक्ति को बहुत बुरी निगाह से देखता है जिसको केवल घास काटने वाला एक ग्रामीण कहा जाता है। देहात में चराई कटाई का काम करने वाले व्यक्ति ही जनता की निगाह में गिरे हुए होते हैं। वह व्यक्ति जिसको चोरबाजारी में सजा हुयी हो और वह गांव पंचायत का अध्यक्ष या पंच बनाया जाय तो इसके माने हो जाते हैं कि ऐसी गांव पंचायत और ऐसे गांव पंचायत के अधिकारी को काफी छूट दी जाय गांव में चोर बाजारी करने की और मैं यह समझता हूं कि इसके माने यह हो जाते हैं कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को खुली छूट मिले जो जनता के धन को लूटें। मैं इस पर जोर देना इसलिए जरूरी समझता हूं कि अभी तक शहर में ही चोरबाजारी करने वालों को प्रोत्साहन इस सरकार के राज्य में मिला करता था। श्री रामेश्वर लाल जी ने चोरबाजारी करने वालों का खाका, जोकि पहले सालों में हुयी, यहां खींचा है। उससे स्वशासन मंत्री जी को सन्तोष हो जाना चाहिये और इस धारा को वापस ले लेना चाहिये और माननीय गजेन्द्र सिह जी के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर सही माने में स्वशासन मंत्री चाहते हैं कि गांव की पंचायत बैठकर अपने गांव की सरकार चलावें और बहुत सी गांव पंचायत ऐसी हैं कि जिसमें हजारों एकड़ जमीन गांव पंचायत के अधिकार में आ गयी है। जो कानून इस सदन ने पास किया है उसके अनुसार पंचायतों को काफी जमीन मिली है। तो बदकिस्मती होगी उस गांव की कि जिसके पंच या सभापति को चोर बाजारी करने में सजा मिली हो। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अन्दर उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया जिनको चोरी में सजा हुयी हो और जो चोरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

में जेल गये हों । उनको संविधान के अन्दर अधिकार नहीं दिया गया है । किन्तु अफसोस होता है इस बात को जानकर कि यह सरकार ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को जिनको ब्लैक मार्केट में सजा हुयी हो और ६ महीने तक जेल में रहे हों उनको भी अधिकार गांव सभा का दे रही है कि उनको गांव सभा का अध्यक्ष बनाया जाय । मैं उसके लिये माननीय स्वशासन मंत्री से और उधर के बैठने वाले सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस धारा का सख्त विरोध करें और इससे सदन की मर्यादा बढ़ेगी और उन लोगों से छुटकारा मिलेगा जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करके हजारों लाखों रुपया पैदा किया है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और उधर के भाई भी हमारी मदद करेंगे ।

†श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-A के खंड (i) के बाद निम्नलिखित (ii) के रूप में रखा जाय :--

"(ii) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essentiai Supplies (Temporary Powers)Act, 1946, or the U.P. Control of supplies (Temporary powers) Act, 1947"

अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इन दोनों संशोधनों की ओर मैं एक मर्तबा आकर्षित करना चाहता हूं और सदन का भी कि हमने अभी पिछले दिनों जबकि म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट बन रहा था हमने सर्वसम्मति से इस प्रकार का संशोधन स्वीकार किया था कि जिन लोगों ने इस किस्म के अपराध किये हैं उनको म्यूनिसिपैलिटीज में वोट देने का या चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं दिया गया । लेकिन उस समय में जब वह ऐक्ट पास हुआ था और आज के समय में कुछ न कुछ अन्तर हो गया है । जिस समय वह क़ानून बना था इस प्रांत और देश में कंट्रोल की व्यवस्था आज से अधिक लागू थी । इसलिए आज मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे दोस्त जो इधर बैठा करते हैं ऐसा संशोधन कैसे रख रहे हैं । इस संशोधन से किसी प्रकार का भी फाइन हुआ हो, किसी प्रकार की भी सजा हो गयी हो और कोई मियाद भी नहीं है, कब हुयी हो और कितने दिन उसे लेप्स हुये हो गये हों, इन सब दशाओं में लोगों को वंचित कर दिया जायगा । अब ऐसा कानून बड़ा सख्त सा मालूम पड़ता है जबकि कंट्रोल की व्यवस्था बाकी नहीं रह गयी है । एक कहावत है कि मुर्दे का मुंह बार बार खोलो और गलाई छूटे । हम नहीं चाहते कि किसी को कितनी भी पुरानी गलती के कारण उसके नागरिकता के अधिकार हमेशा के लिये छीने जावें । आज कंट्रोल धीरे-धीरे सरकार के अथक परिश्रम से चीजों को पैदा करके और चीजों को इकट्ठा करके उठता गया है तब किसी को इस प्रकार वंचित करना उचित नहीं प्रतीत होता । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी किसी को कुछ घंटे की या कोर्ट के बैठने तक की सजा हो जाती है या १ या १०० रुपया भी जुर्माना हो जाता है, तो एक ही डंडे से सबको हांकना, यह कोई राजनीति या औचित्य नहीं है । इसलिये मेरा संशोधन सोच समझ कर रखा गया था । हमें जरा औचित्य को भी सोचना होगा । "has been sentenced to imprisonment for a term exceeding 6 months" यानी छोटे छोटे गुनाहों के लिये जो पिछले दिनों में हुए हैं उनके लिये आवश्यकता नहीं है कि उनको इस अधिकार से वंचित रखा जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को पेश करता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राम नरेश जी शुक्ल के संशोधन का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । इसके पहले कि मैं विरोध में

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ कहूं मैं उनका ध्यान यू० पी० लोकल ऐक्ट्स १९५३ में इस ऐक्ट की धारा १३ (D) (जे०) की ओर दिलाना चाहता हूं । वह इस प्रकार है:

"13--D (*j*) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member, or has been ordered to find security for good behaviour in consequence of proceedings taken undera section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure 1898, such sentence or order not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned ."

अध्यक्ष महोदय, रामनरेश जी को ६ महीने शब्द से कुछ ग़लतफहमी हो गयी है । मैंने जो धारा पढ़ी है उसमें एसेन्शियल एप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट के अलावा भी अपराध हैं, इसलिये उसमें ६ महीना रक्खा गया था । इसी वजह से उसमें ६ महीना मान लिया गया था कि उसमें कई अपराध मिले हुए हैं ।

श्री मोहन लाल गौतम--अगर श्री रामनारायण जी को यही भाषा पसन्द है तो (एच) और (आई) के बजाय यही रख दिया जाय मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--अब हम (एच) पार कर चुके हैं । वह अब नहीं लिया जा सकता । अब हम (आई) तक पहुंच चुके हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, यदि हम मैरिट्स पर भी जायं तो पहले जिन लोगों को ५ महीने २९ दिन की सजा हो गयी है ब्लैक मार्केटिंग में, उनको तो माफ कर दिया जायगा और जिनको ६ महीने से ऊपर की सजा हुई है उनको क्षमा नहीं किया जायगा, मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां तक ठीक है । इसी प्रकार से जुर्माने का सवाल भी है । गजेन्द्र सिंह जी ने जुर्माने के बारे में भी लिखा है । गोंडा में ऐसे ऐसे केसेज भी हुये हैं कि लोगों पर २० हजार रुपया तक जुर्माना हुआ है । यह भी एक भीषणतम अपराध है । इसलिये गजेन्द्र सिंह जी ने अपने संशोधन में उसकी व्यवस्था की है । इसके अलावा सरकार किन्हीं हालतों में अयोग्यता को दूर भी कर सकती है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि श्री गजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है वह ज्यों का त्यों मंजूर कर लिया जाय और जिसको मंत्री महोदय माफ करना चाहें उसको माफ कर दें । मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी को ६ महीने की सजा पाने वालों के अलावा लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है । इसको तो वे बाद में भी देख सकते हैं कि अपील में क्या कार्यवाही हुई, उसकी क्या मजबूरी थी, वह ठीक प्रकार से प्रूव कर सका या नहीं कर सका । अगर माननीय गजेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत की गयी उपधारा मंजूर कर ली जाय तो फिर हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । फिर गांव पंचायतों में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इतनी बड़ी हमदर्दी उन लोगों से कैसे उत्पन्न हो गयी । अध्यक्ष महोदय, कल आप की गैर हाजिरी में अध्यापकों का प्रश्न आया था उनके बारे में कहा गया कि उनको किसी हालत में भी पंचायतों के चुनाव में भाग लेने योग्य न बनाया जाय । उनको किसी काम में मौक़ा ही न देना चाहिये । ८५ हजार अध्यापक गांव सभाओं और गांव पंचायतों में भाग लेने से वंचित कर दिये गये । कोई सरकारी कर्मचारी होने की वजह से वंचित किया जाता है कि सरकारी काम करते हुए वह कोई निर्माण का काम नहीं कर सकता है । जिस जगह पर भी वह काम कर रहा हो उसके अलावा किसी गांव सभा या न्याय पंचायत में भाग लेना सरकार अनुचित मानती है । ६ महीने से कम सजा पाने वाले के साथ हमदर्दी दिखलायी गयी है । मालूम होता है कि श्री रामनरेश जी शुक्ल ने बहुत जल्दी में इस संशोधन को पेश किया है ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

यह बड़ी बदनामी की बात हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री गजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसे मान लिया जाय और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर में ले ले कि विशेष परिस्थिति में यह डिस्क्वालिफिकेशन दूर किया जा सकता है। तो यह एक ऐसी उचित सी बात होगी और मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको अवश्य मान लेंगे।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, माननीय मंत्री जी की ओर से श्री राम नरेश जी शुक्ल ने जो संशोधन पेश किया है उसमें कोई तथ्य नहीं मालूम होता है। अध्यक्ष महोदय, कल श्री जयपाल सिंह जी ने एक संशोधन पेश किया था कि मोरेल टर्पिच्यूड में जो पंचायत से कंविक्टेड हों उनको बरी कर दिया जाय लेकिन माननीय मंत्री जी ने उनके संशोधन को स्वीकार नहीं किया। इस आधार पर कि वे इसमें कोई भेद भाव नहीं रखना चाहते हैं कि जो शख्स गांव सभाओं व न्याय पंचायतों में आवे वह न्याय पंचायत द्वारा कंविक्टेड है या ऊपर की अदालत द्वारा कंविक्टेड है। चाहे वह किसी भी अदालत द्वारा कंविक्टेड हो उसे डिस्क्वालिफाई होना चाहिये। जो संशोधन इस समय रखा गया है उसमें है कि ६ महीने से ऊपर जिसको सजा हुई हो और वह भी चोरबाजारी व ब्लैक मार्केटिंग में उन व्यक्तियों को डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। और ६ महीने से कम सजा हुई हो, हालांकि वह कंविक्टेड हो लेकिन ६ महीने से कम सजा हो तो ऐसा व्यक्ति क्वालिफाइड है। जो मोरेल टर्पिच्यूड की उपधारा उस बिल में रखी गयी है और जो कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अन्दर है जैसे ३७९, ४०३ के जुर्मदार, नियम के अनुसार अदालती पंचायतें २५, ५० और १०० रु० तक जुर्माना कर सकती हैं। तो ऐसा व्यक्ति गांव सभा व न्याय पंचायत की मेम्बरशिप के लिये डिस्क्वालिफाई हो जाता है लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अधिक खतरनाक है, ज्यादा गुनहगार है और जिसको चोरबाजारी में अदालत से सजा हो जाती है लेकिन वह सजा ६ महीने से कम होती है तो ऐसे व्यक्तियों को माननीय मंत्री जी छट देना चाहते हैं और उसे क्वालिफाइड समझते हैं। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। मोरेल टर्पिच्यूड का जो सेक्शन है उसमें यह रखा गया है कंविक्शन किसी अदालत द्वारा हुआ हो और उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ६ महीने से अधिक सजा हो। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इस तरह से आप कोई अवधि इसके लिये तय करते हैं तो यह न्याय संगत नहीं है। खास कर ब्लैक मार्केटिंग के लिये, चोर बाजारी के लिये जो कि मैं समझता हूं कि चोर अगर चोरी करता है तो एक व्यक्ति का नुकसान करता है लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग करता है वह समाज का द्रोही है, वह समाज की चोरी करता है और समाज के प्रति अहित करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सीरियस गुनाह करता है ऐसे व्यक्ति को छूट देना एक ऐसे मामूली व्यक्ति के मुकाबले में जो दफा ४११, ४०३ या ३७९ के अन्दर थोड़ी बहुत सजा पा सकता है या सिर्फ फाइन ही हो सकता है, आपका तर्क असंगत मालूम होता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि श्री गजेन्द्र सिंह जी का जो संशोधन है वह न्याय संगत है और उसे कबूल किया जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर काफ़ी देर से वादविवाद हो चुका है वह बहुत छोटा सा और एक सरल प्रश्न है और जहां तक मैं समझ पाया हूं मंत्री महोदय भी उससे बहुत हद तक सहमत हैं और केवल ड्रेफ्टिंग का सवाल है। श्री गजेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और उसके स्थान पर शुक्ल महाराज ने जो संशोधन पेश किया है वह उन्हें मंजूर है। मुझे दुख होता है कि शुक्ल जी जैसे व्यक्ति जो बहुमत दल के प्रतिनिधि हैं और जो एक जिम्मेदार व्यक्ति गिने जाते हैं, उनके द्वारा ऐसे संशोधन का पेश किया जाना आश्चर्य की बात है। शुक्ल जी का संशोधन तर्कविहीन है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है। यानी यह कि अगर किसी को ६ मास की सजा मिले तो वह डिसक्वालिफ़ाई हो जायगा और अगर किसी को ५ मास २९ दिन की सजा मिले तो

सरकार उसको स्वीकार करती है और उसको भला व्यक्ति समझती है। मैं समझता हूं कि यह "स्लिप अप" हुआ है और शुक्ल जी इसको सीरियसली प्रेस न करेंगे। मेरा सुझाव है कि जो आपत्ति मंत्री जी को है, ऐसे जो लोग फंस गये हैं और जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग में अपराध किया है वह मुमकिन है प्रायश्चित्त करते हों तो उनके ख़िलाफ विशेष धारा रखी जायगी। इसके संबंध में यदि वह कुछ उपाय चाहते हैं तो वह भी स्पष्ट है कि यदि गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को स्वीकार किया जाता है और साथ ही साथ प्राविज़ो में इसको सम्मिलित कर लिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिसक्वालिफ़िकेशन को रिमूव कर सकती है तो मैं समझता हूं उनको संशोधन के स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी। जहां तक जुर्म का संबंध है इसमें कोई संन्देह नहीं है इसको जितना बुरा जुर्म गिना जाय वह ठीक है और ऐसे जुर्म बहुत कम होंगे जिनकी तुलना ब्लैक मार्केटिंग से की जा सके और मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। इसलिये जो मेरा सुझाव है उसको मंत्री महोदय स्वीकार करें और इसको पूरे तौर से भली भांति ड्राफ़्ट किया जाय।

*श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, श्री शुक्ल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। दोनों संशोधनों का जो प्रस्ताव है उसमें थोड़ा सा ही अन्तर है। शुक्ल जी के संशोधन के विषय में त्रिपाठी जी ने यह कहा कि ५ माह २९ दिन की सज़ा जिनको होगी उनको तो यह अधिकार होगा कि वह आफिस होल्ड कर सकें और एलेक्शन फ़ाइट कर सकें, लेकिन उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख़ नहीं देखा और वह यह कि अक्सर ऐसे लोगों को भी सज़ायें हुई हैं जो अपने तौर पर उस मामले में, जिसमें उन्हें सज़ा हुई क़तई तौर पर शामिल नहीं थे या उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था बल्कि उनके नौकरों की वजह से बात उन पर आ गई और उन पर २-४ दस रुपया जुर्माना हो गया या सजा हो गई, तो क्या वह मुनासिब समझते हैं कि ऐसे लोगों को भी यह अधिकार न दिया जाय जो इसके द्वारा सरकार देहातियों को देना चाहती है? दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस तरह के प्राविज़न्स में एक यूनिफ़ार्मिटी होनी चाहिये। म्युनिसपल ऐक्ट में शहर के नागरिकों को जो अधिकार दिये गए हैं और जहां ख़ास तौर पर वह छीने गये हैं उसी तरह से अगर हम देहातों में भी रखें तो बेहतर होगा। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज़ का संबंध है, जैसा कि शुक्ल जी ने बताया कि वहां ६ महीने की सज़ा हो जाने के बाद, उससे कम सज़ा पाने वालों के अधिकार उनसे छीने नहीं जाते। इसलिये अगर हम देहातों के लोगों के अधिकार ऐसी हालत में छीनते हैं कि जहां किसी को कोई छोटी मोटी सज़ा हो गई तो वह डिसक्वालिफ़ाई हो गया, तो ऐसी हालत में उनको शिकायत होगी कि उनके साथ ठीक बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है और मैं समझता हूं कि विरोधी दल वाले भी इस चीज़ को पसन्द न करेंगे कि देहात वालों के साथ शहर के लोगों से भी ज्यादा सख्ती बरती जाय। इसलिये मैं शुक्ल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह चाहूंगा कि सदन उसको स्वीकार करे।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव शुक्ल जी का है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो बातें हैं। कम से कम मैं तो विश्वास रखता हूं कि किसी सरकार के लिए भी जहां भी राइट आफ वोट हो उसमें उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जहां तक मुमकिन हो सके इसको तो बहुत ही लीनियेंसी से देखना चाहिये कि जो राइट्स हमने दिये हैं लोगों को उनमें हम कम से कम हस्तक्षेप करें। खैर मैं इस बड़ी बहस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन यहां तो सिर्फ दो बातें मुझे देखनी हैं और वही मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। पहली बात तो यह है कि जब हम म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर एक उसूल को मान चुके और शहरी जनता के लिये हमने एक समय में जगह दी और उनको म्युनिसिपल कमिश्नर बनाने को तैयार हो गये वही चीज हमें देहात की भोली-भाली जनता को देने से गुरेज़ नहीं करना चाहिये और देहातियों को उनके हक़ से वंचित नहीं करना चाहिये। ला में यूनिफ़ार्मिटी होनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नौरंग लाल]

चाहिये और अगर ला युनिफार्म नहीं है तो वह डिमोक्रेटिक नहीं कहे जा सकते। इसलिये उसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिये चाहे हमने ग़लती से किया या सही किया लेकिन जब हमने एक उसूल एक मरतबे स्वीकार कर लिया और शहरी जनता के लिये जब एक उसूल स्वीकार कर लिया तो उसी को देहाती जनता के लिये भी मानना चाहिये। नहीं तो उसमें होगा कि ग्रामीण जनता की तरफ ज्यादा सख्त हैं और शहरी जनता के साथ पक्षपात करती है। इसलिये यह जो उसूली बात है दोनों के लिये एकसां होनी चाहिये। तो जो मंत्री जी ने बात कही है उसमें ज्यादा वजन है। ब्लैक मार्केटियर्स का नाम लिया जाता है श्रीमन्, सब जानते हैं और ब्लैक मार्केटिंग को कोई पसन्द नहीं करता और ब्लैक मार्केटिंग की हिफाजत करने को कोई भी खड़ा नहीं हुआ है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखना ही होगा कि कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें अगर कुछ न कुछ लिमिटेशन नहीं रखा जाता तो बड़ी मुश्किल पड़ जायगी। दो उदाहरण लीजिये। आप उनको कहां रखेंगे कि जैसे एक आदमी हैं। घर पर उसको दावत खिलानी है और ५० आदमियों की संख्या नियत है और पांच आदमी गेस्ट और आ जाते हैं तो मेहमान निवाजी की वजह से उसे पचास की जगह पर पचपन खिलाना पड़ता है और अगर उस पर दस बीस पचास रुपया जुर्माना हो गया तो अब बतलाइये कि एक आदमी जिसका जुर्म करने का इरादा नहीं था और उसको किसी पद से वंचित कर दिया जाता है, तो यह कहां तक ठीक है? ऐसे जो सप्लाई ऐक्ट के मुकदमे हैं जिसमें किसी मुलजिम ने जानबूझ कर कोई गुनाह नहीं किया है उसको क्या हम उसी तरह से रखें जिसने जान बूझ कर समाज के खिलाफ क्राइम किया। एक तरफ तो वह है जिसने जानबूझ कर समाज के खिलाफ़ क्राइम किया और दूसरी तरफ वह है जिससे समाज में बिला जाने हुये, बिला इरादा किये हुये गफलत से या मजबूरी से कुछ ऐसा जुर्म हो गया जिसमें थोड़ी बहुत सजा हो सकती है तो आम तौर पर ऐसे मुक़दमे जैसे कि राशन के हैं। ये छोटे-छोटे मुक़दमें जो छोटे-छोटे जुर्माने हो कर छूट गये। इन सब को एक तरीक़े से नहीं सोचा जा सकता। जहां तक मेरा ख्याल है यह जो संशोधन है वह इसीलिये रखा गया है कि ऐसे केसेज जो बिला इरादा किये हुये किये गये हैं वे उससे बच जाते हैं। एक और मिसाल लीजिये, शहरों के अन्दर आपने देखा होगा और हर एक माननीय सदस्य इससे वाक़िफ हैं कि बस्ती में सप्लाई डिपोज के अन्दर कहीं चावल नहीं पहुंचता, गेहूं कहीं नहीं पहुंचा तो ऐसा हुआ कि कोई देहाती बेचारे उन जगहों में चावल या गेहूं बेचने लाये। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसे शहरों में उन पर चश्मपोशी कर दी थी कि शहरों की जनता भूखों मर रही है और अगर यदि सामान मिल जायेगा तो लोगों को राहत मिल जायगी, परन्तु कहीं-कहीं ऐसे केसेज पकड़े भी गये और किसी पर दस बीस, पचास, साठ रुपये जुर्माना हो गये। ऐसे लोगों के लिये क्या किया जाय। एक धर्म होता है, एक आपत्काल का धर्म था और ऐसी सूरत में वह कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय इसके कि चश्मपोशी कर दें। परन्तु नहीं की। तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि विवेक अवश्य रखा जाना चाहिये कि वह क्राइम जो इरादतन किये गये हैं और वह जुर्म जिनको मजबूरी की वजह से किया गया है। तो इसका क्या इलाज है, हमने यह नहीं सोचा। इसका माननीय त्रिपाठी जी जवाब देते हैं कि सरकार को लिखा जाय और ऐक्ट में जो धारा लिखी हुई हो वह हटाई जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये त्रिपाठी जी से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप यह समझते हों कि गांव वाले इस तरीके से दरख्वास्त देंगे, यह ठीक नहीं है। इसमें कितने दिन लगेंगे, कितनी तवालत होगी और कितनी दिक्क़त उठानी पड़ेगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह कहना कि सरकार से पाबन्दी हटवा लेंगे यह नामुमकिन है। इसलिये इसमें कोई न कोई आधार निर्धारित करना पड़ेगा। यह कहना कि अगर ५ महीने २९ दिन की सजा हो जायगी तो ऐसा होता नहीं है। या तो आम तौर से ६ महीने की सजा होती है, तीन महीने की सजा होती है या एक महीने की सजा होती है। फिर जैसे इनकम टैक्स में अगर एक रुपया कम हो जाय तो इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा और अगर एक रुपया बढ़ जाय तो इनकम टैक्स पड़ जायगा। इस तरह की दिक्क़त तो आपको कहीं न कहीं जरूर पड़ेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव दिये हैं उसमें बहुत सेन्स हैं और उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अब्दुल मुईज खां––मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)––मैं इसका विरोध करता हूं। आपने एक संशोधन उपस्थित किया था उस पर अभी ठीक विचार नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि सदन इस पर काफी विचार कर चुका है चाहे शक्ल बदल गई हो।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुये कल माननीय कृपा शंकर जी ने कहा था कि कुछ ऐसे आदमी भी हो सकते हैं कि जिनकी नियत ब्लैक मार्केटिंग करने की नहीं होती है और उनको सजा हो जाती है। अगर मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो वैसी सूरत में उन लोगों को भी यह सजा मिल जायगी कि वह न्याय पंचायत और गांव सभाओं के पदों से वंचित रह जायं। लेकिन मैं कृपा शंकर जी से कहना चाहूंगा कि समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी नियत थी ब्लैक करने की और उन्होंने ब्लैक किया और उन्होंने फायदा उठाया और उसके लिये उनको सजा भी हुई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास क्या पैमाना है, कौन सा तरीका है जिससे वह इस बात का पता लगायेंगे कि किसी व्यक्ति की नियत ब्लैक करने की थी या नहीं थी। मेरा कहना यह है कि उसकी नियत ब्लैक करने की थी, ऐसे तो बहुत से आदमी मिलेंगे। हो सकता है कि किसी की नियत न रही हो और ग़लती से हो गया हो, या कानून के न जानने से हो गया हो लेकिन यह जानने का उनके पास पैमाना क्या है?

इसी के साथ-साथ मैं कृपा शंकर जी से पूछना चाहता हूं कि १०९ और ११० में जो लोग सजा पाये हुये हैं उनको उन्होंने अपने इस संशोधन विधेयक के द्वारा डिसक्वालिफाई किया है कि उनको गांव सभा में और गांव पंचायत में खड़े होने का राइट नहीं मिलना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कृपा नारायण जी से कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे जिनका १०९ दफा में खवामख्वाह पुलिस ने चालान कर दिया है। बहुत से ऐसे आदमी जिनके पास जमीनें होती हैं जो काश्त करते हैं उनका इस तरह से चालान कर दिया जाता है। पुलिस की रंजिश हुयी या किसी बड़े आदमी की रंजिश हुयी या किसी कांग्रेस वाले की रंजिश हुयी और उसने किसी दरोगा से कह दिया और उसने १०९ में चालान कर दिया। ऐसे केसेज आये दिन हुआ करते हैं और इस तरह से उनको सजा मिल जाती है। ऐसे सजा पाये हुए ग़रीब आदमियों को आप डिसक्वालिफाई करते हैं, जबकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म समाज में, नहीं किया है। ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा जुर्म किया जिससे बढ़कर कोई जुर्म नहीं हो सकता है उसको तो आप माफ कर रहे हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको रंजिश के कारण दफा १०९ में फंसा दिया गया है यद्यपि उसके पास जमीन भी है और वह खेती भी करता है उसको आप डिस्क्वालिफाई कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटियर्स को बचाने के लिये जो आप दलीलें दे रहे हैं उससे मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय कृपा शंकर जी ब्लैक मार्केटिंग करने वालों से विशेष उंसियत रखते हैं।

श्री अध्यक्ष––क्या आप वैष्णव है कि बार-बार नारायण नारायण कह रहे हैं और शंकर का नाम 'कृपा' के साथ नहीं ले रहे हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह––मैं समझ नहीं पाया कि कृपा शंकर जी नाम है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय कृपा शंकर जी को ब्लैक मार्केटियर्स से विशेष उंसियत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह अपना संशोधन रखा था वह इसलिए

[श्री गजेन्द्र सिंह]

रखा था कि आज की कांग्रेस गवर्नमेंट पर यह बहुत बड़ा ब्लेम लगाया जाता है और चाहे जिस शहर, गांव या गली में चले जाइये, आप इस बात को आमतौर पर लोगों को कहते हुए पायेंगे कि ब्लैकमार्केटिंग करने वाले लोगों के पैसे से यह गवर्नमेंट बनी है और ब्लैकमार्केटिंग करने वालों के पैसे पर मौजूदा सरकार अपनी गद्दियों को सुरक्षित किये हुए है।

श्री रामनरेश शुक्ल—कानपुर में श्री राजाराम शास्त्री को किसने पैसा दिया?

श्री गजेन्द्र सिंह—हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे इस संशोधन को माननीय रामनरेश जी नहीं मानते हैं तो उनकी पार्टी के ऊपर जो यह ब्लेम लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के पैसे से पतली है, वह बिलकुल साबित होता है। उनकी पार्टी के ऊपर जो ब्लेम है उसको साफ करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा था और फिर मैं माननीय रामनरेश जी से निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान लें। अगर वह हमारे इस संशोधन को मान लेते हैं तो इसके द्वारा जो उनकी पार्टी के ऊपर एक बड़ा भारी ब्लेम है वह धो जायगा। इसलिये मैं उनसे बार बार निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को मानने की कृपा करें।

इसके साथ ही साथ हमारे इस संशोधन पर संशोधन रखते हुए माननीय रामनरेश जी ने यह दलील दी कि पुराने कार्यों को ध्यान में रख करके उनको सजा देने की मंशा नहीं है। माननीय रामनरेश जी यह नहीं चाहते हैं कि जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले या आज से सालों पहले कोई अपराध किया था और उसमें उनको सजा हो गयी थी, उनको हम डिसक्वालिफाई कर दें या उनसे हम बदला लें लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि माननीय रामनरेश जी की यह दलील कहां तक न्यायसंगत है। मैं उनका ध्यान दफा १०९ और ११० की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनमें सजा पाये हुए लोगों को डिसक्वालिफाई कर दिया गया है। यह दलील उनके लिए भी लागू हो सकती है। इसलिये उनकी कोई दलील न्यायसंगत नहीं मालूम होती है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लैकमार्केटिंग करने के जुर्म में अगर कोई आदमी सजा पाता है तो उसको महीने दो महीने या साल दो साल के बाद क्वालिफाई कर देना चाहिये। मैं नहीं समझता कि वह व्यक्ति जिसने जुर्म किया है, जिसने समाज में पाप किया है, जिसने समाज को नीचे गिराया है, जिसने बुरी तरह से पैसा कमाया है, वह समय की मियाद रख देने से अपने उस अपराध से कैसे मुक्त हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को वोट देने के राइट से डिस्क्वालिफाई नहीं करना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनको यह बतलाना चाहता हूं कि मैं अपने संशोधन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वोट देने के राइट से डिसक्वालिफाई नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं अपने संशोधन द्वारा न्याय पंचायत और गांव पंचायत में जो व्यक्ति ओहदा हासिल करना चाहते हैं, जो वहां के क्रियाशील वर्कर बनना चाहते हैं और वहां के समाज के नेता बनना चाहते हैं ऐसे लोगों पर अपने संशोधन के द्वारा मैंने प्रतिबन्ध लगाया है कि अगर उन्होंने समाज में कोई नीचे स्तर का जुर्म किया है तो उनको डिस्क्वालिफाई करना चाहिये। उनको वोट देने के राइट से हमारा संशोधन डिस्क्वालिफाई नहीं कर रहा है, उनको वोट देने का हक होगा, लेकिन वे न्याय पंचायत या गांव पंचायत के किसी पद के हकदार नहीं हो सकते। हमारे संशोधन की यही मंशा है उनको वोट देने के राइट से डिस्क्वालिफाई करने की कतई नहीं है।

इसके साथ ही साथ यह कहा गया कि शहर की जनता और देहात की जनता में समानता का बर्ताव किया जाना चाहिये। पिछले म्युनिसिपल ऐक्ट में जो १९५३ में संशोधन हुआ था उसमें ६ माह की बात माननीय रामनरेश जी ने कही है। उन्होंने उसको अभी पढ़ कर सुनाया था। उसमें मन्शा सिर्फ ब्लैकमार्केटिंग का ही नहीं है, उसके साथ साथ और भी

धारायें, हैं उनको लेकर ६ माह की उसमें मियाद रखी गयी है। तो इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन मैंने रखा है उसको वह मान लें । उसके मानने से इस सदन की मर्यादा बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री की पार्टी की भी मर्यादा बढ़ेगी और अगर वह हमार संशोधन को नहीं मानते हैं तो आज जो आम भावना उनकी पार्टी के प्रति लोगों में है वह सही होती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को मंजूर कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही ज़ोर से इस बात की अपील की गयी है कि अगर गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को मान लिया जाय तो इस पार्टी के प्रति जो आम लोगों की भावनायें हैं वे बदल जायेंगी, नहीं तो जो भावनायें हैं वे दृढ़ हो जायंगी । ठीक है, भावनायें कुछ लोगों की हैं लेकिन आम जनता की भावना नहीं है। आम जनता की जो भावना है वह यही है कि यही वह पार्टी है जिसने क्रांति की है, यही वह पार्टी है जो देश की रक्षा कर रही है और यही वह पार्टी है जो देश को आगे ले जा रही है।

श्री गजेन्द्र सिंह---और पार्टियों ने भी क्रांति की है।

श्री मोहन लाल गौतम---और पार्टियों ने क्रांति की है जब वे कांग्रेस में शामिल थीं या किसी टेररिस्ट पार्टी में थीं और जिन पार्टियों ने क्रांति में हिस्सा लिया था वे इस बात का दावा किया करती थीं कि कांग्रेस में रह कर ही क्रांति हो सकती है, बाहर नहीं और इसीलिये इस पार्टी ने जन्म लिया था ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---आप भी यही दावा किया करते थे ?

श्री मोहन लाल गौतम---मैं अब भी यह दावा करता हूं कि कांग्रेस से बाहर निकलना गलत था और कांग्रेस में रहकर ही क्रांति की जा सकती थी और कांग्रेस का चार आने का मेम्बर होना जरूरी था । मैं बधाई दूंगा उन पार्टियों को जिनकी चुनाव की लिस्ट देखी जाय म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों और चेयरमैनों की, अगर उनमें से कोई भी ब्लैकमार्केटियर न हो तो मैं उस पार्टी को बधाई दूंगा । मुझे शक है कि ऐसे कई लोगों ने कई पार्टियों से टिकट हासिल करने की कोशिश की ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---कुछ फैक्ट्स ऐंड फीगर्स के साथ आप कहिये तो अच्छा हो।

श्री मोहन लाल गौतम---मैं फैक्ट्स ऐंड फीगर्स पर बात कर सकता हूं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अब आप संशोधन पर आ जायं।

श्री मोहन लाल गौतम---संशोधन पर पोलिटिकल पार्टी क अपोजीशन का काम अपना एतराज करना है और जब उसके लिए कहा जाता है तो बीच बीच में बोला जाता है और कहा जाता है कि संशोधन पर आ जाइये। एक दूसरी बात मुझे कहनी है और वह यह कि एक बहुत अच्छा जुमला कहा गया कि शहरों में शायद ब्लैकमार्केटियर को उतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन गांवों में बहुत बुरा समझा जाता है। मैं भी इससे इत्तफाक करता हूं और मैं समझता हूं कि इस मामले को गांव वालों पर ही छोड़ दिया जाय और मुझे उम्मीद है कि गांव वाले इतने समझदार हैं कि कोई भी ऐसा आदमी न्याय पंचायत और गांव पंचायत में पदाधिकारी नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। यह जो श्री रामनरेश जी शुक्ल ने संशोधन किया है उसको मैं मानता हूं। इसलिये मानता हूं कि सदन ने कुछ ही

[श्री मोहनलाल गौतम]

दिन पहले यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था और मैं नहीं चाहता हूं कि अब सदन यह फैसला करे और जो फैसला किया था वह गलत हो जाय। जो फैसला पहले हुआ था वह सही था। मैं इस सदन की इज्जत कायम रखने के लिए समझता हूं कि इसको बदला न जाय और जो पहले फैसला हुआ था वही रहे। इससे और भी लाभ होगा, जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने भी संकेत किया है कि एक लिस्ट डिस्क्वालिफाइड आदमियों की बना ली, जाय चाहे वह शहरों में रहें चाहे गांवों में। जो म्युनिसिपल ला बने वही टाउन एरिया के लिये भी हो जिससे समझने में आसानी हो। इसलिये मैं उन्हीं लफ्जों का जो म्युनिसिपल ला में हैं, समर्थन करता हूं। इसीलिये मैं माननीय शुक्ल जी के संशोधन को मानने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले श्री गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ६ को प्रस्तावित नई धारा 5-A की उपधारा में (*i*) निम्नलिखित उपधारा (*ii*) के रूप में रख दी जाय :--

"(*ii*) has been fined or imprisoned for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२०

विपक्ष में--१२६)

श्री अध्यक्ष--अब मैं श्री रामनरेश जी शुक्ल का संशोधन उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-A की उपधारा (*i*) के पश्चात् (*ii*) निम्नलिखित रखा जाय:--

"(*ii*) has deen sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act 1946 or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--यह विरोधी दल की सम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने आपके पास भेजा है वह (i) के सम्बन्ध में है, किन्तु वह (j) के सम्बन्ध में छप गया है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आपको पहले ही कह देना चाहिये था। (i) का सवाल तो तय हो चुका।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--अध्यक्ष जी, ऐसा मालूम होता है कि (i) और (j) कहीं पर एक सा ही लिखा जाता है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आपने तो पढ़ लिया था। यह तो आज एजेंडे में भी है और कल के एजेंडे में भी यही था। तो आपको करेक्शन करा लेना चाहिये था।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--मैं तो आपकी आज्ञा चाहता हूं कि यह छोटी सी चीज है और इसके लिए आज्ञा दें यदि उचित समझा जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब समय सदन का व्यर्थ नष्ट होगा। अगर यह सर्वसम्मति से स्वीकार होने वाला हो तब तो मैं इजाजत दे देता हूं, लेकिन सिर्फ वक्त खराब करने के लिए नहीं। आप मंत्री जी से पूछ लीजिये। अगर उन्हें स्वीकृत होने वाला हो तो अच्छा है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---अगर माननीय मंत्री जी और हाउस आज्ञा दे तो मैं पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसे सदन की अनुमति के लिए पेश करता हूं कि इस तरह की गलती हुयी, इसलिए फिर से (i) के सम्बन्ध में विचार करने के लिए अनुमति दी जाय।

प्रश्न यह है कि क्या सदन इस पर अपनी अनुमति देना उचित समझता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश कर रहा हूं--

खंड ६ में प्रस्तावित धारा 5—A की उपधारा (j) के पश्चात् नयी उपधारा (k) निम्नप्रकार से बढ़ा दी जाय---

"(*k*) is not a permanent resident of the the Gaon Sabha."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है यह डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में है। डिस्क्वालिफिकेशन में जहां बहुत सी चीजें 5-A के अन्तर्गत दी गयी हैं मैं अपनी जगह पर यह समझता हूं और अपने जिले के पंचायत राज की वर्किंग का जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है उसकी बिना पर मैं सदन के सम्मुख यह रखना मुनासिब समझता हूं कि बहुत से व्यक्ति जो परमानेन्ट रीति से किसी गांव में नहीं रहते वह शहर या किसी कस्बे में साल के दस ग्यारह महीने रहते हैं, परन्तु उनका घर किसी गांव में बना हुआ होता है लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो उनका घर होने की वजह से वह ग्राम सभा का प्रधान या सरपंच या न्याय पंचायत का पंच होने के लिए इच्छुक हो कर मैदान में आ जाते हैं और एलेक्शन लड़ करके अपने सम्मान और ऐजाज की वृद्धि के लिए वह जगह छका लेते है। लेकिन सचमुच अगर देखा जाय तो साल के दस ग्यारह महीने ऐसे लोग वहां जा नहीं सकते। परिणाम यह होता है कि जब श्रमदान का कार्य होता है या विकास संबंधी कोई कार्य होता है तो प्रधान का वहां पर पता नहीं होता। या ऐसे आदमी अगर सरपंच हो जाते हैं तो न्याय का काम बिलकुल नहीं होता। ऐसी दशा में सोच विचार करके मैंने यह मुनासिब समझा कि ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य करार दे दिया जाय जो स्थायी रूप से गांव में नहीं रहते, उनको मौका न दिया जाय कि वह प्रधान या सरपंच हो सकें। संशोधित धारा ५ के अन्तर्गत तो हमने यह स्वयं ही निश्चय कर लिया है कि आर्डिनरली जो किसी गांव सभा में रहता हो, या घर बना हो या उसकी जायदाद हो तो वह वहां का वोटर हो सकता है। लेकिन सिर्फ उसका घर होने की वजह से जो वहां स्थायी रूप से नहीं रहता उसको किसी जिम्मेदारी की जगह पर रख दिया जाता है तो उससे ग्राम सभा या न्याय पंचायत का बहुत बड़ा अहित हो सकता है।

[श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल]

यह सोच कर मैंने सदन के सम्मुख यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि स्थायी रूप से जो ग्राम सभा में न रहता हो वह जिम्मेदारी के पदों पर न रखा जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके महत्व को समझते हुए इसको स्वीकार कर लेंगे।

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन पेश हुआ है यह इस सिलसिले में है जैसा कि 5-A में कहा गया है "A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha." तो यहां "एनी आफिस" है। एनी आफिस का मतलब यह होता है कि गांव सभा का मेम्बर भी इसमें आ जाता है तो यह डिस्क्वालीफिकेशन का जो प्रतिबन्ध है सबके लिए लागू है चाहे वह गांव सभा का सदस्य हो, प्रधान हो या उप-प्रधान हो। अगर यह मान लिया जाता है तो वह गांव सभा का मेम्बर भी नहीं हो सकेगा। इसके पहले भी धारा 5-A में यह मान लिया गया है "A person shall be deemed to be ordinarily resident in village if he has been ordinarily residing in such village." तो ये दोनों सेल्फ कांट्रेडिक्टरी हो जायेंगे। तो इस वास्ते यह संशोधन ठीक नहीं बैठता इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री ब्रजवासी लाल (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-A के उपखंड (j) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (K) बढ़ा दिया जाय :--

"(*k*) has been removed from any such office in the Gaon Panchayat or the Nyaya Panchayat by the prescribed authority under this Act."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब इस प्रस्ताव से यह है कि दफा ५ में गांव सभा के सदस्यों की डिस्क्वालीफिकेशन्स के बारे में जिक्र किया गया है। लिहाजा सरपंच, प्रधान या उपप्रधान किसी बुरे काम की वजह से आफिस से रिमूव कर दिया गया हो तो उसे फिर मौका न देना चाहिये जब तक कि सरकार उसकी अयोग्यता का निवारण न कर दे। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी दफा ९५ का हवाला देंगे मूल अधिनियम की, जो कि संशोधन में आई हुयी है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई आफिस होल्डर रिमूव कर दिया जाता है तो वह पांच साल तक रीइलेक्ट नहीं होगा। मैं इस बारे में अर्ज कर दूं कि यह रीइलेक्शन का ही सवाल है न कि जनरल इलेक्शन में भाग लेने का। इसलिये यह मुमकिन हो सकता है कि जहां इस अयोग्यता का वर्णन किया गया है वहीं पर इसको भी रख दिया जाय। अतएव मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे।

श्री कृपा शंकर---यह जो संशोधन है इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई आदमी किसी जगह से रिमूव कर दिया जाय तो उसका इलेक्शन न हो। आमतौर से रिमूवल जो होता है वह किसी सीरियस आफेंस की वजह से नहीं होता। डिसमसल हो किसी सीरियस आफेंस की वजह से होता है। मामूली गलतियों में ही आदमी रिमूव कर दिया जाता है। किसी आदमी का इमीडियेट आफिसर नाखुश हो गया तो वह रिमूव हो जाता है और उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती, तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन में रख दिया जाय, मैं समझता

हूं कि यह बड़ा सख्त हो जायगा। इसमें अगर कोई गड़बड़ हो, मिसकंडक्ट हो तो वह बरख्वास्त कर दिया जा सकता है और उसके लिये प्राविजन पहले से है। उसमें यह दिया हुआ है कि "Has been dismissed from the service of the State" यह डी० में दिया हुआ है। मिसकंडेक्ट के लिए प्राविजन है लेकिन अगर खाली रिमूवल रख दिया जाय तो यह बड़ा सख्त हो जायगा और शायद सही आदमी भी इसके अन्दर नहीं आ सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत सख्त है और माननीय सदस्य इसके ऊपर विचार करेंगे तो वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजवासी लाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इसको माननीय मंत्री जी पसन्द नहीं करते, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा 5-A के खंड (j) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (K) रख दिया जाय।

"(*k*) is fined or convicted under the U.P. Social Disabilities Act, 1947."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके रखने का सम्बन्ध है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब हम एक पुरानी परम्परा या पुराने वातावरण की तरफ जाते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में छुआछूत हमेशा से चली आ रही है। यह हमारे समाज के लिये कलंक है और उस कलंक को दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर में उठाना चाहता हूं। इसमें जो यह लिखा हुआ है कि यू० पी० सोशल डिसेबिलिटी ऐक्ट, तो हमारे यहां पर ऐसा कोई ऐक्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--हमारे यहां रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटी ऐक्ट है शायद उसी से माननीय सदस्य का मतलब है।

श्री धर्म सिंह--मेरा अभिप्राय उसी ऐक्ट से है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यदि हम उस वातावरण की तरफ जाते हैं तो मालूम होता है कि हमारा देश सदियों से इस छुआ छूत से परेशान है। तो क्यों नहीं हम अपने समाज में इस प्रकार की भावना लायें या इस तरह की क्रांति लायें जिससे लोग यह महसूस करें और महसूस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचें कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा या न्याय पंचायत में अधिकारी होना चाहे या उसको उसका वोटर बनने की इच्छा हो या आफिस मिलने की बात हो तो अगर उसको उससे वंचित किया जाता है तो उससे उस वातावरण पर असर पड़ेगा जो कि हमारे यहां बहुत मुद्दत से चला आ रहा है। इसी कारण से हमारी सरकार ने यू० पी० सोशल डिसेबिलिटी ऐक्ट बनाया था कि हमारे समाज के अन्दर उन व्यक्तियों को जिनको नीच कहा जाता है, अगर समाज की ऐसी चीजों से वंचित किया जाय जो कि धार्मिक हैं या सार्वजनिक उपयोग की चीजें हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही चलायी जा सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके चुनाव पर असर पड़ेगा। लोग इस बात को महसूस करेंगे कि आखिरकार उन लोगों को भी कुछ अवसर दिया जाय जिनके साथ हमने बुरा बर्ताव किया है। तो उसके जुर्माने स्वरूप वह इस चीज को मानेंगे और पश्चात्ताप करके वह लोग इस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। जब एक मनुष्यता की बात मैं कहता हूं तो समाज में आखिरकार एक विचार

[श्री धर्म सिंह]

की भावना पैदा होगी और वह नैतिक पतन जो बहुत दिनों से चला आ रहा है वह दूर होगा। एक व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति दबाने की कोशिश करता है तो वह मनुष्यता से नीचे गिरने की बात है और इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कारण मैं यह चाहता हूं कि लोग इस चीज को महसूस करें कि समाज के अन्दर से उन चीजों का बहिष्कार किया जाय जिनकी वजह से एक आदमी गांव सभा या न्याय पंचायत में खड़ा होने के लिए तैयार न हो। इस वजह से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जाय क्योंकि यह हजारों वर्षों से दबे हुए लोगों की जिन्दगी से सम्बन्ध रखता है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय धर्म सिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं इस उपकार को मानता हूं कि उन्होंने इस संशोधन से इस विधेयक की खूबसूरती बढ़ा दी है। अगर यह संशोधन मंजूर कर लिया जायगा तो मैं समझता हूं कि इससे पुश्त दरपुश्त जो कलंक हमारे समाज पर चला आ रहा है उसे धोने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह संशोधन एक आभूषण का काम इस विधेयक में करता है। यह तो मैं नहीं मानता कि इससे छुआ छूत की सारी बीमारी दूर हो जायगी लेकिन इतना जरूर है कि इस ओर यह एक बड़ा कदम होगा। छुआछूत की बीमारी गांवों में अधिक है। शहरों में या पढ़े-लिखे लोगों में इतनी नहीं है। यद्यपि अभी तक सरकार का रुख इस संशोधन के बारे में मालूम नहीं है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वह इसे स्वीकार करेगी। बहुत थोड़े लोग इससे प्रभावित होंगे क्योंकि अगर इस कानून में सजा पाये हुए लोगों की संख्या सारे प्रदेश में गिनने बैठें तो मुश्किल से उंगलियों पर गिनने को मिलेंगे। इसलिये कोई बड़ी कठिनाई सामने आने की बात नहीं है। इस छुआछूत की बीमारी में हमारा प्रदेश ही नहीं, सारा हिन्दोस्तान फंसा हुआ है। यह बीमारी दूर हुयी है इस विधान सभा के सदस्यों में से अगर कुछ बारीकी से देखा जाय तो मुमकिन है कि एकाध आदमी इसमें भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम पढ़े लिखे लोगों में, कालेजों में यूनिवर्सिटीज में या शहरों में देखें तो यह बीमारी वहां से दूर होती नजर आती है। लेकिन गांवों में दुर्भाग्य से आज भी कुछ लोगों के पानी पीने के कुवें दूसरे बने हुए हैं। आज भी समाज के छुटुआ या जिसे डोम कहते हैं उसके पानी पीने के लिये हर कुवें पर गुन्जाइश नहीं है वह जहां से चाहे पानी निकाल कर पी सके यह अधिकार नहीं है। जब सरकार सब लोगों के लिये अलहदा-अलहदा कुयें देने के लिये तैयार नहीं है तो पानी का प्रबन्ध क्या हो? मैं समझता हूं कि वह दिन शायद अभी दूर है कि सब जगहों पर उन लोगों को जाने का अधिकार होगा, इसलिये इस संशोधन का मानना और भी आवश्यक हो जाता है। इस विचार में अगर हम किसी से प्रेरणा पाते हैं तो सबसे अधिक महात्मा जी से; उन्होंने तो बार-बार यह कहा था कि हमको अपने दिखावे के लिए ही ऐसा काम नहीं करना चाहिये कि हम छुआछूत को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने यह समझाया था कि इस चीज को ऐसे दूर करना चाहिये और ऐसे दर्शाना चाहिये कि लोग भूल जावें कि वे कभी अपने जीवन में छुआछूत में विश्वास करते थे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को कोई कठिनाई इस संशोधन के मानने में नहीं होनी चाहिये। ऐसे संशोधन को देना मैं सेलेक्ट कमेटी में भूल गया और यहां भी भूल गया क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में जन्मा हूं जो छुआछूत के सिद्धान्त पर विश्वास करते रहे हैं। इसलिये उस दुख दर्द को याद नहीं रही। आज अलबत्ता यह मालूम हो रहा है कि यह सिद्धान्त बड़ा खराब है। आज वह समाज को टुकड़े-टुकड़े में बांट देने वाला है। विधान सभा की कार्यवाही में हम महसूस करते हैं, रोज इस बात को सुनते हैं कि किसी हरिजन को नौकरी नहीं मिली, किसी बैकवर्ड को नौकरी नहीं मिली। जब हम उसके मूल में जाते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि पुराने जमाने से जो भावना हमारे खून में चली आ रही है वही इसका एक कारण है। इस चीज को लेकर अफ्रीका में बरबादी हो रही है, अमेरिका में भी कुछ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लेकर अमेरिका दो हिस्सों

में बंटा हुआ है। अगर रूस को अमेरिका के विरुद्ध कुछ कहने को मिलता है तो सब से बड़ी बात यही है कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समाज में कुछ निचले स्तर का समझा जाता है। अफ्रीका और अमेरिका में जो चीजें हो रही हैं उनकी निन्दा करने में हम संकोच नहीं करते हैं लेकिन हमें अपने यहां उस चीज को मिटाने के लिये जितनी जल्दी कदम उठाया जा सके उतनी जल्दी उठाना चाहिये। मेरी स्वशासन मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वे इस पर विचार कर लें और विचार करने के बाद उसको स्वीकार कर लें। यह काम करके वे उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वालों की जिन्दगी में एक ऐसी कड़ी जोड़ देंगे कि अगली दो तीन पीढ़ियों में हम उस बुराई से बच जायेंगे जिससे समाज के टुकड़े-टुकड़े में बंट जाने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार से हमारे बीच में जो टुकड़े-टुकड़े होने का एक झंझट है उससे हम बच जायेंगे। इतनी बात को कह कर मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय धर्मसिंह जी के संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र धर्मसिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पंचायत राज की व्यवस्था हमारे ग्रामों को एक नवीन रूप देने के लिये की गई है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों और कार्यक्रमों के अनुसार ही उनके कल्पनानुरूप ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो समाज हमारे देश को सब प्रकार से समुन्नत और समृद्धशाली बनाने में सशक्त हो सके। अतः यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के कार्यों में जो भावना बाधक होती है उसको मिटाना हमारा कर्तव्य है। अस्पृश्यता, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा हमारे देश के अन्दर समाज में एक बहुत बड़ी पृथक करने की भावना को पैदा करती है। उस अस्पृश्यता को जितना शीघ्र हो सके हमें मिटाना है, इतना ही हमारे लिये श्रेयस्कर है। हम देखते हैं, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि शहरों के अन्दर अस्पृश्यता व्यावहारिक रूप में मिट गयी है। यह हो सकता है कि कभी-कभी विचारों में और संस्कारों में वह जीवित दिखाई देती हो, लेकिन वैसे शहरों के अन्दर से व्यावहारिक रूप में यह संकुचित मनोवृत्ति समाप्त हो गयी है। किन्तु ग्रामों में जिस रूप में जाना चाहिये उस रूप में अभी तक नहीं गयी। यह बात ठीक है कि आज के जो नौजवान हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है या जिन्होंने संसार के विभिन्न विचारों को देखा और अध्ययन किया है वे अस्पृश्यता की व्यर्थता को समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और व्यवहारतः वह चीज अब दूर होती चली जा रही है। किन्तु अभी भी ग्रामों में प्राचीन संस्कारों के मानने वाले लोग काफी तादाद में हैं और उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको अनावश्यक और व्यर्थ समझते हुए भी अपने संस्कारों के वश उसे छोड़ नहीं पाते। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध हो, कोई अंकुश हो तो बहुत मुमकिन है, क्योंकि संस्कार के अभ्यस्त जो लोग होते हैं वे प्रतिबन्ध और अंकुश से बहुत डरते हैं, जब हम नवीन ग्रामों का निर्माण करने जा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में जो लोग ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों की सदस्यता के लिये खड़े होंगे वे लोग जब इस बात को समझेंगे कि यदि हम अस्पृश्यता को मानेंगे और मुमकिन है कि आजकल के जाग्रत युग में कोई इस प्रकार के केस चलाये जायं और उसमें हम दंडित हो गये तो फिर हम समाज निर्माण के कार्य में कोई भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसी भावना उनके अन्दर उत्पन्न होगी तो मैं समझता हूं कि वे अपने को व्यवहारतः उससे दूर रखने की कोशिश करेंगे और संस्कार के प्रबल होते हुए भी वे इस बात की कोशिश करेंगे कि अस्पृश्यता दूर हो। तो इस दृष्टि से इस सम्बन्ध में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार स्वयं अस्पृश्यता को निर्मूल करने के लिये इस प्रकार के कदम उठा चुकी है और कानून बना चुकी है, ताकि किसी व्यक्ति को किसी जगह पर जाने में इसलिये रुकावट न पड़े कि वह किसी खास वर्ग में पैदा हुआ है, या किसी खास घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार की भावना बहुत दिन पहले दूर हो चुकी है और इसका प्रमाण यह है कि आज समाज के जितने सर्वोच्च स्थान हैं, शासन के जितने सर्वोच्च स्थान हैं उन पर आज सभी जातियों के लोग मौजूद हैं। मिनिस्टर से लेकर डिप्टी कलेक्टर, जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, दारोगा आदि सभी लोग सरकारी नीति के अनुसार जिनको बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं उनके सभी लोग हमारे समाज और शासन के सर्वोच्च स्थानों पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे भाइयों को यह शिकायत है और यह जायज शिकायत हो सकती है कि जिस परिमाण में उनको आना चाहिये उस परिमाण में वे नहीं आ रहे हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रगति हो सकती है और वह दिन भी आयेगा जब कि इस प्रकार का कोई भेद नहीं रह जायगा। कौन व्यक्ति किस आसन पर बैठे, जाति और वर्ण का विचार बहुत शीघ्रता के साथ लोप होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में इस संशोधन को, जो बहुत ही श्रेयस्कर और हमारी नीति के सर्वथा अनुकूल व महात्मा जी द्वारा दिखाये हुए मार्ग का प्रदर्शक है, माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भावनायें इस सदन के माननीय सदस्यों ने प्रकट की हैं मैं उन सब से पूरी तरह से सहमत हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि यह कलंक समाज में अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा बहुत दूर तक यह अलग हो चुका है। और जहां तक इस संशोधन के रखने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शब्दों का थोड़ा हेरफेर करना होगा। एक तो यह कि जहां ए क्ट में "इन" छपा हुआ है वहां "इज" हो जायगा और दूसरे "फाइन्ड" और "कनविक्टेड" इनदोनों में एक होगा। शब्दों के सम्बन्ध में मुझे सिर्फ यही कहना है कि इन दोनों शब्दों में से एक ही शब्द रहे और भाषा को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस तरह से चाहें उसे ठीक कर लें। और इसके साथ ही एक कानसिक्वेन्शियल अमेंडमेंट है कि प्राविजों में (K) जोड़ दिया जाय।

श्री चन्द्र सिंह रावत—(जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि उत्कट इच्छा होते हुए भी, अर्थात् मैं इस संशोधन को स्वीकार करना चाहता था लेकिन जब मैं मुल्क की वस्तु-स्थिति देखता हूं तो मुझे दुःख होता है और ऐसे आदर्शवाद को मुखालिफत पोस आफ लेजिस्लेचर का विरोध करना पड़ता है। जब हम अदालतों में डिप्रेस्ड क्लासेज के खिलाफ रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट के मुकदमे आते हुए देखते हैं तो आम तौर से उन मुकदमात से पता चलता है। जहां भी ए क्लासेज के आपस में जातीय झगड़े होते हैं उनमें से कमजोर पार्टी का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यह संशोधन इस सदन से पास हो जाता है तो मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि इसके पास हो जाने के बाद अदालतों में सबूत मिलने में बड़ी भारी अड़चन पैदा हो जायगी। बहुत से लोग जो समाज सुधार में विश्वास करते हैं और जो समझते हैं कि जो कोई इस कानून से सजा पा जायगा वह भविष्य में नागरिक कार्यों में भाग न लेगा और जब इस तरह से कोई सबूत न मिल सकेगा तो हमें पिछले अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, हमें सीखना चाहिये और अपनी जिन्दगी ही में जो अनुभव हमें हासिल हुआ है उसको समझ कर हमें आगे कदम उठाना चाहिए। यह बात नहीं है कि मेरी हमदर्दी शिडयूल कास्ट के साथ नहीं है बल्कि मैं तो चाहता

हूं कि वह लोग भी जल्द से जल्द अपर क्लासेज के बराबर आ जायं लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कई बार दुनिया की तारीख में यह हुआ है कि लोग एक काम को करने के लिये जितने चिन्तित थे और जितनी जल्दी कदम बढ़ा कर उसमें सफलता चाहते थे उस सुधार या उस काम के करने में उतनी ही अधिक बाधा पड़ी और उतना ही अधिक सुधार दब गया और होने नहीं पाया। इसका कारण यह है कि जहां पर सेन्टीमेंट्स इतने डीप रूटेड हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो कि सदियों की आदतें हैं जिनको हम सेकिंड नेचर कहते हैं उनको अगर हम एकदम दबाना चाहेंगे तो जनता में अन्दर-अन्दर एक तरह की फीलिंग आफ रिबेलियन चलता है जिसको दबाना मुश्किल हो जाता है। इस चीज को तो हम आहिस्ता-आहिस्ता प्रचार, प्रोपेगेन्डा और तालीम से दूर कर सकते हैं, लेकिन जितनी कोशिश हम उसको कानून के द्वारा करने की करेंगे आपके ग्रामों में उतनी ही रिबेलियन की फीलिंग पैदा होगी और समाज जो कन्जरवेटिज्म का गढ़ है, उसमें एक बगावत की भावना आवेगी। यह तो उनकी जिन्दगी को नरक बनाकर उनमें एक दूषित भावना पैदा करने का निमंत्रण देना है।

मैंने अपना सुझाव पेश किया अगर सदन मुनासिब समझे तो उस पर गौर करे, मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मैं इसका हामी नहीं हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही बिलकुल सही है, वह गलत भी हो सकता है लेकिन मैं अपने अनुभव से बताना अपना नैतिक फर्ज समझता हूं और यही बात इसलिये मैंने सदन में पेश कर दी। मुझे खेद है कि मुझे इस प्रकार इस अमेंडमेंट का विरोध करना पड़ रहा है और घोर विरोध करना पड़ रहा है, इसलिये कि मैं उनकी दशा सुधारने के लिये अधिक चिन्तित हूं और मुझे आज वह नज्जारा दिखाई दे रहा हूं कि भविष्य में जो सबूत उनके मुकदमों में मिल सकते थे वे भी गायब हो जायेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय धर्मसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और रावत जी का विरोध करता हूं। समाज की इस अस्पृश्यतारूपी कलंक के लिये हरिजन ही अकेले जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि सारा हिन्दू समाज जिम्मेदार है। अस्पृश्यता इस समाज के ऊपर महान् कलंक है और मैं माननीय मंत्री जी ने जो दिल खोल कर इसको मंजूर करने के लिये इच्छा प्रकट की है उसके लिये बधाई देना चाहता हूं और उसके बाद रावत जी ने जो उसका विरोध किया है उसके लिये उनको भी बधाई देना चाहता हूं। यह कलंक केवल मेरे ऊपर नहीं है यह कलंक रावत जी के ऊपर भी है। इसको दूर करने के लिये रहनुमाई पूज्य बापू ने की थी, इस कलंक को मिटाने के लिये पूज्य बापू ने कोशिश की थी और उस दिन मुझे सब से ज्यादा दुख हुआ था जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गयी थी। मैं कलवारी में था और मैंने उसी समय कहा था कि आज कोई दुनिया में हरिजनों का समर्थक नहीं रहा। लेकिन आज हमारे दुर्भाग्य से रावत जी कांग्रेस के आदमी होते हुए भी उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो कोशिश की कि समाज में जो यह कलंक लगा हुआ है उसको हटाया जाय और इसीलिये वह इसको पंचायत राज्य में रखना चाहती है कि यह कलंक दूर हो क्योंकि गांवों में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप है। आज हम एम० एल० ए० होने के बाद भी चारपाई पर नहीं बैठ पाते हैं। मैं मानता हूं कि इसको दूर करने के लिये प्रचार किया जाय। सामाजिक कुप्रथाओं को हम कानूनों से दूर नहीं कर सकते लेकिन यह भी सही है कि कानून सहायक हो सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय सदस्य अमेंडमेंट पर नहीं बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शिवनारायण—मैं राजा साहब से कहना चाहता हूं कि मैं अमेंडमेंट पर ही बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि समाज की बुराइयों को दूर करने में कानून सहायक हो सकता है। हम कानून की शरण लेते हैं तब जाकर कहीं न कहीं सुनवाई होती है। अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि खुशीराम जी ने दरख्वास्त दी तब तीन महीने की सजा हुई सोशल डिसऐबिलिटीज ऐक्ट में। आज भी नाई लोग बाल बनाने से इन्कार करते हैं, मिर्जापुर में मेहतर लोग आज इसके लिये भी तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत सी जगह पर धोबी कपड़ा नहीं धो रहे हैं। तो यह सब सोशल डिस्ऐबिलिटीज ऐक्ट में रखा गया था। वह अनिवार्य है। उसी को पंचायत राज्य विधेयक में भी रखना चाहते हैं कि उसकी वजह से कोई खड़ा न हो सके, यह नहीं होना चाहिये। यह बड़ा सुन्दर संशोधन है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल खोल कर इसका स्वागत किया।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री धर्मसिंह जी को बधाई देता हूं जिन्होंने यह संशोधन इस बिल में पेश किया है और जो कमी इसमें रह गयी थी उसको दूर किया है और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको कम से कम स्वीकार तो कर लिया है। हमारे चन्द्र सिंह जी रावत ने कहा कि उनको जरा भय है कि अगर इसमें यह रखा गया तो जो मुकदमें सोशल डिस्ऐबिलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत होते हैं उसमें शहादत नहीं मिल सकेगी और इसलिये जो गुनहगार होंगे उनको सजा नहीं मिलेगी। यह संशय जो है वह नहीं उठेगा और इसका असर उस पर नहीं पड़ेगा। यह रावत जी का केवल सन्देहात्मक भय है। क्योंकि जब हमने सिद्धान्त के तौर पर मान लिया है कि समाज में जितने भी मुजरिम हों उनको डिसक्वालिफाई कर देना चाहिये तो सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट के जो जुर्मदार होंगे वह भी समाज के दुश्मन हैं और जिस तरह से कि ब्लैक मार्केटिंग, चोरबाजारी वाले इसमें डिसक्वालिफाइड किये गये हैं इसी सिद्धान्त से सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट के मातहत जो कुसूरवार हों उनको भी डिसक्वालिफाई कर देना चाहिये। इससे मैं समझता हूं कि यह तो नहीं हो सकता कि सोशल डिसेबिलिटी या अनटचैबिलिटी जो है वह पूरी दूर हो जायेगी लेकिन इससे इतना फायदा हो सकता है कि वातावरण में परिवर्तन हो जायगा। कम से कम पंचायतों में अगर वह चीज रक्खी जायगी तो उससे वह लोग वहां जो अनटचैबिलिटी या छुआछूत है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और उससे वातावरण में एक तरह से परिवर्तन हो जायगा। इस समय और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं केवल रावत जी के भ्रम को दूर करना चाहता था कि इसमें ऐसी गुंजायश नहीं हो सकती कि उनको शहादत नहीं मिलेगी।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय धर्मसिंह जी को बधाई देता हूं कि वह यहां एक ऐसा अमेंडमेंट लाये हैं और उसके पश्चात् माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। मुझे केवल एक बात कहनी है इस सिलसिले में और वह यह है कि सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट हमारे यहां सन् ४७ में बना और उसके बाद कितना अमल हुआ क्या हुआ यह तो दूसरी बात है। लेकिन उसी चीज को देखते हुये गवर्नमेंट आफ इंडिया एक कम्प्रिहेंसिव बिल इस सिलसिले में ला रही है और उस ऐक्ट के अन्तर्गत वह जुर्म कागनिजेबिल आफेंस होंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह ऐक्ट उस वक्त रिपील हो सके और उसके अन्दर जितने भी जुर्म

होंगे उनको ज्यों का त्यों उसमें शामिल कर लिया जाय। ऐसी चीज न हो कि सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट तो ले लिया लेकिन चन्द दिनों के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया कोई ऐक्ट ले आये जो कि देश भर में लागू हो और यहां से रिपील हो जाय और बात ही खत्म हो जाय । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस वक्त यह कम्प्रिहेंसिव बिल गवर्नमेंट आफ इंडिया से पास हो जाय उसको उसी रूप में यहां रखने की कृपा करें और यह संशोधन ज्यों का त्यों तब्दील हो जाय।

श्री अब्दुल मुईज खां—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री धर्मसिंह जी के संशोधन में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं। परिवर्तित रूप में संशोधन इस प्रकार से हो जायगा :

"Has been convicted under the U. P. Removal of Social Disabilities Act, 1947 and the conviction has not been set aside in appeal."

श्रीमन्, यह संशोधन जो मने रक्खा है उसका उद्देश्य यही है कि जिस चीज को श्री धर्म सिंह जी ने अपने संशोधन में रखना चाहा था उसको मजीद तकवियत दूं। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे किसी व्यक्ति से कोई कनविक्शन हो जाय, उस पर फाइन या इम्प्रिजनमेंट का कोई सेन्टेंस हो जाय और उसी बीच में कोई चुनाव आये और उस व्यक्ति ने अपील भी कर रक्खी हो लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसका कनविक्शन हो गया है उसका नाम खारिज कर दिया जायगा चाहे बाद में वह निर्दोष ही क्यों न ठहराया जाय। इसलिये उसी उद्देश्य को लेकर मैंने इसे रक्खा है और उम्मीद है कि वह इसे मान लेंगे।

***श्री कमला सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिये मैं माननीय धर्म सिंह जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार जब हम यह देख रहे हैं कि हमारे देश के बाहर भी अफ्रीका में इसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है और अमेरिका में वहां के लोग नीग्रो जाति वालों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं और हम ऐसी चीजों की निन्दा करते हैं और भारतवर्ष में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ऐसी चीजों को पसन्द करे तो फिर हमारा यह फर्ज है कि हम अपने ही प्रदेश में जो हम अपन ही दूसरे भाइयों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उसको देखें। आज इस सदन में जब हरिजन और पिछड़े वर्ग की समस्याएं चल रही थीं तो यह कहा गया कि वर्गवाद और जाति पांति की बातें चल रही हैं। मैं समझता हूं कि इसीलिये यह संशोधन लाया गया है और यही सब से अच्छा तरीका हो सकता है।

जहां तक हमारे रावत जी ने इस संशोधन का विरोध किया और यह कहा कि हमें शहादत मिलनी कठिन हो जायगी अगर अस्पृश्यता के बारे में कोई कम्प्लेंट न मिले, कोई शहादत न मिले, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कोई ऐसी आवश्यकता ही न पड़े जिसमें किसी ऐसी शहादत की जरूरत हो। अगर गांवों के लोगों में, चाहे वह किसी वर्ग के हों, आपस में कोई भेदभाव न रहे तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की शहादत की जरूरत होगी। अगर हमारे देश और प्रदेश के सभी लोग इस बात का प्रयत्न करें कि अस्पृश्यता जल्दी से जल्दी मिटे, तो फिर हमारे यहां ऊंच नीच का सवाल ही नहीं रहेगा बल्कि जितने हमारे देशवासी हैं सब एक हो करके रहेंगे और सबको बराबर बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि जो इस भाव का विरोध करेंग वह हमारे देश के सच्चे दोस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह]

नहीं कहे जा सकते। इसी सदन में मैंने एक बार यह सुना था कि किसी माननीय मंत्री ने यह कहा था कि हरिजन वर्ग के लोगों के साथ साथ जो लोग एक दूसरी जाति में शादियां करें उनका भी सरकारी नौकरियों में ध्यान रखा जाय। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि जिस भाव से यह संशोधन इस सदन में रखा गया है वह बहुत ही महत्व-पूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री कालीचरण टंडन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुईज खां साहब ने संशोधन पर संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से माननीय धर्म सिंह जी ने अपना संशोधन रखा है और जिस पवित्र उद्देश्य से माननीय मंत्री महोदय ने उसे स्वीकार किया, उसका खात्मा हो जाता है इनके संशोधन से। जिसका कन्विक्शन होता है वह अगर अपील से छूट जाता है तो वह कन्विक्शन रह ही नहीं जाता। इसलिये अपील के फैसले के बाद उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं रह जाता। अतः मेरा माननीय मुईज खां साहब से अनुरोध है कि इस संशोधन पर जो वह अपना संशोधन रख रहे हैं उसे वापस ले लें ताकि जो श्री धर्मसिंह जी का संशोधन है, जिसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है वह उसी भावना और उसी रूप में स्वीकार किया जा सके।

***श्री मदनमोहन उपाध्याय**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय धर्मसिंह जी को इस संशोधन के उपस्थित करने के लिये और माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार करने के लिये बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। माननीय मुईज खां जी ने जो इस संशोधन पर संशोधन रखा है उसका विरोध करने के लिये भी मैं खड़ा हुआ हूं और मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर ज्यादा बहस-मुबाहिसा न करें। जो अपील से छूट जाता है वह तो छूट ही जाता है और उस पर कोई जुर्म नहीं लग सकता है और जो अपील तक नहीं जाता है वह भी सजावाला माना ही जाता है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है और माननीय मंत्री जी को इसे सलेक्ट कमेटी में ही किसी से पेश करवा कर स्वीकार कर लेना चाहिये था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, वहां नहीं किया तो यहां मान लिया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने सदन की भावना को इसमें रखा। हम सब चाहते थे और बहुत दिनों से इस हाउस के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की बहस हुआ करती थी कि हरिजनों को फलां-फलां हक मिलने चाहिये और अगर यह हक न दिया जाता और इससे लोगों को प्रोत्साहन न दिया जाता तो कोई उचित बात न होती। आज कल जहां कहीं देखिये, जैसा कि माननीय शिवनारायण जी ने खुद कहा कि उन्हें चारपाई पर कोई नहीं बैठने देता, बड़ा दुःख होता है ऐसी बातों को सुन कर। (हंसी)--हंसने की कोई बात नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय शिवनारायण जी का नाम ले लिया इसलिये हंसी की बात हो जाती है। मैं इसको बड़ा सीरियसली महसूस करता हूं। कोई भी इंसान हो, अगर इस पर भी लोग एतराज करें तो बड़े दुख की बात है। खाने पीने की बात तो दूर रही, जो ऐसा जुर्म करते हैं उनको तो किसी भी सार्वजनिक कार्य में मौका नहीं मिलना चाहिये। इस चीज को हमारे सामने लाकर के माननीय धर्म सिंह जी ने जो काम किया है वह बड़ा सराहनीय है और माननीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को मान लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन लाल गौतम--जो बधाई उपाध्याय जी ने दी है उसको सारे सदन की बधाई मान कर अगर वादविवाद कम हो जाय तो अच्छा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है वह तो वास्तव में एक बधाई की चीज है और उसे माननीय मंत्री जी ने मान भी लिया है और जो संशोधन पर संशोधन उसके अन्दर आये उसका माननीय कालीचरण टंडन जी ने और माननीय उपाध्याय जी ने विरोध किया। उनसे मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा संशोधन इसमें यह है कि उनको डिस्क्वालिफ़ाई किया जाय लेकिन केवल एक टर्म के लिये एक सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट के अन्दर किसी को जिन्दगी भर के लिये डिस्क्वालिफ़ाई कर देना, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। वह कोई ऐसा हीनियस क्राइम तो है नहीं कि जिन्दगी भर के लिये उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाय। तो मेरा संशोधन यह है कि केवल एक टर्म के लिये उसको डिस्क्वालिफ़ाई किया जाय क्योंकि सरकार की जो नीति है वह यह है कि हम अपराधी की भावनाओं को, उनके जीवन को सुधारें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और संशोधन पेश करता हूं कि उनको केवल एक टर्म के लिये डिस्क्वालिफाई किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल-- मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय धर्म सिंह जी, जो शाब्दिक परिवर्तन माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उस पर भी आप अपनी राय दे दें कि आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं।

श्री धर्म सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, वह मुझे स्वीकार है। इसके बाद मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें हिस्सा लेकर ऐसी चीज का समर्थन किया जिससे लाखों आदमियों की जिन्दगी का सम्बन्ध है और खास तौर से मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ मैं चन्द्र सिंह रावत जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके सिद्धान्त से तो वह कम से कम सहमत हैं ही।

श्री उपाध्यक्ष--मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय अब्दुल मुईज खां अपने संशोधन को प्रेस करना चाहते हैं या वापस लेते हैं?

श्री अब्दुल मुईज खां--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा 5—A के खंड (j) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (k) रख दिया जाय :--

"(k) Is convicted under the U.P. Removal of Social disabilities Act, 1947."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजवासीलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 5—A के पहले प्रतिबन्ध की दूसरी

[श्री वृजवासीलाल]

पंक्ति में शब्द (i) के बाद शब्द "and" निकाल दिया जाय और शब्द "j" के बाद शब्द and ("k") बढ़ा दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 5---A के पहले प्रतिबन्ध में दूसरी पंक्ति में शब्द ("i") के बाद शब्द "and" निकाल दिया जाय और शब्द "j" के बाद शब्द "and (k)" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयपाल सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 5-A के अंत में एक नया प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :---

"Provided that cases involving the disqualifications of any member of a Gaon Panchayat, Pradhan and U P—Pradhan and Punch of a Nyaya Panchayat occuring under section 5—A shall be decided by a law court other than the Nyaya Panchayat."

मेरा इस संशोधन के पेश करने का मंशा यह है कि न्याय पंचायत और गांव सभा के प्रधान और उपप्रधान के संबंध में जो केसेज आयें जिनमें डिस्कवालिफिकेशन्स का प्रश्न उठता हो और कोई जुर्माना हो जाता है तो ऐसे केसेज में इनको डिस्क्वालिफिकेशन न मानी जाय, बल्कि यह केसेज ऊंची अदालत के जरिये तय किये जायं जब मारल टरपीटयूड के अपराध के सम्बन्ध में सजा या जुर्माना हो तो डिस्क्वालिफिकेशन तस्लीम न की जाय। ऐसी अवस्था में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे मामले हुये हैं गांव सभा के प्रधान के खिलाफ, दूसरी पार्टी के लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशन्स की हैं या शिकायतें की हैं और दो चार रुपया उन पर जुर्माना कर दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उसने उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया।

ऐसी हालत में उन लोगों के लिये जिनका पंचायती अदालत में अगर नहीं होता है और एक पक्ष के लोग होते हैं जो यह चाहते हैं कि छोटी जाति के लोग प्रधान न रह सकें। महज वह यही चाहते हैं कि नीची जाति के लोग प्रधान न रह सकें। ऐसी अवस्था में उनको यह मौका मिलेगा कि उनको डिस्क्वालिफाई करा दें और चुने हुये प्रधान को डिस्क्वालिफाई करा दें। यह देखने में आया है और मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अपने जिले में बहुत पार्टी के व्यक्तियों ने इस तरह से लोगों को डिस्क्वालिफाई कराया और कसूर सिर्फ उनका यह था कि दोनों आपस में लड़ते थे और इसके अलावा उनका और कोई कसूर नहीं था। आप चाहते हैं कि न्यायी अदालत में इस किस्म की पार्टीबन्दी होती है और जो फैसले किये जाते हैं, उनकी वजह से न्यायी अदालतों के बारे में बहुत सी कहावतें मशहूर हैं। यहीं तक नहीं होता है। लोगों में करप्शन की भावना भी काफी होती है और लोग वकीलों से जाकर दो-दो सौ रुपया, चार-चार सौ रुपया लेकर फैसला लिख देते हैं और एक मत में, एक पक्ष में फैसला कर देते हैं और दूसरे पक्ष में भी फैसला लिख लिया जाता है और तब सरपंच अपना फैसला करते हैं। इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं। जो लोग पंचायती अदालतों में प्रभावित हो नहीं होते हैं उनको पार्टीबन्दी द्वारा डिस्क्वालिफाई कर देते हैं और इसके लिये मौका ढूंढा करते हैं, क्योंकि वह छोटी जाति वालों से हमेशा चिढ़ा करते हैं कि वह हमारा प्रधान कैसे हो गया और जितनी जल्दी हो अलग किया जा सके यह कोशिश की जाती है। तो ऐसी हालत में मैं यह

कह देना चाहता हूं कि जितने भी छोटी जाति के लोग होते हैं प्रधान या उपप्रधान, उनको निकालने के लिए हर एक तैयार हो जाते हैं कि किसी तरह से कोई न कोई बहाना मिल जाय। तो ऐसी हालत में उनके लिये सेफगार्ड होना चाहिये और वह यह कि उनसे ऊंची भी अदालतें हैं, उनको यह मौका दिया जाय कि वह उन केसेज को तय करें और उनकी अपील के ऊपर या निर्णय के ऊपर अगर वह सजा यापता हो सकें और जुर्माना हो तो वह उनको देने होंगे और डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं। तो कहना यह है कि हाई कोर्ट में रिवीजन कर दें या हाई कोर्ट में रिट अप्लीकेशन दे दें, एक साल हाई कोर्ट में लगे, हजारों रुपया खर्च करे और १५ रुपया जुर्माने के लिये इतना खर्च करे, गरीब आदमी तो उसमें जुर्माना देना ही भला समझेगा। लेकिन मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूं कि बिना किसी कसूर के, सिर्फ इसलिये कि दुश्मनी है, इसलिये डिस्क्वालिफाई हो जाय और उनको डिस्क्वालिफाई करने का अधिकार ऊंची जाति को रहे और वह इस घात में बैठे रहें कि छोटी जाति के प्रधान को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। अगर उनको यह सेफगार्ड नहीं दिया जायगा तो इस तरीके से बराबर उनको लोग अलग करने की कोशिश करते रहेंगे और जो पिछले दिनों हुआ वह आगे भी करेंगे। मैं अपने निजी अनुभव से यह बात कह रहा हूं।

इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर वह यहां पर इस बात को न मानें, लेकिन कुछ न कुछ इसके लिए इन्तजाम करना होगा ताकि उनके साथ में अन्याय न हो सके और हमारे पूरे समाज द्वारा बहुमत से निर्वाचित प्रधान और उपप्रधान के साथ खिलवाड़ न हो सके और कोई भी व्यक्ति अदालती पंचायत में जाकर उनको अलग करने की कोशिश न करे और जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसका दम न घुट जाय। अगर इस विधेयक में यह कमी छोड़ देंगे तो जिन लोगों के लिए यह ग्राम पंचायत की व्यवस्था बनाई है वह उनके लिए बजाय ताकत पहुंचाने के एक मजाक बन कर रह जायगी और उपहास ही उनके लिए होगा। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह कानूनन बिल्कुल लिया नहीं जा सकता है। इसमें जो शब्दावली है "प्रोवाइडेड दैट केसेज इन्वाल्विंग दी डिस्क्वालिफिकेशन आफ एनी मेम्बर आफ गांव पंचायत प्रधान ऐंड उपप्रधान ..." इससे यह मालूम होता है कि गलतफहमी से माननीय जयपाल सिंह ने यह संशोधन उपस्थित किया है वरना जो विधेयक का 5-A है उसमें कहीं पर यह दिया नहीं है कि कौन डिसाइड करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो एलेक्शन आफिसर होगा, जिस वक्त में यह प्रश्न चुनाव का उपस्थित होगा, वह उस वक्त इसका फैसला करेगा और यह तो रूल में आयेगा। इसके बाद प्राविजो के रूप में इसे यहां रखने का कोई सेंस नहीं है इसलिये यह असंगत है। मैं समझता हूं कि यह रिजेक्ट हो जाना चाहिए। मुझे इससे पूरी सहानुभूति है और मैं इसके फैक्ट को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं लेकिन पूरी सहानुभूति रहते हुए भी यहां पर यह लीगल टेक्निकलटी की वजह से नहीं लाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय जयपाल सिंह, आपको इसके बारे में कुछ कहना है?

श्री जयपाल सिंह---मैं तो कुछ नहीं कहता। मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए चाहे जैसे करें।

श्री उपाध्यक्ष (श्री शिवनारायण से) क्या आप प्वाइंट आफ आर्डर पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री शिवनारायण--जी हां, प्वाइंट आफ आर्डर जो उठाया गया है, वह ठीक है, यह बिल्कुल इल्लीगल है।

श्री मोहनलाल गौतम--जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित है वह मुनासिब मालूम होता है क्योंकि डिस्क्वालीफिकेशन में अगर देखा जाय तो (*a*) में है---इज फार दी टाइम बीइंग, नाट ए मेम्बर आफ दी गांव सभा कंसर्न्ड (*b*) होल्ड्स एनी आफिस आफ प्राफिट...., यह सब अदालत तय करेगी। इसी तरह (*c*) में इज ए सैलरीड सर्वेंट आफ ए गांव सभा आर ए न्याय पंचायत। तो यह जितनी चीजें हैं इनकी कहां न्याय पंचायत तय कर सकती है, यह तो सब अदालतों से ही तय होंगे। इसलिये यह कुछ इसमें फिट इन नहीं करता है और असंगत सा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह असंगत है और इसलिये मैं इसको आउट आफ आर्डर करार देता हूं।

श्री नौरंगलाल--एक इसमें क्लैरीफिकेशन चाहता था। यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है संशोधन का तो इसका मंशा यह तो नहीं है कि जो कि उन्होंने रखा है, जिसको वह जाहिर नहीं कर सके.....।

श्री उपाध्यक्ष--इस पर तो मैं फैसला दे चुका हूं कि यह आउट आफ आर्डर है।

श्री मोहनलाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद 5-B आ जाता है। इससे पहले 5-A में मेरा एक छोटा सा संशोधन है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पेश कर दूं। यह कांसीक्वेंशल है क्योंकि एक नयी उपधारा (ii) जुड़ जाई है। इसलिए प्राविजो में भी इस (ii) को जोड़ दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 5-A के प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड की पंक्ति २ में '(i)' के बाद '(ii)' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेंद्रपति यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-B को निकाल कर उसके स्थान पर नयी धारा 5-B निम्नप्रकार से रख दी जाय--

"5-B. A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be elected as Pradhan unles he is thirty years of age and know to read and write Hindi in Devanagari characters except where the prescribed authority may relax the conditions."

यहां पर जो शब्द 'अनलेस' है इसमें 'एस' लगाना छपने में रह गया है।

श्री शिवनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। बिल में जो खंड है उसमें यह "A member of a Gaon Sabha shall not be qnalified to be chosen as President unless he is not less than 30 years. लिखा हुआ है।

यहां पर दो निगेटिव "अनलेस" और ही इज "नाट" आये हुए हैं।

श्री वीरेंद्रपति यादव--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

जो नयी धारा 5-B सरकार की ओर से आयी है वह इस प्रकार से है---

"A member of a Gaon Sabha shall not be chosen as president unless he is not less than 30 years of age and, except where the prescribed authority may relax, knows to read and write Hindi in Devanagari characters."

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव संशोधन के रूप में लाया गया है मैं उसके सारांश से सहमत हूं। लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया गया है मैं समझता हूं कि वह कुछ उचित प्रतीत नहीं होती है। पहली बात तो यह है कि जहां पर "A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as president unless he is not less than 30 years आया वहां 'अनलेस' के बाद 'नाट' लगाया गया है। यह दो निगेटिव कर दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि 'अनलेस' के बाद 'नाट' का प्रयोग होना बिल्कुल गलत है।

दूसरी चीज यह है कि यह जो भाषा लिखी गयी है आसानी से एक पढ़ा लिखा आदमी समझ नहीं सकता है। मैं उसके ऊपर क्या टीका-टिप्पणी करूं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन भाषा कम से कम ऐसी है कि उसको आसानी से समझने में बड़ी कठिनाई है। इस तरह से जो संशोधन रखा गया है उससे मैं सहमत होते हुए जो भाषा मैंने सुधरे हुए रूप में रखी है वह इस प्रकार से है जैसा कि मैं ने आपके सामने पढ़ कर सुनाया। जिस भाषा का प्रयोग मैंने किया है वह ज्यादा ठीक है और छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी भी इस भाषा को अच्छी तरह समझ सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी अपनी भाषा को देखते हुए जिस भाषा को मैंने प्रयोग किया है, उसको मानने में उनको कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ भाषा का प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा का सवाल है, अनलेस और नाट दोनों लगा दिये गये हैं। वह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषा मेरी नहीं है। जो यहां बहुत काबिल ड्राफ्टर माने जाते हैं उनकी भाषा है और समझबूझ कर लिखी गयी है और जो संशोधन रखा गया है 'अनलेस ही इज थर्टी इयर्स आफ एज' इसके मानी यह होंगे कि जो तीस साल का है वह हो सकता है और अगर ३१ साल का है तो वह हो सकता है या नहीं हो सकता यह इस संशोधन से साफ नहीं होता है। "ही इज नाट लैस दैन थर्टी इयर्स आफ एज" के मतलब हैं कि "ही मस्ट बी थर्टी इयर्स आर मोर"। यह भाव है। इसलिये इस संशोधन में ज्यादा कन्फ्यूजन है। और यह भाषा बिल्कुल शुद्ध है "अनलेस ही इज नाट लेस दैन थर्टी इयर्स"। यह बिल्कुल साफ है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं मालूम होता है। इसको रहना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से मूल धारा को भी पढ़ा है और उसका संशोधन जो इस सदन में उपस्थित किया गया है उसको भी देखा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मूल धारा और उसका संशोधन दोनों ही जो हमारा कांस्टिटयूशन आफ इंडिया है और दूसरे कानून जो उसके मातहत बनाये गये हैं उनके नुक्तेनजर से इनकांसिस्टेंसी मालूम होती है। पहली बात जहां तक शिक्षा-दीक्षा का स्टैंडर्ड है वह न तो पार्लियामेंट के चुनाव के लिये उम्मीदवार की लेजिबिलिटी के लिये रखा गया है कि वह टेन्थ पास हो या मिडिल पास हो और न दूसरी असेम्बलीज के उम्मीदवारों के लिये ही रक्खा गया है? इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज के उम्मीदवारों के लिये भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं रक्खा गया है।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मूल संशोधन है और यह जो संविधान है दोनों में कोई थर्टी इयर्स पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत--माननीय सदस्य को पता नहीं कि मैं विरोध कर रहा हूं और मैं बतलाना चाहता हूं कि जो लोग यूनियन गवर्नमेंट में जाकर इंटर नेशनल मामलों को समझ सकते हैं, उन पर फैसले देने की क्षमता रखते हैं तो क्या वे तीस साल से कम उम्र में अपने घरों के मसलों को समझने के नाकाबिल हैं? क्या इसके लिये थर्टी इयर्स की एज लिमिट रखना आवश्यक है?

फिर २२ वर्ष की उम्र का कोई भी शख्स इस सदन का सदस्य हो सकता है, २५ वर्ष की उम्र पूरी करने पर वह पार्लियामेंट का सदस्य हो सकता है तो गांव सभा का प्रधान या सदस्य बनने के लिये तीस वर्ष की उम्र रखना यह कुछ असंगत सा प्रतीत होता है। इसलिये मैं मूल धारा और इस संशोधन दोनों का विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि इसमें इनकांसिस्टेंसी है। इसी तरह से एक और धारा यहां पास की गई है जिसमें इनकांसिस्टेंसी थी। इस प्रकार की इनकांसिस्टेंसी से कानून गलत हो जाया करते हैं। यह ठीक है कि समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिये हम कानून बनाते हैं और वह कानून हमारे आदर्श के साथ मेल खाता है और हम गांधी जी के आदर्शों के ख्याल से कानून को पास कर लेते हैं, लेकिन जब इनकांसिस्टेंसी आजाती है तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। गांव के अन्दर अभी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और कानूनों पर अमल करने का जहां तक ताल्लुक है मैं समझता हूं अभी वे बहुत दूर हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं। इस तरह की इनकांसिस्टेंसी से मैं समझता हूं कि हमारे कानून बनाने में जो समय खर्च किया जाता है वह अपव्यय साबित होता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं और जो मूल प्रस्ताव है उसका भी विरोध करता हूं। अगर इसको इस तरीके से रख दिया जाय कि:--

"A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as Pradhan unless he is not less than 25 years of age and, except where the prescribed authority may relax, knows to read and write."

वह पढ़ना-लिखना जानता हो...।

श्री कृपाशंकर--मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बाद जो संशोधन आया है वह इसी तरह का है जो 'एज' से ताल्लुक रखता है और इसके आगे २१ पर "लिखने पढ़ने" से ताल्लुक रखने वाला संशोधन भी है। अगर उसी वक्त इस पर विचार किया जाय तो ठीक होगा और इस वक्त इस पर विचार नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--बाद में वह संशोधन आये हैं उस समय उन पर विचार हो सकता है।

श्री शिवनारायण--मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि 'एज' का क्लैयरीफिकेशन वहां पर हो जायगा। और माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि वहां पर....।

श्री उपाध्यक्ष--जो सदन के सामने इस समय संशोधन है उसी के बारे में कुछ कहा जा सकता है, आगे वाले के ऊपर इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री शिवनारायण--जो संशोधन इस वक्त सामने है वह ग़लत है और जो असल बात उसमें होनी चाहिये थी वह उसके अन्दर नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--मैं माननीय मंत्री जी के विचारों से सहमत हो गया हूं और इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गजेन्द्र सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-B की पंक्ति ३ में अंक "30" के स्थान पर अंक "25" रख दिया जाय।

अब यह धारा इस प्रकार से हो जायगी कि--

"5—B:—A member of a Gaon Sabha shall be qualified to be chosen as Pradhan unless he is not less than 25 year of age and except where the prescribed authority may relex, knows to read and write Hindi in Devanagari characters

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मंशा सिर्फ यह है कि इस संशोधन को पेश करने से कि जो माननीय मंत्री महोदय ने गांव सभा के प्रधान की पोस्ट को होल्ड करने के लिए ३० साल की उम्र के व्यक्ति को उन्होंने क्वालीफाइड करार दिया है, मैं चाहता हूं कि ३० के बजाय २५ साल की उमर के व्यक्ति को गांव सभा का प्रधान के पद पर खड़ा होने का अधिकार होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने ३० साल की जो उमर की कैद रखी है उसके लिये दलील देते हुए उन्होंने कहा था कि ३० साल की उमर उन्होंने इसलिए रखी है कि ३० साल का व्यक्ति काफी समझदार हो जाता है। और वहां पर ऐसे परिवार होंगे कि जिनकी उमर इतनी हो और वह उसमें आ सकें। जहां तक उमर का ताल्लुक है अगर इसके स्थान पर ४० साल या ४५ साल या ५० साल रख दिया जाय तो ज्यादा ठीक होगा क्योंकि इतनी उम्र वाले व्यक्ति को और भी ज्यादा अनुभव होता है और ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ३० साल के व्यक्ति को काफी जानकारी होती है लेकिन उसके बजाय अगर २५ साल रख दिया जाय तो ठीक रहेगा। क्योंकि २५ साल की उमर में भी काफी जानकारी आदमी को हो जाती है और वह काफी लिखा पढ़ा हो सकता है और उसके अन्दर काम करने की काफी योग्यता होती है। यंग मैन में काम करने के लिए इनर्जी अधिक होगी। गांव पंचायतों में जाकर लोगों को रचनात्मक कार्य करने हैं और यंग मैन उनको अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि मेरा संशोधन स्वीकार होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें २ हिस्से हैं, एक ऐज का दूसरा एजूकेशन क्वालीफीकेशन का। मेरा सुझाव है कि दोनों पर अलहदा-अलहदा बहस हो जाय।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—उपाध्यक्ष महोदय, एज के कुछ संशोधन २१ साल के हैं, कुछ २५ के हैं, इसलिए यह निर्णय करना होगा कि पहले कौन सा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि दोनों पर वादानुवाद एक साथ हो जाय और राय अलहदा ले ली जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, एक गैरसरकारी दिन एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि कई संशोधन एक साथ नहीं लिये जा सकते यदि कोई असहमत हो। यहां माननीय बालेन्दुशाह जी को आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बालेन्दुशाह जी सुविधा की बात तो मान गये थे, यानी वादानुवाद एक साथ हो और राय अलग-अलग ले ली जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, इतना अवश्य कर लिया जाय कि २१ वर्ष के संशोधनों पर एक बार मत ले लिया जाय और २५ पर बाद में। जब तक कोई संशोधन पेश ही नहीं है तो उस पर मत कैसे लिया जा सकता है?

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---यह उचित है कि २१ और २५ वाले दोनों एक साथ ले लिये जायं और वोटिंग अलहदा अलहदा हो जाय ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक क्वालीफीकेशन का मामला है उस पर काफी समय देना चाहिये चूंकि ऐसी गलतियां की जा रही हैं कि जो प्रतिबन्ध पार्लियामेंट या असेम्बली के लिये नहीं हैं वे गांव सभा के लिये लगाये जा रहे हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :---

"खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-B में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय---

"Unless he is not less than 30 years of age and"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें से जितने शब्द निकालना मैं चाहता हूं उसके बाद यह धारा इस प्रकार रह जाती है---

"A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as Pradhan unless, except where the prescribed authority may relax, knows to read and write Hindi in Devanagari Characters"

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अभी आपने यह किया था कि आयु सम्बन्धी संशोधन एक बार ले लिये जायं, लेकिन इसमें कई एक संशोधन ऐसे मिलेंगे जो आयु और भाषा दोनों से संबंध रखते हैं। इसमें ग़लतफहमी होने का अंदेशा है।

श्री मोहनलाल गौतम---अगर वे दोनों संशोधन अलग-अलग कर लिये जायेंगे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। पार्लियामेंट में आमतौर पर ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट में तो मेंबरों को केवल बोलने की इजाजत होती है। उनको पढ़ने की इजाजत भी नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष---यदि साथ-साथ लेने में सुविधा हो तो ले लिये जायें वाद-विवाद साथ-साथ हो जायगा और बाद में राय अलग अलग ले ली जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल---असुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है अलग अलग ही ले लिये जायेंगे। (श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आपका प्रस्ताव नहीं माना जायगा।

श्री रतनलाल जैन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्रधान की आयु २५ वर्ष कर देने के लिये उपस्थित किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रधान का कार्य काफी जिम्मेदारी का है। जहां उसके लिये उत्साह की आवश्यकता है वहां उसके लिये गंभीरता की भी आवश्यकता है। इसलिये प्रधान की जिम्मेदारी को ध्यान में रख कर और उसकी गंभीरता को ध्यान में रख कर यह आवश्यक है कि आयु उसकी ३० वर्ष से कम न हो। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के लिये भी ३० वर्ष की आयु रक्खी गयी है और जहां तक मेरा अनुमान है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के लिये भी यही आयु रक्खी गयी है। यह अवश्य है कि असेम्बली में इसके लिये कोई आयु निर्धारित नहीं है। वहां पर मेम्बर होने के लिये २५ वर्ष की आयु है और उनमें से आम तौर से मिनिस्टर प्रधान या मुख्य प्रधान मंत्री उसी को चुना जाता है जिसने देश की काफी सेवा की हो और काफी वर्ष का हो। इसीलिये यहां पर यह प्रश्न नहीं उठता है कि कितनी आयु हो। ऐसे ही लोकसभा का मामला है। मगर गांवों में छोटी संख्या होती है और छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। वहां डाइरेक्टली (directly) चुनाव कराया जाय तो बहुत सम्भव है कि

कोई एक नौजवान आ जावे जिसमें पर्याप्त गम्भीरता न हो। मान लीजिये कि एक प्रभावशाली खानदान है तो उस खानदान का लड़का अपने खानदान की वजह से २५ वर्ष की उम्र में भी प्रधान चुना जा सकता है और उम्र कम होने के कारण वह ऐसे कार्य कर सकता है जिससे पंचायत का काम सुचारू रूप से न चले और उससे अन्य सदस्य अप्रसन्न हो जावें या वह ऐसा काम करे जिससे गांव वालों में असन्तोष हो जावे। यह बात हो सकती है। इसलिये जिम्मेदारी के पद पर जो भी प्रधान चुना जाय उसकी आयु काफी हो और कम से कम ३० वर्ष की आयु होना तो बिल्कुल जरूरी है। अभी प्रस्तावक महोदय ने कहा कि कम उम्र का होगा तो उसमें ज्यादा उत्साह होगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि क्या ३० वर्ष को आयु वाला आदमी बूढ़ा है या क्या है? ३० वर्ष वाला भी बिल्कुल नौजवान है। बात यह है कि जितनी आयु बढ़ती जाती है, उसमें गम्भीरता आती जाती है, सोचने की शक्ति आती जाती है और वह जल्दी नहीं करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस जगह ३० वर्ष ही रक्खा जाना चाहिये। २५ वर्ष की आयु बिल्कुल ठीक नहीं है और उससे कम आयु की बात करना तो और भी गलत है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का जो आया है, विरोध करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रतनलाल जैन जी ने जो कुछ कहा उससे मैं अक्षरतः सहमत हूं और जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि गांव सभा के प्रधान की आयु २५ वर्ष तक हो, कुछ संशोधन ऐसे भी आये जिनमें २१ वर्ष तक की आयु ही रखने की बात कही गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय रतनलाल जी ने कहा और जैसा अभी मैंने कई भाषणों को सुना, माननीय रावत जी, का तो यह कहना है कि जहां तक आयु की बात है वह असेम्बली के मेम्बरों के लिये भी निर्धारित नहीं है। उसके लिये बालिग होना आवश्यक है। आपका यह कहना है कि जब असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये उम्र निर्धारित नहीं है तो फिर गांव सभा के प्रधान के लिये उम्र क्यों निर्धारित करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपके द्वारा मेरा सदन सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन है कि उम्र निर्धारित करने की आवश्यकता इसलिये है कि लेजिस्लेचर की ड्यूटी कानून बनाने की है। कानून बनाने और कानून को कार्य रूप में परिणत करने में महान अन्तर है। प्रधान जो गांव सभा का होगा वह एक्जीक्यूटिव हेड होगा और उसको वहां की सारी जिम्मेदारी बरदाश्त करनी होगी। गांव की भलाई के लिये लोगों की राय लेनी होगी और हर एक नियम को, जो भी आदेश होता है उसको कार्यान्वित कराना होगा। उसका फंक्शन, उसका कर्त्तव्य केवल यह नहीं है कि वह कानून बना दे जैसा कि विधान सभा के सदस्यों का कर्त्तव्य है। ऐसी सूरत में अगर कोई आदमी जो बिलकुल 'रा' है, वह २५ वर्ष की अवस्था में ग्राम सभा का सभापति बना दिया जाय तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन उतनी अच्छाई से नहीं कर सकता है। हमलोग जब कमेटी में थे तो कमेटी की यह राय थी कि ४० वर्ष की अवस्था रखनी चाहिये लेकिन बाद में लोगों ने यह राय दी कि ४० के बदले ३० वर्ष ही कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे आदमी हैं जो २५ से २७ वर्ष की उम्र तक तो नौकरी की फिक्र में ही रहेंगे। यदि किसी २५ वर्ष के आयु वाले को गांव सभा का प्रधान बना दिया जाय तो वह यह प्रयत्न करेगा कि कोई नौकरी मिल जाय और जब कि इस में रखा है कि वह हिन्दी जानने वाला पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिये तब तो यह पढ़े लिखे लोग २७ वर्ष तक तो नौकरी के ही चक्कर में रहेंगे और प्रधान का कार्य दिल से नहीं कर सकेंगे। २७ वर्ष

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

के बाद जब उम्र अधिक हो जाती है और नौकरी का प्रश्न समाप्त हो जाता है और जब वह ३० साल का हो जाता है तो वह अपना धर्म सेवा धर्म समझता है और फिर वह ठीक तौर से ग्राम सभा का कार्य चला सकेगा और इस तरह से गांव की सच्ची सेवा उसके द्वारा हो सकेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया था कि इसके लिये आयु ३० वर्ष रखी जाय। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह आवेश में आने की बात नहीं है। हम लोग ज्यादा उम्र वाले हैं इसलिये लोग मजाक में यह न कहें कि हम इसीलिये ज्यादा उम्र रखना चाहते हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि ज्यादा अवस्था वालों का ज्ञान परिपक्व रहता है और इसीलिये मैं नौजवानों से प्रार्थना करूंगा कि वे ज्यादा उम्र वालों की बातों को जहां ध्यान से सुना करें और उसपर अमल करने का भी प्रयत्न किया करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यहां पर यह उम्र ३० साल ही रखी जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सभापति की अवस्था के संबंध में २५ वर्ष वाले संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भारतीय संविधान में जब यह बात स्वीकार कर ली गई है कि २५ वर्ष का व्यक्ति सदन का सम्मानित सदस्य बनकर एक प्रान्त के लिये विधान निर्माण कर सकता है और इतना ही नहीं वह सदस्य बनने के बाद एक प्रांतीय सरकार का जिम्मेदार मेम्बर भी हो सकता है। सरकार का या कैबिनट का मेम्बर बनने के बाद उसको केवल मिली जुली जिम्मेदारी ही नहीं होती बल्कि वह प्रान्त के एक बड़े विभाग को भी चलाता है और अपने विभाग को पूर्णतः संभालता है तो मैं नहीं समझता कि गांव सभा की जिम्मेदारी और गांव सभा के उत्तरदायित्व को कैसे एक मंत्री के कार्य से भी अधिक महत्व दिया जा रहा है। जब हमारे माननीय मंत्रिगण २५ वर्ष की अवस्था के हो सकते हैं तो कोई कारण समझ में नहीं आता, कोई दलील दिमाग में नहीं आती कि वह गांवसभा के सभापति क्यों नहीं हो सकते। श्रीमन्, यह तो सभी जानते हैं कि गांवों में जो अधिक अवस्था के लोग मिलते हैं वह बुजुर्ग हैं और इज्जत के लोग हैं।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन बहुत थोड़े से लोगों को छोड़कर अधिकतर हमारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनका ज्ञान आज की परिस्थितियों का मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि, हमारे नवयुवकों के मुकाबले में कम होता है और वह आज की बदली हुई दुनिया के ज्ञान से जो उसे प्रगति की ओर लेजा रहा है और जिन नई व्यवस्थाओं का निर्माण हमारे देश की नई शासन प्रणाली और शासन पद्धति द्वारा हो रहा है, बहुत से ऐसे हमारे ग्रामीण लोग मिलेंगे जो उन से अवगत नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर अभी यहां छुआछूत मिटाने के लिये एक संशोधन स्वीकार किया गया है तो इस तरह के लोग अभी गांवों में बहुत ज्यादा हैं जो इसको बुरा समझते हैं। लेकिन हमारे नवयुवकों में ऐसे लोग मिलेंगे जो हाईस्कूलों और कालेजों से निकलकर गांवों में खेती बारी करते हैं और इतना ही नहीं वहां से सेवा का भाव सीख कर जाते हैं और गांव मे रहकर कृषि का कार्य करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम और हमारी ग्रामीण जनता उनकी सेवाओं से फायदा क्यों न उठावे और इसलिये तीस का प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं। पचीस वर्ष की अवस्था को व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने गांवो में बसने वाले प्रगतिशील विचार के नवयुवकों से लाभ उठावेंगे। जब तक वह तीस वर्ष के न हो जायं तब तक उनके विचारों से फायदा न उठाया जाय या बदलती हुई दुनिया से हम कोई फायदा न उठायें यह बात मेरी समझ

में नहीं आती। मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय उस संशोधन को स्वीकार करेंगे कि तीस के बजाय पचीस वर्ष की अवस्था सभापति के पद के लिये रखी जाय।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह--अध्यक्ष महोदय, आयु के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो रहा है, जहां तक मैं देख पाया हूं, उसकी बेसिस और उसका आधार ही गलत तरीके में पड़ गया है। आज यहां बैठ कर हम इस बात को निश्चित कर रहे हैं कि एक आदमी किस उम्र से योग्य और एक्स्पीरियन्स्ड गिना जा सकता है। कुछ सदस्यों की राय यह है कि जब तक आदमी तीस वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंचता किसी भी सूरत में वह योग्य नहीं गिना जा सकता। कुछ सदस्यों की राय है कि वह व्यक्ति २५ वर्ष की आयु में ही योग्य गिना जा सकता है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूं माननीय मंत्री महोदय के जो शब्द हैं जो उन्होंने आज सुबह इस भवन में उच्चारण किये थे उनको दोहराना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ब्लैक मार्केटियर्स के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यह शब्द कहे थे कि "गांव वाले ब्लेक मार्केटिंग को बुरा मानते हैं और यदि यह उनके ऊपर छोड़ दिया जाय तो मुझे विश्वास है कि वह उनको प्रधान नहीं बनायेंगे।" कुछ इसमें लिखने में गलती हो गई होगी लेकिन उनके कहने का अर्थ यही था तो जब कि हमारे मंत्री महोदय ऐसे विचार रखते हैं कि गांव वालों पर विश्वास करें उन पर भरोसा रखें तो मैं फिर समझ नहीं पाया कि यहां पर क्योंकर इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। जो संशोधन हमारे सामने है यदि मंत्री महोदय उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि वह व्यक्ति जो २५ वर्ष का है वह भी प्रधान के पद के लिये चुना जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो तीस वर्ष का है वह नहीं चुना जा सकता। माननीय मंत्री महोदय हमसे कहते हैं कि विश्वास रखो, भरोसा रखो गांव वालों पर, तो फिर मैं यह नहीं समझ पाया कि यहां पर यह तीस साल वाला ऊंची उम्र वाला क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है इसका क्या विशेष तात्पर्य है? हमारा कर्तव्य यह है कि हम उनको हर सूरत में प्रोत्साहन दें और हमारा यह भी कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हम उन पर विश्वास करें यानी बारम्बार उनको निकम्मा ठहराकर यह न कहें कि हमारी राय के मुताबिक ही उनको कार्य करना होगा। इसलिये यदि हमारी राय यह है कि ३० वर्ष के पश्चात् ही व्यक्ति उनके गांवों में योग्य हो सकते हैं और ३० वर्ष के व्यक्ति ही प्रधान के पद के लिये चुने जा सकते हैं तो यह एक बहुत ही ग़लत तरीका है। इस सम्बन्ध में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जब कि हम इस सदन में २५ वर्ष की आयु के आ सकते हैं तो फिर मैं नहीं समझ पाता कि प्रधान के पद के लिये ३० वर्ष की आयु रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

माननीय रतनलाल जैन ने कहा यहां पर कि सदस्यगण २५ साल की आयु के हो सकते हैं किन्तु मंत्रिगण अक्सर २५ वर्ष से ज्यादा उम्र के ही होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दल के साथी जो यहां सदस्य हैं गैर जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। मैं उनकी इस बात से असहमत नहीं हूं क्योंकि मुझे उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है तो वह अपनी जिम्मेदारी अपने विचारानुसार महसूस करता है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं कि यदि हम यह कहें कि एक व्यक्ति ३० वर्ष का ही काबिल गिना जा सकता है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस की राय के अनुसार वह काबिल गिना जायगा, माननीय मंत्री महोदय की राय के अनुसार या जनता की राय के अनुसार? यह सम्भव है कि जनता २५ वर्ष की उम्र के युवक को योग्य समझे, परन्तु माननीय मंत्री जी कानून में यह एक आदेश दे दें कि कोई भी

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

२५ वर्ष का युवक न चुना जाय प्रधान के पद के लिये. मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ऐसा विचार नहीं है। मैं समझता हूं कि गल्ती से यह इस अधिनियम में पेश हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक मुझे प्रतीत होता है यह एक बड़ा ही इनकंसिस्टेंट बिल बनने जा रहा है। अभी कुछ समय हुआ हमने रिमूवल आफ सोशल कास्ट डिसेबिलिटीज ऐक्ट के संबंध में कुछ पास किया। उसका नतीजा यह हो गया कि कानून के अन्तर्गत कनविक्शन होने के पश्चात वह व्यक्ति डिस्क्वालिफाई हो जायगा। अब इनकंसिस्टेंसी इसमें आती है। रिमूवल आफ सोशल कास्ट डिसेबिलिटीज ऐक्ट के मातहत अगर कनविक्शन हो जाय तो वह प्रधान नहीं बनने पावेगा, उप-प्रधान नहीं बनने पावेगा किन्तु इस विधान सभा का सदस्य बन पावेगा और हाउस आफ पीपुल का सदस्य बन पावेगा। यह एक अजब तरह की एनामली है जिसे माननीय मंत्री महोदय पैदा करने वाले हैं। यहां एक सदस्य पर वह प्रतिबन्ध नहीं है। यदि वह २५ वर्ष की उम्र तक का है तो वह इस भवन का सदस्य बन सकता है किन्तु प्रधान के पद के लिये ३० वर्ष की आयु रक्खी गयी है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस सदन के द्वारा अगर आप ऐसे विधान को पारित करायेंगे चाहे वह बहुमत के जोर से क्यों न हो, तो वह अनुचित होगा और वह इस सदन की शान के खिलाफ जाता है। इसमें सदन को कोई अधिक विश्वास नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मतभेद का प्रश्न हो सकता है, किन्तु एक हद के द्वारा बिल में यह बात रखना कि २५ वर्ष तक वह नाकाबिल होगा और ३० वर्ष के बाद ही वह काबिल हो सकता है, इस तरह का विचार रखना, मैं समझता हूं ग़लत होगा। मैं फिर मंत्री महोदय के शब्दों को दोहरा देता हूं और यही प्रार्थना करूंगा कि वे इसे जनता के ऊपर छोड़ें। कोई २५ वर्ष का व्यक्ति है और उसपर जनता का विश्वास है और यदि जनता किसी कारण उसको अपना प्रधान बनाना चाहती है तो सरकार को उसपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हम विश्वास करते हैं कि जनता यह देखेगी और इस बात पर गौर करेगी कि अधिक आयु वाले व्यक्ति को छांटे और उसके अनुभव से लाभ उठाये। यदि जनता २५ वर्ष के किसी व्यक्ति को या ३० वर्ष से कम किसी व्यक्ति को अपना प्रधान बनाना चाहती है तो मुझे कोई ऐसा कारण नहीं प्रतीत होता है जिन के कारण हम जनता पर कोई प्रतिबन्ध लगायें।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जहांतक इस संशोधन का संबंध है मेरा इस विषय में यह निवेदन है कि कोई भी प्रतिबन्ध २५ वर्ष से अधिक आयु पर लगाना उचित नहीं होगा और मैं इस बात का बिलकुल समर्थन करता हूं। हमारे विधान सभा के सदस्य २४ वर्ष के बाद जब इतने बड़े उत्तरदायित्व को लेने के अधिकारी हो जाते हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उसके बाद गांव की एक छोटी सी इकाई के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया जाय कि उस व्यक्ति की आयु ३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। क्या यह बात समझने की है कि कोई व्यक्ति २१ वर्ष के बाद गांव के उस छोटे से प्रशासन का उत्तरदायित्व सहन करने के योग्य नहीं होता है। एक तीस वर्ष का आदमी चाहे वह बेपढ़ा लिखा हो, चाहे वह ग्रामीण समस्याओं में अधिक दिलचस्पी न रखता हो, चाहे उस प्रदेश की प्रगति के बारे में अधिक ज्ञान भी न हो, उसको आप यह अधिकार देते हैं कि वह पंचायत के चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है और एक व्यक्ति जो प्रगतिशील है, आगे बढ़ रहा है और अच्छी तरह से उस उत्तरदायित्व को निभा सकता है उसके रास्ते में आप बाधायें खड़ी करते हैं। मैं माननीय बालेन्दु शाह जी की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि हमें उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिये बल्कि होना यह चाहिये कि गांव वालों के निर्णय पर हम इस बात को छोड़ दें कि वे जिस व्यक्ति को चाहें उसे चुन लें। हमें आयु को इस संबंध में आधार नहीं बनाना चाहिये। जब गांव के लोग अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, तो हमें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये कि वे अपने उस व्यक्ति को जिसको

वे अपनी एक्जीक्यूटिव का हेड बनायेंगे, उसके बारे में वे अच्छा निर्णय नहीं करेंगे, और यदि हम ऐसी आशा करते हैं, तो मैं यह समझूंगा कि हम उनको अच्छे पैमाने से नहीं नाप रहे हैं। मेरी यह राय है कि इस संबंध में यदि हम २१ तक आयु निर्धारित कर दें तब भी कोई कार्य बिगड़ने वाला नहीं है। उसके अन्दर एक भावना है कि जो ३० वर्ष या ४० वर्ष या इससे आगे बढ़ गये हैं उन लोगों के अन्दर कार्य करने की वह शक्ति नहीं है जो कि स्कूलों से फ्रेश आने वाले लड़कों के अन्दर होती है, जो कि गांवों के अन्दर रहते हैं, जो नौजवान हैं और जिन्होंने समाज के कार्यों में भाग लेना आरम्भ किया है। यदि उनकी आयु ३० वर्ष को नहीं है और आप उनके मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं तो मैं नहीं समझता कि भविष्य में भारत का निर्माण कैसे होगा और इस देश के उत्तरदायित्व का भार कौन संभालेगा। प्रान्त का प्रशासन करने के लिये जो मिश्र जी ने यह बात कही है कि ३०वर्ष की आयु होनी चाहिए मैं इसका विरोध करता हूं। मिश्र जी ने अपनी आयु के अनुसार ठीक बात कही है परन्तु देश के उस नवयुवक के लिये यह बात उचित नहीं होगी जो अपने गांव की इकाई को बढ़ाने के लिये आह्वान करता है। आप विद्यार्थियों से सदैव यह कहते रहते हैं कि उनको आगे आना चाहिये, परन्तु जब वह अपने विद्यार्थी जीवनकाल को समाप्त करके गांव में जाता है और आप उसे गांव के उत्थान में भाग लेने से डिबार (रोक) कर देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कहां तक युक्ति-संगत है। दूसरी बात यह भी है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से कि वह ३० वर्ष का हो गया है या ४० वर्ष का हो गया है या उसका शरीर बड़ा हो गया है, बुद्धिमान है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि किसी भी आदमी की योग्यता का आधार उसकी बुद्धि और उसका मस्तिष्क है, उसकी योग्यता का आधार उसकी आयु और उसका शरीर बिलकुल नहीं हो सकता। इसी प्रकार की बातें उर्दू में कही गयीं हैं और संस्कृत में भी यह बात कही गई है कि जो मनुष्य है वह ज्ञान से बृद्ध माना जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी ज्ञान से बृद्ध माना जाता है उसके ऊपर भी आप प्रतिबन्ध लगाते हैं और एक ऐसे आदमी को जिसके अन्दर प्रगति नहीं है, विचारों का पुंज नहीं है उसको इसके योग्य बनाते हैं कि वह इस कार्य को संभाले। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो म आपकी आज्ञा से एक दो मिसालें रख भी सकता हूं सदन के सामने जहां कि बहुत छोटे पुरुषों ने वह कार्य किये हैं जो बड़ी उम्र वाले पुरुष नहीं कर पाये। अगर में आपके सामने महाभारत की मिसाल रखूं तो मेरे ख्याल में कुछ अनुचित न होगी। अष्टावक्र का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने अपनी योग्यता से राजा जनक के दरबार के धुरन्धर और दिग्गज विद्वानों को हराया और अपने पिता को जेलखाने से छुड़वाया। राजा जनक की सभा में उस छोटे से विद्वान ने इस चीज को साबित कर दिया कि विद्वान होने के लये आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र की आयु देख कर उसे अपनी सभा में आने की आज्ञा दी और उससे बड़े बड़े आदमियों से शास्त्रार्थ करने को कहा। उसने बड़े बड़े आदमियों को जो संसार के मस्तिष्क कहे जा सकते थे शास्त्रार्थ में हराया और अपने पिता को राजा जनक के बन्दीगृह से छुड़ाया। यह इस बात का संसार के सामने एक ज्वलंत उदाहरण है कि योग्यता के लिये आयु कोई मूल्य नहीं रखती बल्कि उसके ज्ञान से ही उसकी योग्यता का पता चलता है। इसके अलावा मैं कठोपनिषद् का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। वहां सौ सौ, दो दो सौ वर्ष तक लोग साधन करते रहे हैं। लेकिन नचिकेता नाम के छोटे से लड़के ने थोड़े से समय के ही अन्दर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया और वह उसका अधिकारी हो गया। इसी प्रकार से शुकदेव जैसा छोटा सा आदमी अपने ज्ञान के द्वारा संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को पीछे छोड़ कर आगे चला गया। इन तमाम बातों के रखने से मेरा एक ही निवेदन है कि इस सभा के अन्दर जो वाद-विवाद उपस्थित किया गया है कि आयु को बुद्धि का आधार माना जाय यह मेरी समझ में नहीं आता कि आयु को कैसे आधार माना जा सकता है। लेकिन, जब हमारे आदरणीय मिश्र जी यह बात कहते हैं तो मुझे मालूम होता है कि अपनी आयु के अनुरूप वह बात कहते हैं,

[श्री शिवकुमार शर्मा]

लेकिन हमारी आयु के अनुरूप नहीं कहते हैं। इसलिये जो माननीय सदस्य इस बात पर निर्णय ले रहे हैं उनसे मेरी विनय है कि वे आयु के प्रतिबन्ध को बिलकुल हटा दें और जिसा।नुष्य में ज्ञान हो, कार्य करने की क्षमता हो, जोश हो उसको अधिकार दिया जाना चाहिये। इसके आलावा पंचायतों वगैरह के पिछले इलेक्शन्स में आयु का ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था और उसमें ऐसे-ऐसे लड़के आये जिन्होंने ऐसे-ऐसे कार्य किये और ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी मिसालें अगर आप चाहें तो मैं आपको कई एक दे सकता हूं कि जहां पर इस प्रकार के नौजवानों ने जो कि मुश्किल से २४-२५ वर्ष के होंगे उन्होंने बड़े आकाश कार्य न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में किये। लेकिन अगर अब ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो मैं समझता हूं कि उनकी योग्यता के साथ में अन्याय होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाहर के राष्ट्रों में बहुत थोड़ी-थोड़ी आयु के लोगों ने बड़े उत्तरदायित्व के कार्य को संभाला और श्री ऐन्थानी ईडन ने केवल ३४ वर्ष की आयु में इंग्लैन्ड के फारेन सेक्रेट्री के पद का कार्य भार संभाला। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस छोटे से काम के लिये ऐसे योग्य, समझदार और काफी पढ़े लिखे लोगों पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाना कहां तक उचित है। इसलिये मैं समझता हूं कि ३० वर्ष का किसी प्रकार का आयु का प्रतिबन्ध न रखा जाय बल्कि २१ वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय और उसे गांव सभा के कार्य करने के योग्य माना जाय।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किय जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—कई और संशोधन भी विचार के लिये हैं इसलिये मैं समझता हूं कि इसपर समय इस तरह से ज्यादा नहीं लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुये माननीय रतनलाल जैन ने कहा कि प्रधान का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। इसको प्राप्त करने के लिये आदमी में काफी गम्भीरता होनी चाहिये।

श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उपस्थित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि पहले माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर दिया जाना चाहिये तब श्री गजेन्द्र सिंह जी जवाब देते।

श्री अध्यक्ष—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह अब सब डिबेट का उत्तर देते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि रतनलाल जी जैन ने यह दलील दी कि प्रधान के पद के लिये काफी गम्भीर आदमी होने की आवश्यकता है, और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। जहां तक उनकी दलील का संबंध है, मैं समझता हूं और मैं भी मानता हूं कि गांव सभा के प्रधान पद को बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट और असेम्बली में जो मेम्बर्स आते हैं उनका पद भी बहुत जिम्मेदारी का है। यहां तक कि वह खुद कानून बनाते हैं जो पूरे देश पर, पूरे प्रांत पर लागू होते हैं। गांव के प्रधान तो जितना काम करेंगे उसका असर गांव पंचायत या गांव सभा पर ही पड़ेगा। लेकिन असेम्बली या पार्लियामेंट के मेम्बरों के कार्य का असर पूरे देश पर या पूरे प्रांत पर पड़ता है। पार्लियामेंट और असेम्बली में तो मेम्बर्स २५ साल की उम्र में आ सकते हैं और जब असेम्बली

और पार्लियामेंट में लोग आ सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, कानून बनाते हैं जिनका असर देश के तथा प्रांत के करोड़ों आदमियों पर पड़ता है तो कैसे समझा जाय कि २५ साल की उम्र का आदमी गम्भीर नहीं हो सकता है और जिम्मेदारी के पद को होल्ड नहीं कर सकता है। जब हम लोग कानून बनाते हैं जिससे करोड़ों आदमियों का फायदा होता है तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि श्री रतनलाल जी जैन की दलील विशेष मुनासिब नहीं है।

इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जो ३० साल की कैद रखते हैं अगर इसको मान लिया जायगा तो जो हरिजन लोग हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिनको ऐजूकेशन वैसे ही बहुत पिछड़ी हुई है, ३० साल के उम्र के लोगों का मिलना मुश्किल हो जायगा और उनका गांव सभा का प्रधान या सरपंच बनना मुश्किल हो जायगा। हालांकि अब उनमें कुछ ऐजूकेशन आ रही है लेकिन वह यंगमेन में ही है यानी उनके बच्चों में चलती है। इसलिये अगर आप यह ३० साल की उम्र की कैद रखते हैं तो फिर हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग निकल जायेंगे क्योंकि ३० साल की उम्र के लोग बहुत कम मिल पायेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं तो हम समाज की एक बहुत बड़े क्लास को ओवरलुक कर देते हैं और उनको कोई भी मौका गांव सभाओं में कार्य सम्पादन करने के लिये नहीं देते हैं। इसलिये यह मुनासिब है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको इसलिये मान लें कि हरिजनों में और बैकवर्ड क्लासेज में अभी पढ़े लिखे लोग ज्यादा उम्र के नहीं मिल पायेंगे। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खुद यह तजुरबा हो सकता है वह कुछ गलत हो, लेकिन अधिकांश मैंने यह देखा है कि जितना ही आदमी नौजवान होता है, कम उम्र का होता है वह ईमानदार होता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दुनिया में फंसते-फंसते, संसार की परिस्थितियों में फंसते-फंसते उसमें ईमानदारी से हटने की नौबत आती जाती है। इसके माने यह नहीं है कि जो बुजुर्ग होते हैं वह बेईमान होते हैं। मेरा मंशा यह है कि कम उम्र के लोग ज्यादा ईमानदार पाये जाते हैं। तो जहांतक अदालती पंचायत और गांव सभा का प्रश्न है, अदालती पंचायतों में न्याय की आवश्यकता होगी। मेरा ख्याल है कि २५ साल का आदमी ज्यादा अच्छा न्याय करेगा। इसलिये जरूरी है कि २५ साल की उम्र वाले रखे जायं। जहां तक गांव सभा का प्रश्न है, वहां गांव सभा का काम सफाई कराना, सड़के बनाना पर नाले साफ करना और टैक्स जो गांव पंचायत ने लगाये हैं उनके कलेक्शन के लिये काम करने होंगे। तो ये सब मेहनत के कार्य हैं। इसके लिये २५ साल के आदमियों की और भी जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तजुरबा है, मैं अपने गांव की बात कहता हूं। श्री मोहन लाल जी गुप्त गांव के प्रधान हैं। २५ साल की उम्र है। उन्होंने बहुत अच्छा गांव का काम किया है और अगर ३० साल की उम्र की कैद मानी जाती है तो आगे चल कर वह नहीं बन सकते हैं। हमारा पूरा गांव चाहता है कि उनको फिर प्रधान बनायें। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तजुर्बा है कि मैंने २५ साल के उम्र के ऐसे प्रधानों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिये यह कहना कि २५ साल का आदमी जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकता है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कहां तक उचित और न्यायसंगत है।

जहां तक माननीय मिश्र जी का प्रस्ताव है मैं उनकी बात को मानता हूं। बुजुर्ग हैं। भले ही वह इस बात का विरोध करें कि २५ साल की उम्र के व्यक्ति को गांव सभा का आफिस होल्ड नहीं करना चाहिये, लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय महीलाल जी ने इस संशधोन का समर्थन किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि अगर माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो वह हमारे साथ वोट देने की भी कृपा करेंगे। इसके साथ ही मैं रावत जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और मैं उन से भी उम्मीद करूंगा कि वह इसको स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से सारी बहस सुनी और जिन जजबात का यहां इजहार हुआ उनको भी अच्छी तरह सुना। बहस कुछ अलग सी हो गयी। एक माननीय सदस्य तो केवल इसी बात पर जोर देते रहे कि आयु का कोई आधार नहीं होना चाहिये, विद्या का आधार होना चाहिये। अब यह समझ में नहीं आया कि आयु के आधार पर तो सारा ढांचा बना हुआ है। वोटर्स लिस्ट है, वह आयु के आधार पर बनती है न कि अक्ल के आधार पर मेम्बर्स चुने जाते हैं। पार्लियामेंट के लिये एज लिमिट है, हाउस आफ दि पीपुल के लिये, कौंसिल आफ स्टेट के लिये, लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिये एज लिमिट है। इसलिये यह कहना कि आयु का आधार न हो यह कहां तक संभव हो सकता है? मैं मानता हूं कि छोटी उम्र के आदमियों ने बड़े बड़े काम किये, लेकिन यहां सवाल दूसरा है। अगर अक्ल का आधार होता तो क्यों वोटर्स लिस्ट में गलतियां बताई गयीं? क्यों मेम्बरों के चुनाव में रुकावट डाली गयी? क्या कास्टीट्यूशन सब गलत है? इसके बाद सवाल होता है कि २५ साल वालों के लिये ही क्यों २१ साल रख दिया जाय। तो फिर जो २० साल की उम्र वाला व्यक्ति ज्यादा अक्ल वाला हो उसको क्यों न लिया जाय। जब १८ साल का आदमी राजगद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन वोटर नहीं हो सकता तो यह कंट्राडिक्शन तो देखना ही पड़ेगा। इसलिये उस बहस को तो मैं समझता हूं कि ज्यादा मसरफ की नहीं थी। प्वाइन्ट सिर्फ इतना ही है कि ३० वर्ष और २५ वर्ष में क्या सिद्धांत सदन स्वीकार करे। जैसा कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि २७-२८ साल तक की उम्र वालों को नौकर होने की रुकावट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टीचर २७, २८ साल तक का हो सकता है। अब हरिजनों के नाम पर कि हरिजन नहीं मिलेंगे, दलील देना ठीक नहीं है। अगर हरिजनों को या और किसी को कुछ सहायता देनी है तो यह तो मैं समझ सकता हूं कि शिक्षा का प्रतिबन्ध न लगाया जाय पढ़े लिखे लोग हों, यह न रखा जाय, बेपढ़े लिखे लोगों को आने दिया जाय। लेकिन २५ साल का पढ़ा हरिजन मैं समझता हूं कि शायद गांव सभा का सभापति होना पसन्द नहीं करेगा, बल्कि वह कहीं न कहीं रोजगार करना पसन्द करेगा जिससे कि वह अपना पेट पाल ले। वह कहीं न कहीं नौकरी करना चाहेगा। इसलिये हरिजनों के नाम पर अपील करना कि हरिजन नहीं मिलेंगे, इसे मैं मुनासिब नहीं समझता। २७ से २८ साल तक के नवजवान जो पढ़े लिखे हैं, अगर वह नौकरी करना चाहते हैं तो पहले तय कर लें कि वह जीवन में कहां सेटिल डाउन होना चाहते हैं। नौकरी करना चाहते हैं तो कर लें, न करना चाहते हों तो गांव में काम करें। यह सारी शर्तें सभापति के लिये हैं। उप-सभापति या उप-प्रधान के लिये कोई शर्त नहीं है और अगर कुछ नवजवान ऐसे हैं जो गांव में रहना चाहते हैं और गांव का काम करना चाहते हैं तो उप-प्रधान बनकर कुछ दिन काम सीखें, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। अब डेवलपमेंट का बहुत सा काम बताया गया और कहा गया कि बड़ी मेहनत है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पंचायतों के मुताल्लिक दो प्रकार की शिकायतें हुई हैं एक तो न्याय पंचायतों के फैसले की शिकायतें हैं और दूसरी गांव सभाओं के टैक्स लगाने के तरीके की। गांवों में जो टैक्स लगाये जाते हैं। बहुत सी जगहों से यह शिकायत आयी है कि उससे हाहाकार मचा हुआ है और लोगों पर ज्यादती हो रही है। तो इन दो चीजों का ख्याल रखते हुये आपको देखना है। अगर आप यह चाहते हैं कि जो टैक्स लगें उसके लगाने की अथारिटी जो हो, यानी सभापति के स्थान पर बैठा हो, उसको कुछ अनुभव हो, ज्ञान हो, और वह उन तमाम बातों से अलग हो जो कि एक २५-२६ साल के नवजवान में होती है तो यह ३० साल जो रखा गया है यह बहुत मुनासिब है। वैसे जैसा मिश्र जी ने कहा, विचार तो यही था कि ४० साल की ही उम्र रखी जाय। ४० साल के लोग बैठकर एथारिटी कमांड कर सकेंगे और इसमें मुझे यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश में पुरानी पंचायतों में हेड्स आफ दी फैमिली ही हुआ करते थे और उनका ज्यादा अच्छा कमांड हुआ करता था लेकिन जब पढ़े लिखे होने की शर्त लगाई गई तब यह मुनासिब समझा गया कि इसको भी ३० साल कर दिया जाय। अगर यह शर्त उठा दी जाय कि ३० साल भी कम है। जो २५ साल की जितनी भी दलीलें दी गई वह सब २१ के हक में हो जाती हैं। फिर २१ साल का आदमी क्यों नहीं हो सकता। २५ तो बीच में कहीं नहीं बैठता है।

बालेन्दु शाह जी की जितनी दलीलें हैं उसमें वह २१ साल के ऊपर क्यों रुकावट डाल रहे ह। लेकिन सवाल यह है कि आप लाइन कहां खींच रहे हैं। ३० पर या २१ पर जितनी भी दलीलें बालेन्दु शाह जी ने दी हैं वह सब २१ के हक़ में हो जाती हैं लिहाजा मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 5-B की पंक्ति ३ में अंक " 30 " के स्थान पर अंक " 25 " रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८

विपक्ष में--१०८।)

*श्री जयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्तर्गत धारा 5-B की पंक्ति ३ में शब्द "30 years" के स्थान पर "21 years" रख दिये जायं।

इस संशोधन को पेश करने का मेरा यह मंशा है कि गांव सभा के जितने सदस्य होंगे उनको यह अधिकार है कि वह अपना मत देकर अपने गांव का प्रधान चुन सकें। जब हमने उनको इतने बड़े अधिकार दिये हैं कि वह अपने गांव की सब प्रकार की बहबूदी कर सकें।

राजा वीरेन्द्र शाह--एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह बैठे नहीं हैं। खड़े हैं।

(श्री जयपाल सिंह के बैठ जाने पर)

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं यह पूछना चाहता हूं कि भवन का समय खर्च न हो आप संशोधन को वापस तो नहीं ले लेंगे?

श्री जयपाल सिंह--जब २१ साल के व्यक्ति को हमने यह अधिकार दिया कि वह गांव सभा का सदस्य हो सकता है और उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है तो हम यह भी उनको अवसर क्यों न दें कि वह गांव सभायें जिसे भी बेहतर से बेहतर व्यक्ति समझें उनको चुन सकें। यह कैद रक्खें कि वह कम से कम तीस साल का हो यह उचित न होगा। इसलिये अच्छा न होगा क्योंकि हिन्दुस्तान को आजाद हुए अभी ६, ७ साल ही हुए हैं और अभी यहां की राजनीतिक जाग्रति बहुत बढ़ी है और गांव में जो लोग रहते हैं उनमें जो बड़े बूढ़े होते हैं वे अपने नव-युवकों को ही आगे कर देते हैं और उन्हीं के कंधों पर सब काम डाल देते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब कि ५० फीसदी से अधिक गांव सभाओं में हरिजन ही प्रधान हैं जिनमें अधिकतर २५, २६, २७ साल की उम्र के नवयुवक हैं अगर इस तरह से हम तीस साल की कैद रख कर उनको डिसक्वालिफाई कर देते हैं यह कह कर कि उनमें संजीदगी नहीं है, और यह कह कर हम उनको नाकाबिल करार दें तो यह अनुचित होगा। अगर आप पिछले जमाने के अनुभव को देखें तो उससे यही साबित होगा कि गांव सभाओं के प्रधानों का कार्य नवयुवकों ने ही संभाला था बावजूद इसके कि अधिकांश हरिजन थे। ऐसी अवस्था में तीस साल की उम्र का प्रतिबन्ध लगाकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

हम बहुत से लोगों को वंचित कर देंगे और इससे नवयुवकों की जाग्रति पर प्रभाव पड़ेगा। जो वहां के बड़े बूढ़े होते हैं वे तो इन सब बातों को समझ भी नहीं पाते। छोटी उम्र के लोगों को ही वे प्रोत्साहन देते हैं और उन पर ही विश्वास करते हैं। पिछले दिनों के इलेक्शन से यह साबित हो चुका है कि गांव सभाओं के प्रधान अधिकांश नवयुवक ही चुने गये थे उन्होंने बड़ी संजीदगी से कार्य किया हालांकि वे काम उम्र के ही थे।

हमने पिछले कानून में २१ साल की कैद रक्खी थी। पता नहीं बीच में कौन सी बात आ पड़ी, जब कि ६ साल तक हमने चुनाव नहीं किये कि इस कैद को बढ़ा कर ३० साल करना चाहते हैं। अगर दो चार चुनाव का अनुभव हो गया होता और कोई दिक्कतें महसूस की होतीं तो हम समझ सकते थे कि उम्र बढ़ा देना उचित है।

फिर एक बात मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि असेम्बली का सदस्य २५ वर्ष की उम्र का नवयुवक हो सकता है। तो गांव सभाओं के प्रधान की जिम्मेदारी असेम्बली के सदस्य या पार्लियामेंट के सदस्यों की जिम्मेदारी से नहीं बढ़ जाती। जब कोई शख्स जो २५ साल का सदस्य है वह यहां पर अपने चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को चुन सकता है और अगर उनकी जिम्मेदारी का मुकाबला किया जाय तो मुकाबला करने पर मालूम होगा कि गांव का नवयुवक विश्वास के साथ यह जानता है कि वह अपने गांव को अच्छी से अच्छी सेवा कर सकता है और वहां का सरदार हो सकता है। यहां पर तो हम अपने लिये २५ साल की ही कैद रक्खें और गांव के प्रधानों के लिये यह कहें कि वे तो तीस साल के ही होंगे यह अनुचित है, न्यायसंगत नहीं है। इससे हरिजन लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उनको अभी अभी यह मौका मिला है कि वे गांव सभाओं के प्रधान बन कर कुछ कार्य कर सकें, लेकिन उम्र की यह कैद लगा कर उनको पीछे ढकेल देना होगा ताकि वे फोरफ्रन्ट पर न आ सकें, उनमें जाग्रति न हो सके, यह कोई कल्याणकारी बात न होगी। बल्कि उनके विपरीत होगा और वह हमेशा के तरीके से इस तरह पीछे पड़े रहेंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह से करने पर उन लोगों पर जो पिछड़े हुये हैं ज्यादा असर पड़ेगा और खास असर पड़ेगा जब कि इस ६ साल के अरसे में कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आयी जिससे हम यह समझ सकें कि इसको ३० साल कर दिया जाय और इसमें ९ साल और बढ़ा दिया जाय तो यह अनुचित है। मैं हाउस से और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको इसमें से निकाल दें और उसकी जगह पर २१ साल ही रहने दें। केवल गांव सभा के ऊपर ही छोड़ दिया जाय कि वह जिस तरह से चाहे अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर ले और जिस तरह से वह मुनासिब समझेगी उस तरह से उसको पूरा कर लेगी। वह जिस उमर के व्यक्ति को चाहे चुन लेगी। ३० साल के रखने से यह होगा कि इसका सब से अधिक असर पिछड़ी हुई जाति पर पड़ेगा और बहुत से लोगों को इसकी वजह से डिसक्वालीफाइ कर दिया जायगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि २१ साल बेहतर है और ३० साल ठीक नहीं है। २१ साल से ज्यादा किसी रूप से ठीक नहीं है। जब कि हम जिम्मेदारी की बात कहते हैं और करते हैं और हमारा चीफ मिनिस्टर २५ साल का भी हो सकता है और हम सब उसको चुनते हैं तो क्या हम जबकि जिम्मेदारी की बात कहते हैं तो वहां पर जिम्मेदारी की बात नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांव सभा की च्वाइस (रुचि) पर इसको छोड़ दिया जाय कि जिस तरह का व्यक्ति वह चाहे चुन सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस डेमोक्रेसी के जमाने में यह एक मजाक होगा। जबकि हमने देखा कि पिछले दिनों २१ साल के व्यक्तियों ने

अच्छा काम किया है या उससे कोई दिक्कत पैदा नहीं हुयी तो क्या वजह है कि उसको अब ३० साल कर दिया जाय। इसका खराब असर पड़ेगा। इसलिये मैं फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको २१ साल ही तसलीम किया जाय और ३० साल की जो अवस्था रखी है उसको निकाल दिया जाय।

श्री शिवनारायण--अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि नौशेरवां के जमाने में अरस्तातालिस ने यह कहा था कि हाकिम और हकीम यह दोनों बुजुर्ग होने चाहिये। यह लड़के नहीं होने चाहिये। ३० साल पर ही आदमी को कुछ समझदारी और बुजुर्गी होती है। २१ साल का जो व्यक्ति होता है वह जोश में रहता है और उसके पास बुजुर्गी नहीं होती है। हमारे यहां २५ साल तक तो ब्रह्मचर्य की अवस्था ही रहती है और सांसारिक ज्ञान उसको ज्यादा नहीं होता है। २५ साल के बाद जब वह २६ वें साल में आता है तब उसको समझदारी आरम्भ होती है। हम यह भी देखते हैं कि हाई कोर्ट में वकील को वकालत करने के लिये ६ महीने तक तो जाकर किसी सीनियर वकील के पास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और ६ महीने के बाद उसको इजाजत मिलती है कि वह मुकदमे की पैरवी कर सकता है। ठीक वही दशा यहां पर भी है। यहां पर कौंसिल के लिये कुछ कोटेशन दिये गये हैं। मैं देखता हूं कि जो हमारे नौजवान भाई यहां पर हैं जब वह बोलते हैं तो उनका खून उबलता रहता है और उनको जोश आ जाता है और वह शान्त नहीं रहते हैं। मनुष्य को ३० साल के बाद जाकर शान्ति आती है। इसलिये यह जो ३० साल की अवस्था रखी गयी है यह बहुत सोच समझकर रखी गयी है। वोटर २५ साल का भी हो सकता है लेकिन प्रेसीडेंट के लिये उन्होंने यह ३० साल रखा है तो उसके लिये इतनी उम्र होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। उस अवस्था को हटाने की जरूरत नहीं है। ३० साल की उमर में ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं कि जो पढ़े लिखे हों। हरिजनों में भी काफी लोग ऐसे मिल सकते हैं कि जो थोड़ा पढ़े लिखे हों। मेरे यहां ऐसे हरिजन भाई हैं कि जो प्रधान हैं। रुधौली इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो २५ के ऊपर हैं और समझदार हैं। क्योंकि बुजुर्गी २५ के बाद ही शुरू होती है और शेर का मतलब मैं आपको सुनाता हूं कि नौशेरवां के जमाने में अरस्तातालिस ने यह कहा था कि बुजुर्ग तो आदमी अक्ल से बनता है। २५ साल का बुजुर्ग नहीं होता बल्कि अक्ल से ही बड़ा होता है....।

श्री अध्यक्ष--यदि कोई दूसरा कुछ लिखकर आपको दे दे तो उसको आप बिना समझे न पढ़ दिया करें।

श्री शिवनारायण--नये खून वाले, गरम खून वाले पहले काम सीखते हैं अपने चाचा ताऊ से और तब आगे बढ़ते हैं। इसलिये ३० साल सरकार ने ठीक ही रखा है। फेमिली का हेड ही फेमिली का काम चलाता है। हम रामराज्य की कल्पना कर रहे हैं, वह तभी हो सकता है जब बुजुर्गों की देखरेख में चले। गांव में जितनी खुराफ़ात और लड़ाइयां होती हैं वह नये और गरम खून वाले ही करते हैं। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक बरात में कहा गया था कि सब २५ साल से नीचे वाले ही लाना। लेकिन एक बुड्ढे को पिटारी में रखकर ले गये। बकरे खाने को मिले और कहा गया कि बारी बारी से काट कर खा लो। इसमें कितना बकरा खराब होता लेकिन बुड्ढे ने पिटारी में से ही कह दिया कि एक काटो और पहले उसे खत्म करो। इसलिये सरकार ने ३० बहुत सोच समझ कर रखा है। काउंसिल में भी ३० है हालांकि यहां कम रखा है लेकिन हमारे मिनिस्टर सब ३० से ऊपर ही हैं। इसलिये गरम खूनवाले

[श्री शिवनारायण]

नहीं होने चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं और सरकार का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। यह मैं पहले ही जानता था कि माननीय शिवनारायण जी, माननीय जयपाल सिंह जी के संशोधन का विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें यह खबर लगी है कि जयपाल सिंह जी ही उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होने में रोड़ा हैं।

श्री अध्यक्ष---ऐसे शब्द कहने का मजाक नहीं होना चाहिये। इसे कृपा करके आप जारी न रखें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मेरा मतलब यह था कि उनका विरोध करना तो जायज ही था जिसका कारण वह जानते हैं और मैं जानता हूं। उस पर मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि गांव सभा में हमारे...

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। ५ बज चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, अब हम उठते हैं, कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२८ अप्रैल, १९५४।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३० एल० ए० १९५४—८५०।